हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

14 सितम्बर, 1994

खण्ड 2, अंक 3

अधिकृत विवरण

बुधवार, 14 सितम्बर, 1994

विषय सूची

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(3)1
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(3)18
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(3)32
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव–	
बादली निर्वाचन क्षेत्र के गांव मुण्डाखेड़ा में पीने के पानी की सप्लाई न करने संबंधी।	(3)43
विभिन्न मामले उठाना	(3)44
वैयक्तिक स्पष्टीकरण–	
(1) चौधरी बंसी लाल द्वारा	(3)48
विभिन्न मामले उठाना (पुनरारम्भ)	(3)49
वैयक्तिक स्पष्टीकरण––	
(2) चौधरी औम प्रकाश चौटाला द्वारा	(3)58

अध्यक्ष द्वारा ओब्जर्वेशन––	
एक मंत्री की बर्खास्तगी / इस्तीफे संबंधी	(3)59
विभिन्न मामले उठाना (पुनरारम्भ)	(3)60
बिल्ज–	
(1) दी हरियाणा एप्रोप्रिएशन नं० (3) बिल, 1994	(3) 65
(2) दी हरियाणा म्युनिसिपल (सैकण्ड अमैंन्डमैन्ट) बिल, 1994	(3)80
(3) दी हरियाणा म्युनिसिपल कारपोरेशन बिल, 1994	(3)84
(4) दी हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (सैकण्ड अमैंडमैंट), बिल, 1994	(3)89
नियम 84 के अधीन प्रस्ताव –	
एस० वाई० एल० नहर के निर्माण कार्य की प्रगति संबंधी	(3)93
बैठक का समय बढाना	(3)95
नियम 84 के अधीन प्रस्ताव–	
एस० वाई० एल० नहर के निर्माण कार्य की प्रगति संबंधी (पुनरारम्भ)	(3) 95

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 14 सितम्बर, 1994

हरियाणा विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (चौधरी ईश्वर सिंह) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्षः मैम्बर साहेबान, अब सवाल होंगे।

Loss Suffered by Haryana State Electricity Board

***871. Shri Ram Bhajan Aggarwal & Prof. Chhattar Singh Chauhan** : Will the Minister for power be pleased to state the total amount of loss, if any, suffered by Haryana State Electricity Board during the years 1991-92, 1992-93 and 1993-94 to-date, together with the reasons thereof ?

Power Minister (Shri A .C. Chaudhry) : The details are as follows :—

Year	Commercial Loss suffered (Rs. in crores)
1991-92	.206.86
1992-93	335.66
1993-94	408.32 (Tentative)

Mainly the losses occurred due to supply of power

at subsidised rates and inadequacy of power system to meet the growing power needs of the State.

श्री राम भजन अग्रवालः अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री जी बताएने कि विजली बोर्ड में जो लौसिज हैं, उनमें से लाईन लौसिज कितने हैं और सबसिडाइज्ड रेट्स पर बिजली देने से कितना लौस है?

श्री ए० सी० चौधरीः स्पीकर साहब, हरियाणा एक कृषि प्रधान प्रदेश होने की वजह से ऐग्रीकल्चर सैक्टर में बिजली का लोड 70 परसेंट से ऊपर पीक सीजन में क्रास कर जाता है। हम बिजली 1. 5 रुपये से लेकर 2.23 रुपये पर यूनिट के हिसाब से परचेज करते हैं। बिजली बोर्ड पर लौसिज का एक मैन कारण सबसिडाइज्ड रेट पर बिजली देना ही है मैं हाऊस की नौलेज के लिए बताना चाहूंगा कि 1988 से 1994 तक का जो रिकार्ड हमारे पास अवेलेबल है उसके मुताबिक ऐग्रीकल्चर सेक्टर में 88 परसेंट ज्यादा बिजली इंक्रीस की गयी है। जहां तक लाईन लौसिज का ताल्लुक है, उसमें जो नार्मल स्टैंडर्ड है, वह 15 परसैटं होना चाहिए लेकिन 1991 में जब हमारी सरकार आयी थी, उस समय यह 27. 27 परसैंट था और आज वह स्टैंडर्ड घटकर 24 53 परसैट हो गया है।

श्री राम भजन अग्रवालः अध्यक्ष महोदय, लाईन लौसिज तो 27 27 परसैटं से बढ़ गया है, तो क्या मंत्री जी बिजली की चोरी को रोकने के लिए कोई प्रयास कर रहे हैं?

श्री ए० सी० चौधरी: अध्यक्ष महोदय, लाईन लौसिज तो जैसा मैंने अर्ज किया वह घट गया है, लेकिन जहां तक चोरी को रोकने के प्रयास का संबंध है, हम लोग इखलाकी तकाजे भी पूरे कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमने इंटैंसिव कोमिंग भी शुरू कर रखी है नार्मली हर जगह पर एरियावाइज लोगों को और कालेज के स्टुडैट्स को भी हमने इसमें इंवाल्व कर रखा है ताकि कोई बदमगजी पैदा न हो। साथ ही विजीलैंस भी प्रीपर चौकिंग कर रही है ओर जितने भी साधन हमारे पास उपलब्ध हं, उनसे हम थैफ्ट रोकने की कोशिश करते है। जितने भी थैफ्ट्स के केसिज होते हैं, वे सब सिविल पुलिस में जाते हैं और हमारा यह तर्जुबा रहा है कि सिविल पुलिस के पास समयभाव के कारण या तो ये केसिज दर्ज ही नही हो पाते हैं और अगर दर्ज हो भी जाते हैं तो उसमें प्रोपर फालोअप नहीं होता है। इसलिए हमने अब इसमें लेटैस्ट यह प्रस्ताव किया है कि जिला लेवल पर ही विजली बोर्ड अपनें थाने बना दे ताकि न सिर्फ उन क्राईम्ज को रिकार्ड पर लिया जा सके बल्कि समय पर उसकी चौकिंग ओर स्नेबिंग भी की जा सके।

श्री अमर सिंह: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बताया है कि 1991– 92 में 206.86, 1992–93 में 335.66 और 1993–94 में 408.32 करोड़ रूपये के कर्मिशियल लौसिज है, मैं इनसे जानना चाहूंगा कि इन सालों में चोरी के केसिज से कितना लौस हुआ है और कितना लाईन लौसिज है?

श्री ए० सी० चौधरीः स्पीकर साहब, माननीय सदस्य ने एक ऐसा सवाल पूछा है जो शायद ये नहीं पूछना चाहते होंगे। इन्होने चोरी की बात की है कि इतनी चोरी हो रही है। मैं इनको बताना चाहूंगा कि अगर हमें यह पता होता कि कितनी चोरी हो रही है तो हम उनको अवश्य रोकते। थैफ्पटस क्रो नापने के लिए हमारे पास कोई मोटर तो लगा नहीं हुआ है जिससे यज्ञ पता लग सके कि इतनी चोरी हुई है। आज हम पचास पैसे प्रति यूनिट पर किसान को बिजली पैसे हैं। हमारे पास आकड़े हैं। उनके मुताबिक जितनी बिजली ऐग्रीकल्चर सेक्टर को सप्चाई होती है और जितने हमारे बिन होने चाहिए, तो पचास पैसे यूनिट के हिसाब से सके अगेस्ट आज के दिन भी चौकिंग करने के बाद हमारे पास 29–30 पैसे की रिकवरी है। इनके अलावा, बाकी लौसिज ऐक्सैसिव यूज प्लस थैफ्टस के कारण **प्रो० छतर सिंह चौहानः** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि इन्होने जो आकड़े बताएं हैं वह मेरे ख्याल से तथ्यों से बहुत दूर हैं। इन्होंने बताया है कि बिजली डेढ रुपये में मिलती है। बिजली हमें दो स्त्रोतों से मिलती है, हाइड्रा–इलैक्ट्रिक बिजली 17 से 20 पैसे पर यूनिट पड़ता है और थर्मल प्लांट की बिजली डेढ़ रुपये पर यूनिट पड़ती। है। इनका क्हना है कि किसानों को बिजली देकर घाटा होता है। मेरी समझ में यह नहीं आता है कि 17 पैसे पर यूनिट बिजली मिले और किसान को 50 पैसे पर यूनिट दें और डेढ़ रुपये मे बिजली मिले और ढाई रुपये में दें तो घाटे की बात कहां है? गवर्नमैंट किसानों पर अपनी जिम्मेदारी लादने की

कोशिश कर रहा है। पिछले तीन सात्र के आकड़े बताते हैं कि 1991– 92 में घाटा 206 करोड़ था और आज 408 करोड़ रूपये पर पहुंच गया है। इतने समय में दुगुना लास हो गया है। एक तरफ लाईन लौसिज 27 से 24 परसैंट पर आ गए हैं। दूसरी तरफ लौस दुगुना सो गया है। मैं मंत्री महोदय से असल कारण जानना चाहता हूं। जो बड़े–बड़े कारखानेदार हैं, उनके यहां बिना मीटर बिजली जलती है जिनकी तरफ करोड़ों रूपये बकाया हैं और री–कंसीलिएशन 5–4 लाख रुपये में कर देते हैं। लोगों की आखों में धूल झोंकने के लिए कहते हैं कि सबसिडाईज्ड रेट पर बिजली देने से घाटा है। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मंत्री जी असल स्थिति से अवगत कराएं।

श्री ए० सी० चौधरी: अध्यक्ष महुाएदय, माननीय सदस्य अपोजी शन बैचेज पर बठने का प्रिविलेज ले रहे है। एक आदरणीय मैम्बर का आदर करते हुए इनकी सारी बातों का मैं उस तरीके के जवाब नही दूंगा। जिमिक्स ऑफ वर्ड्स तो मुझे भी आते हैं। मैं हाउस की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि जितनी भी हमारे पास हाईडल की पॉवर है, जहां–जहां हमारा शेयर है, टोटल मिलाकर वह हमारी ऐवरेज रिक्वायरमेंट का 26 परसैंट है और 74 परसैट हम बाहर मे खरीदते हैं। इन्होंने जो 17 और 18 पैसे वाली बात कही है उससे झूठी कोई बात नहीं हो सकती।

प्रो० छतर सिंह चौहान अध्यक्ष महोदय, झूठ शब्द अनपालिंयामैंट्री है मैं प्रार्थना करूंगा कि माननीय सदस्य को यहां असंसदीय भाषा का प्रयोग नही करना चाहिए (विघ्न)

श्री अध्यक्ष आपस में न बोलें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ए० सी० चौधरीः अध्यक्ष महोदय, असंसदीय शब्द तो तब होता, जब मैं यह कहता कि फलान ने झूठ बोला। मैंने यह कहा है कि यह फिगर बिल्कुल झूठी है, गलत है। मेरी एक विनती है कि पहले मेरी बात सुन लें सुनने के बाद आप जो सप्लीमैंट्री करेंगे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको शिकायत का मौका न मिले। मैंने अर्ज की है कि हमारा शेयर टोटल मिलाकर 26 परसैट बनता है। 74 परसैट हम बाहर से खरीदते हैं। हाईडल की सप्लाई और सिर्फ इसके डिस्ट्रीक्टूशन चार्ज, स्टाफ और मेनटेनैन्स का मिलाकर हमारा 76 पैसे पर यूनिट खर्च होता है। आज के दिन भाखड़ा का डिस्ट्राईब्यूशन चार्ज और मेनटेनैन्स मिलाकर 92 पैसे खर्च होता है। इसी तरह से बैरासूल पर 1 रुपया 13 पैसे है, सिंगरौली पर 1 रुपया 40 पैसे पड़ता है, सवाल हाईडल प्रोजैक्ट पर खर्च, मेनटेनैन्स और डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज हमें 1 रुपया 30 पैसे देना पडता है। उस लिहाज मे यह कह देना कि किसान के साथ अन्याय हुआ है, यह ठीक नहीं है।

श्री धीर पाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि अगर उनके पास आकड़े हैं

तो बताएं कि 1991– 92 में बिजली बोर्ड को कुल कितना घाटा हुआ? दूसरा मेरा सवाल यह है कि 1991– 92 में जब इनकी सरकार आयी 206 करोड़ रु० का घाटा था। आज 1993– 94 में जो घाटा है, वह बढ़कर लगभग 408 करोड़ रुपये हो गया है और अगर पिछले दो–तीन सालों का घाटा जोड़ा जाए तो लगभग 1000 करोड़ रुपये के करीब बनेगा। हालांकि बिजली बोर्ड तीन वार बिजली की दरे भी बढ़ा चुका है लेकिन उसने बावजूद भी यह घाटा बढ़ता ही जा रहा है क्या मन्दी जी इस बारे में हाउस को जान– कारी देंगे कि बिजली की दरे बढाने के बावजूद भी बोर्ड को इतना घाटा क्यों हो रहा है?

श्री ए० सी० चौधरीः अध्यक्ष महोदय, येरे आनरेबल मैम्बर ने जो सवाल उठाया है वह 9 1– 92 आन वर्ड का था लेकिन हमारे पास इस बारे में कम्युलेटिव लास की फिगर्ज हैं उसके हिसाब से 91– 92 तक 816 35 करोड़ रुपये का कम्युलेटिव लास हुआ है। इन्होंने साथ में यह भी कहा कि बिजली की दरें बढ़ाने के बावजूद भी घाटा क्यों है? अध्यक्ष महोदय, इन्होंने आज से 'डेढ़–दो महीने पहले अखबारों में पढ़ा होगा कि रेलवे ने आर्बिटेरिली 12 से 13 परसैन्ट तक फ्रेट चार्जिज बढ़ा दिये। उसी तरह से कोयले वालों ने भी रेट्स बढ़ा दिये और आप सोचिये कि जब असैशियल अमेनिटीज तथा रा–मैटिरियल की कीमतें बढ़ेंगी तो बिजली की दरे भी बढ़ाना कुछ स्वाभाविक हो जाता है। यह काम हमारी पहुंच से बाहर था। हमारी रिटर्न तो 22– 23 पैसे है जबकि

दो रुपये 23 पैसे के हिसाब से हम किसानों को बिजली दे रहे हैं जिसकी वजह से घाटा हो रहा है। यानी हमारी रिटर्न भी पूअर है और बिजली के रेट्स भी हमारे कम हैं, तभी घाटा हुआ।

श्री अध्यक्षः चौधरी साहब, जो 205 करोड रुपये पीछे एन० टी० पी० सी० द्वारा बिजली बन्द करने के कारण जो घाटा हुआ है, क्या वप्र भी इस में शामिल है?

श्री ए० सी० चौधरीः जी हां, वह भे। इसमें शामिल है। वह इनके टाईम का घाटा है जी। यह 816.35 करोड़ रुपये का घाटा पीछे से ही चला आ रहा है, जी।

श्री धीर पाल सिंहः सर, यह घाटा जब से हरियाणा बना है, तब से है। इतना लोड बिजली के कारण किसानों पर डाल दिया गया है, यह कोई अच्छी बात नहीं है।

श्री ए० सी० चौधरीः स्पीकर साहब, में इतना ही कहूंगा कि मेरे भाई ने जो कहा है, मै उसका उत्तर देना चाहता हूं कि कुछ कह देना आसान होता है, मगर जवाब सुनना मुश्किल। किसी सोए हुए को आवाज देकर, हिलाकर उठाया जाना आसान है, मगर जो देखकर पहले ही आख बन्द कर ले, तो उसे उठाना किसी के बस की बात नहीं है। इनको सब पता है कि सारा लौस इनके जमाने से ही चला आ रहा हैं। अगर ये देश–प्रदेश के हित का बात सोचते, करते तो आज हालत ऐसी न होती। मैं बताता हूं कि इन्होंने 1988– 89 में 660 लाख करोड़ यूनिट्स बिजली दी।

1989–90 में 758 लाख करोड़ यूनिट्स, फिर 1990–91 में 836 लाख करोड यूनिट्स बिजली बांटी और 1991– 92 में हमने 982, 1992–93 में 1083 और 1993– 94 में 1045 लाख करोड़ यूनिटेस बिजली हमने दी है और अगर इसकी टोटल ऐवरेज देखी जाए तो जहा हुमने प्रोडक्शन बढ़ाई है वहां हमने 88 परसैन्ट किसानों को एडीशनल बिजली भी दी है। उसके अगेस्ट जो कि इनके वक्त में दी थी। इनके वक्त में केवल 660 लाख करोड यूनिट्स थे। और 1993–94 में अब 1045 लाख करोड़ यूनिट्स सप्लाई है। आप अन्दाजा लगाएं कि कितनी सप्लाई हमने फालतू है उसे। के हिसाब से जो लौस होगा, वह आटोमेटीकली फालतू होगा।

श्री धीर पाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के लिखित उत्तर में ईथर बाईज घाटा बताया गया है। हमारे जिला रोहतक मैं जो छोटे किसान हैं, जिनका नाम खाम ये भरते हैं उन्होंने अपने कनैक्शन कटवा दिए हैं। अकेले बादली सब–डिवीजन मे 40 ऐसे किसान हें जिन्होंने बिजली की दरें बढ़ने की वजह से अपसे कनैक्शन कटवाए हैं। इस बारे में मैंने लिखित प्रश्न भी दिया था, लेकिन वह लगा नखी। चलो, कोई बात नहीं लेकिन दुख इस बात का है कि बिजली मंहगाई होने की बजह से छोटे किसान आपके उपभोक्ता नहीं बन रहे हैं। भविष्य में इस वजह से लगातार और कनैक्शन कटवाए जा रहे हैं।

श्री ए० सी० चौधरी: स्पीकर साहब, मेरे भाई ने कह दिया कि किसान 50 पैसे यूनिट के हिसाब से चार्ज करने पर भी अपने कनैक्शन कटवा रहे हैं। स्पीकर साहब हम उनसे 50/– रुपए हार्स पावर के हिसाब से ले रहे हैं। इस हिसाब से दस हार्स पावर की मोटर के पांच सी रुपए नहोने के बनते है। 500 रुपए के हिसाब से महीने के। उनकी एक हजार यूनिट बनती है पचास पैसे यूनिट के मुताबिक अगर एक हजार यूनिट को तीस दिन पर तकसीम करें तो रोजाना की 33 यूनिट बनती है। अगर उसकी मोटर 3.72 घंटे चले तो वह 33 यूनिटस कन्ज्यूम करता है। इस हिसाब से हम उनसे 50 पेंसे सै भी कम ले रहे हैं। हम आज के दिन उनको 50 पैसे के हिसाब से बल दे रहे हैं और जबकि किसानों को 12 घंटे से कम बिजली नही मिल रही है। हमारी सरकार का भरसक प्रवल यहा है कि किसान की मेहनत का एक–एक दाना फालतू निकले।

प्रो० राम विलास शर्मा: अध्यक्ष महोदय, ऊर्जा मन्त्री जी ने बताया कि 1993– 94 का घाटा 408.32 करोड़ रुपए है। यह काफी बढ़ी रकम है मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि हमारे देश में जो टाटा बम्बई में बिजली जनरेट करता है। क्या आपने उसका अध्ययन किया है? बम्बई में उसकी कास्ट आफ जनरेशन क्या है? बोर्ड की क्या है? जैसे इन्होंने फर्माया कि यह घाटा 'किसानों को सबसीडाइज्ड रेट पर बिजली देने की वजह से है। इन्होंने किसानों की जो सिक्योरिटी बढ़ाई है, हार्स पावर का रेट

बढ़ाया है और कृषि क्षेत्र में बिजली के रेट बढाए हैं, उसके हिसाब से हम किस रेट पर किसानों को बिजली दे रहे हैं और बम्बई में किस रेट पर दे रहे हैं, यह मैं जानना चाहता हूं?

श्री ए० सी० चौधरीः स्पीकर साहब, टाटा का टोटल सिस्टम कामर्शियलाईज्ड हैं। वहा सबसिडी नहीं है। वहां पर गवर्नमैंट की तरफ से किसानों के लिए 20 परसैंट से भी नीचे टोटल सबसिडी है जबकि हमारे यहां किसानों को टोटल सबसिडी देते है। हम केवल 20 परसैट चार्ज करते हैं और 80 परसैंट सबसिडी है। मैं अपने भाई को इस बात से तसल्ली दे सकता हूं कि. पिछले साल 199 2– 93 में इसने बाहर से जो। पावर परचेज की, उसका बिल आया 325.56 करे करोड रुपए मौज 1993– 94 में जो बिजली परचेज की, उसका बिल आया 488.98 करोड़ रुपए यानि 1993– 94 का एक साल का 163.42 करोड रुपया एडीशनल आया जो हमने आउट साईड पार्टी को दिया। दूसरी बात यह है कि हमारी अपने रिसोर्सिज से 70– 80 लाख यूनिट से ज्यादा जनरेशन नहीं है। जो बिजली हम किसानों को देते हैं, उसके लिए जो एडीशनल.सप्लाई लेते है, उसका एक रुपया और 22 या 23 पैसा प्रति यूनिट एडीशनल देना पड़ता है। आलमोस्ट एवरेज में ओवर ट्राअल 50 लाख यूनिट से ज्यादा ही देते हैं। हम बाहर से जो एडीशनल बिजली ले रहे हैं, उससे बिजली बोर्ड को 60– 65 लाख रुपये पर–डे का घाटा है। उस लिहाज से वर्क आऊट करें, तो मुझे पूरा विश्वास है कि बिजली बोर्ड की

परफोरमैंस में या डैडीकेशन में या सरकार की नीयत में कहीं कमी नहीं है। हम किसानों के वैलफेयर के लिए कमिटिड हैं।

श्री किताब सिंहः अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी की यह बात ठीक हैकि किसानों को सबसिडाईज्ड रेट पर बिजली दी जा रही हैं लेकिन मंत्री जी बता रहे हैं कि किसानों को लगभग 60 परसैंट बिजली दी जा रही है इसलिए मैं इनसे जानना चाहूंगा कि कृषि क्षेत्र को बिजली देने के लिए आपके पास क्या माप तोल है क्योंकि कृषि क्षेत्र के लिए कोई अलग से फीडर नहीं हैं।

श्री ए० सी० चौधरीः स्पीकर साहब, एक और बात मैं राम बिलास शर्मा जी को बताना चाहूंगा। पहले मुझे याद नही रहा। भूल गया था टाटा का बम्बई के सब–अर्चन एरिया में 2.25 रुपए से लेकर 5.50 रुपए प्रति यूनिट तक का रेट हैं और हुमारे यहां 50 पैसे बृनिट से लेकर 2 रूपए 25 पैसे का रेट है। उसका हम क्या मुकाबला करेंगे? माननीय सदस्य श्री किताब सिंह मलिक ने पूछा है कि कृषि क्षेत्र को बिजली देने के लिए क्या माप तोल है। क्या मैय्यर है? स्पीकर साहब, हमारे पास फाईनैंस की मजबूरी है, नहीं तो शायद किसी को गिला नहीं होने देते और पूरी तरह से मीटर लगा देते। सीधी सी बात यह कि जैसे मैंने एक दिन में 363 लाख यूनिट बिजली सप्लाई की, उसके अगेंस्ट इंडस्ट्रियल, कामर्शियल और रैजीडैशियल परपज के लिये जो मीटर सप्लाई है, अगर वह 160 लाख यूनिट है तो आटोमैटीकली किसानों को 203

लाख यूनिट एक दिन में की गई है। हमारे पास यही उसका माप–दण्ड है।

डा० राम प्रकाशः स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि अगर टाटा बिजली की सप्लाई बम्बई के सबअर्बन एरिया में इसलिए कर पा रहा है कि वह कामर्शियल स्केल पर है तो क्या हरियाणा के पांच बड़े शहरों को जहां पर कारखाने ज्यादा हैं, जैसे फरीदाबाद, गुड़गाँव, यमुनानगर, पानीपत और हिसार, इनकी बिजली की सप्लाई का काम प्राईवेट हाथों में देने के लिए सरकार विचार करेगी ताकि इनकी सप्लाई से जो घाटा है, उससे बचा जा सके। मैं मंत्री जी के नोटिस में यह भी लाना चाहूंगा कि किसानों को जितने घंटे बिजली दी जाती है सरकारी कर्मचारी उससे ज्यादा घंटे बिजली दी गई बताते है। मैं मती जी से जानना चाहूंगा कि क्या लाइनमैन के लिए यह जरूरी करना मुनासिब समझेंगे कि वह गांव के सरपंच से इस बात को तसदीक कराए कि कितने घंटे बिजली सप्लाई की गई है? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी हरियाणा प्रदेश के किसानों को पंजाब प्रदेश के रेट के बराबर बिजली देने का प्रावधान करेंगे और क्या वालैटरी डिस्कलोजर स्कीम लागू करके जो कहीं–कहीं झगड़े हो जाते हैं, उनको समाप्त करने की कोई बात सोची जाएगी?

श्री ए० सी० चौधरीः स्पीकर साहब, मेरे भाई ने पांच बड़े शहरों में बिजली की सप्लाई प्राईवेट हाथों में देने के बारे में

पूछा है। मैं अपने भाई को बताना चाहूंगा कि फरीदाबाद की इंडस्ट्रियलिस्टस एसोसिएशन ने परमिशन मांगी थी कि हम इंडस्ट्रियलिस्ट्स अपना यूनिट लगाना चाहते हैं। हमारी सरकार बनते ही पहले दिन मुख्य मंत्री ने उनसे कहा कि आप अपना यूनिट लगाओ, हम आपको परमिशन देते हैं। आज इस बात को तीन या साढ़े तीन साल हो गए अब वे बैक–आउट कर रहे हें क्योंकि कोई भी उसको चला नहीं पा रहा हैं। मैं टाटाज का सिस्टम विजिट करने गया था स्टडी करने के लिए वहां पर जब मैंने उनसे बात की तो कहने लगे कि यह तो. एक ऐसा सिस्टम है, जिसकी तरफ हम जिन्दगी भर आअगे ही नहीं। कन्सलटेंसी के जिए जरूर आफर दी हैं क्योंकि यहां की स्थिति को देखते हुए वे इन्डीबिजुल सीटिज में भी काम करने के लिए तैयार नही हैं। यदि आनरेबल मैम्बर्ज के पास कोई ऐसी प्रस्तावना हो तो सरकार उन्ह पर पूरी सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए इमदाद भी देगी बशर्ते वह एक बौडी के तौर पर आए। इसमें कोई शक नहीं कि ग्रेसी शिकायतें आती हैं बिजली 8 घंटे की बजाये वह 8 घंटे आ रही है। ऐसी मेरे पास भी शिकायतें आयी है। इस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि पिछली रबी की फसल के दौरान मुख्य मैले। महोदय ने कहा कि एग्रीकल्चर सैक्टर में बराबर 8 घंटे बिजली दी जाएगी और हमने यह हिदायत कर रखी है कि यदि किसी जगह पर किसी टैक्नीकल फाल्ट के'। बजह से कोई ब्रेक डाउन होता है तो अगले दिन उस कमी को पुरा किया जायेगा। जहां तक फील्ड स्टाफ की जिम्मेवारी फिक्स करने की बात है, इसमें ऐसा है कि

6754 गांव हैं। यदि हम लाइनमैन की डियूटी सरपंच से लिखवाने की लगाने लगे, तो उससे एडमिनिस्ट्रेटिव समस्याएं आ जाएंगी और जब हम चौंकिग के लिए जाएंगे तो वह यहीं कहेगा कि सरपंच के पास गया था जिससे कन्ज्यूमर्ज को भी परेशानी होगी और उसका भी नुकसान होगा। सरकार इसके लिए फिर भी सोच लेगी कि किस तरीके से इस प्रोब्लम का निवारण हो सकता है।

श्री कृष्ण लाल: अध्यक्ष महोदय, मेरे पास ऐसे बहुत सारे बिल है, जिनमें लोगो को झूठे नाम से बिल जारी किए गए है जबकि उनको बिजली का कुनैबशन नही दिया गया है। यह एक बिल बी–263 है, इसका अमांउट 3350 रुपये है। मैं जानना चाहता है कि ऐसे गलत विल भेज कर अब तक कितना पैसा इकट्ठा किया गया है?

श्री अध्यक्ष: यह इयरैलेबट कवैश्चन है आप बैठिये। नैक्सट क्वैश्चन।

Allotment of New Buses

***874. Prof. Chhattar Singh Chauhan :** Will the Minister of State for Transport be pleased to state—

(a) the total number of new buses of Haryana Roadways allotted to each depot in the State during the period from July, 1991 to date ; and

(b) the depot-wise number of buses replaced in place of damaged buses during the period as referred to in

part (a) above ?

परिवहन राज्य मंत्री (श्री बलबीर पाल शाह):

''क'' भाग का उतर			''ख'' भाग का उतर
क्रमांक	डिपो का नाम	जुलाई 1991 से अब तक अलाट की गई नई बसों की संख्या	जुलाई 1991 से अब तक नकारा घोषित की गई बसों को नई–बसों से बदला गया, की संख्या
1	2	3	4
हरियाणा राज्य परिवहन		बदली गई बसें	
1.	अम्बाला	97	85
2.	चण्डीगढ	149	104
3.	करनाल	108	75
4.	जीन्द	83	75
5.	कैथल	82	70
6.	सोनीपत	80	49
7.	यमुनानगर	107	92

8.	कुरूक्षेत्र	91	67
9.	पानीपत	22	15
10.	दिल्ली	178	154
11.	गूडगावां	93	87
12	रोहतक	90	83
13.	हिसार	60	58
14.	रिवाड़ी	80	80
15.	भिवानी	40	40
16	सिरसा	63	63
17.	फरीदाबाद	111	97
18.	फतेहाबाद	50	37
19.	चरखी दादरी	35	31
	कुल	1619	1362

10—00 बजे

प्रो० छतर सिंह चौहानः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मान नीय मस्ती महोदय से यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने अलग—अलग डिपोज में जो नई बसें दी हैं, उनखा

क्राईटेरिया क्या हैं? अध्यक्ष महोदय जहां तक भिवानी में बसे देने का सम्बन्ध है, भिवानी और दादरी में सबसे कम बसें दी गई है, जबकि पानीपत में नई बसे ज्यादा दी गई हैं। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरी प्रार्थना है और पिछली बार भी मैंने हाउस में कहा था कि दादरी मां, मिवानो की ज्यादातर बसे टूटी–फूटे। हैं और खराब खडी हु ई अक्सर रोडस पर मिलती हैं, जिसकी वजह से लोगों को आने–जाने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि उनके पास आने–जाने का के अन्य साधन नहीं है। दादरी और भिवानी के डिपोज में बसों की मेनटेनैसं दूसरी जगहों की मेनटैनैसं से पुअर है (विध्न) अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि इन डिपोज की मेनटेनैसं ठीक नहीं है जिसकी वजह से बसें ठीक नहीं चल पा रही हैं। मल्टी महोदय इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कर रहे हैं, कृपया बताने का कष्ट करें?

श्री बलबीर पाल शाहः अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से अपने माननीय साथी को यह बतान चाहूंगा कि जबसे चौधरी' भजन लाल के नेतृत्व में यह सरकार बनी है, कई क्रान्तिकारी कदम उठाए गए है। दूसरे। बात मैं इनको यह बताना चाहता हूं कि हमने किसी के साथ किसी प्रकार की कोई भेदभाव की नीति नहीं अपनाई है। कहा तक बसों की रिप्लेसमैंट का सवाल है, जो बसें 8 साल का समय पूरा कर लेती हैं या 6 लाख किलोमीटर चल जाती हैं, उनको रिप्लेस करते हैं। इससे

पहले अगर किसी मुख्य मन्त्री ने अपने किसी हल्के में ज्यादा बसें लगा ली थीं, तो उनकी रिप्लेसमैंट तो तभी होगी जब उनकी रिप्लेसमैंट का नम्बर आएगा। अध्यक्ष महोदय, आज स्टेट में जो बसों की स्थिति. है, उसके बारे में भी मैं हाउस में बताना चाहता हूं कि स्टेट में फ्लीट की ऐवरेज लाईफ 4 साल 15 दिन है। जहां तक दादरी और भिवानी का सम्बन्ध है, कहा की जो ऐवरेज लाईफ है, वह 4 साल 2 महीने हैं। इस प्रकार मैं समझता हूं कि इसमें कोई डिफरैंस नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं इनको यह भी बताना चाहता हूं कि भिवानी डिपो में 210 बसें थीं और जब दादरी नया डिपो बना तो दोनों में कुल मिलाकर 230 बसें थीं। आज भिवानी और दादरी दो नो डिपोज की बसों को जोड़ दिया जाए तो आज की स्थिति में भिवानी डिपो में 149 और दादरी डिपो में 121 यानी कुल मिलाकर 270 बसें बनती हैं जबकि हिसार जो कि मुख्य मन्त्री जी का अपना एरिया है, वहां हिसार में 1990– 91 में 227 बसें थीं जबकि अब 223 बसे हैं। इसी तरह से चण्डीगढ़ डिपो, जिसमें कालका भी कवर–अप दोता है, और कालका चन्द्र मोहन जी का हल्का है, चण्डीगढ़ डिपो में 1990–91 में 266 बसें थी और अब 243 बसें हैं। इस प्रकार किसी से भेदभाव का कोई सवाल ही नही ई। अष्यक्ष महोदय, जितना भी जरुरत होता है, उसकी रिप्लेसमैंट की जाती है। जहां तक सवाल रिप्लेसमैंट और मेनटेनैस का है, उसके ऊपर भी हम पूरा ध्यान दे रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि जो बसों की पहले पासिंग होतो थी, वह बरो में बैठे हो जाती थी।

लेकिन अब हमने सख्त हिदायतें दी हैं कि जब तक बसें पूरी तरह से सड्कों पर न उतरें तब तक बसें पास न की जाएं। अगर यात्रियों की तरफ से कोई कम्पलेंट आई तो उसके लिए आर टी. ए. और एम .वी आई. जिम्मेवार होगें।

श्री रमेश कुमारः अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने जो लिस्ट हाउस के अन्दर पेश की है, ये उसको बहुत ही अच्छे ढंग से पेश करने में माहिर हैं। सोनीपत जिले में इन्होंने 80 बसें अलाट की और 49 बसें रिप्लेस की हैं। लेजिन सोनी–पत जिले में तीन सब–डिपोज गोहाना, गन्नौर और मूरथल हैं। इमें में से गोहाना सब–डिपो में एक भी नई बस नहीं लगाई गई है। अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जीं ने क्हा है कि 8 साल पूरा करने के बाद बसें बदल दी जाती हैं लेकिन वहां पर 8 साल पूरे होने के बाद भी बसे नहीं बदली हैं। मंत्री जी यह बताए कि इसका क्या कारण है?

श्री बलबीर पाल शाहः अध्यक्ष महोदय, जहां तक रिप्लेसमैंट की बात है, मैंने पहले हो बता दिया है कि हम इस बात की ओर पू रा ध्यान दे रहे हैं और आगे भी दिया जाएगा। अब हमने डिपोज में वाशिंग प्लांट्स लगा दिए हैं। आपने भी देखा होगा कि पहले से बसों मैं अब ज्यादा सफाई है। जहां तक नई बसें लगाने की बात है, यह बात तो डिपो के जनरल मैंनेजर पर डिपैडं करतीं है कि वह कौन सो बस को कहां के लिए लगाता है और कौन से सब–डिपो को कौन सी बस देता है। लेकिन मैं इनको बतान चाहता हूं कि एक्सप्रैस बसें जो लौंग रूट पर च लती

हैं, उनके लिए तनि साल रखे हुए हैं। हमने यह इस लिए रखे हुए हैं ताकि हरियाणा की छवि खराब न हो और उनको तीन साल के बाद 'हम स्टेट के अन्दर ही लगा देते हैं। अगर आपके डिपो से बसें नहीं चलती हैं तो वहां पर बाहर से बसें आती होंगी और सवारियों को वहां से ले जाती होंगी। मैं एक बार फिर कहता हूं कि हम रिपेयर के लिए पूरी तरह से सजग हैं। हमने करनाल में टैलको डिपोज के लिए सैडन वर्कशाप बना दो है और हिसार में भी लेलैण्ड की वर्कशाप खोलने जा रेह हैं। आगे से आपको यइ इन्फर्मेशन टिप्स पर मिल जाया करेगी और आने वाले वक्त में आसानी रहेगी।

चौधरी सूरजभान काजलः अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो नई प्राईवेट बसों को परमिट दिए गए हैं, उन पर सरकार का कितना कंट्रोल है? इनको परमिट देने के बाद गांवों से रोडवेज की बसें तो हटा ली गई हैं और ये प्राईवेट बसें गांवों में जाती नहीं हैं, वे भी लौंग रूट पर ही लगी हुई हैं जिससे हरेक गांव के लोगों को दिक्कत होती है और वे बेचारे रोज दो–दो, चार–चार किलोमीटर पैदल चलकर जाते हैं और बस स्टैन्डज पर बैठे रहते हैं।

श्री बलबीर पाल शाहः स्पीकर सर, वैसे तो इस प्रश्न का मूल प्रश्न से कोई ताल्लुक नहीं है। फिर भी मैं अपने साथी को जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में हमने यह क्रांतिकारी कदम उठाया है और इस कदम

की जरूरत भी पड़ी है। जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इस साल प्लानिंग कमीशन ने हमारे ऊपर यी बैन लगा दिया कि आपको इस साल बसों का बेड़ा बढ़ाने की इजाजत नहीं दी जाएगो बल्कि सिर्फ रिप्लेसमैंट की ही इजाजत दो जाएगी। इस साल जितनी भी बसे डाली जाएगा, तो वह सिर्फ रिप्लेसमैंट के तौर पर ही डाली जाएंगी। हमने इन बसों वो बड़ाने की मांग को देखकर और बेरोजगार लोगों को रोजगार देने के लिए इस तरह का फैसला किया ताकि हमीर जो पढ़ूं लिखे नौजवान आज बेकार है, उनको यह सुविधा मिल जाए और वह बसों का परमिट लेकर अपने–अपने रुटो पर बसें चलायें। जिन रूटों पर उन नौजवानों ने अपनी बसिज चलाई है उन रूटों पर हमने अपनी वसें विदड्रा कर ली हैं। लेकिन मैं माननीय सदस्य कौ बताना चाहूंगा कि इन पर हम प्रा नियन्त्रण करेंगे। अभी तक केवल 200– 250 बसें ही रूटों पर आई हैं जबकि 1000 रूटों पर बसों के परमिट दे दिए गए हैं। बाकायदा हर रूट पर बसिज सही चलेंगी। फिर भी मैं इनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर कोई बस के बारे में इनको स्पैसिफिक शिकायत है तो यह हमें लिखकर दें। हम उसको देखेंगे। परन्तु मेरे ख्याल से हरियाणा के लोग इन बसों से बहुंत खुस हैं, इसलिए हमारे पान अभी और बसिज बढाने की मांग आ रही है कि और परमिट इशू किए जाएं।

MORAL EDUCATION

***893. Dr. Ram Parkash :** Will the Minister for Education be pleased to state whether there is any proposal

under consideration of the Government to make the Moral Education as a compulsory subject in the Government schools, Govt. aided private schools and non Govt. aided private recognised schools in the State?

शिक्षा मन्त्री (श्री फूल चन्द मुलाना): विद्यालयों में नैतिक शिक्षा पहले से ही प्रतिदिन दी जा रही है।

डा० राम प्रकाश: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न नैतिक शिक्षा को अनिवार्य विषय बनाने के बारे में है। मंत्री जी ने जो अपने उत्तर में कहा है, उसमें कहीं उनका संकेत प्रातः कालीन प्रार्थना सभा में नैतिक शिक्षा की चर्चा करने के बारे में जो सर्कुलर है उससे तो नहीं है, क्योंकि उस पर तो अभी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। यहां तक कि स्कूलों में 'थौट फॉर दी डे' भी नही लिखा जाता। इसलिए मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या 1992 में शिक्षा विभाग न प्राईमरी, मिडल और हाई क्लासिज के लिए नैतिक शिक्षा के सिलेबस की कोई रूपरेखा बनायी थी जिसके साथ स्पोर्टिंग मैटीरियल नहीं था? क्या इस रूपरेखा को लागू करने और स्पोर्टिंग मैटीरियल तैयार करने के लिए नैतिक शिक्षा के लिए सरकार कोई कदम उठाएगी? इसके अलावा सरकार को स्कूलों में सप्ताह में कम से कम नैतिक शिक्षा के दो पीरियड भी लगाने चाहिएं और इस विषय की परीक्षा भी ली जानी चाहिए। इस विषय में पास होना छाके के लिए अनिवार्य कर देना चाहिए और इस विषय के फाईनल रिजल्ट में नम्बर भी जोड़े जाने चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योकि अगर

सरकार ने ऐसा किया तो इससे आपको भी सुबिधा हो जाएगी। सदन में भी काफी गैर– संसदीय शब्दों का प्रयोग होता है। ऐसा होने से यह कुछ कम हो जाएगा। जिस तरह से कविता पाठ, वाद–विवाद और खेलों के मूकाबले होते हैं, क्या सरकार नैतिक शिक्षा के बारे में उसी तरह के मुकाबले कराएगी ताकि जो हमारा सांस्कृतिक धरातल है उसको ऊँचा उठाया जा सके। क्या नवी जी इन सब बातों के बारे में कोई आश्वासन देंगे?

श्री फूल चन्द मुलानाः अध्यक्ष महोदय, आदरणीय सदस्य ने टीक ही समझा है। मेरा इशारा उस तरफ ही है कि हम मार्निंग असेम्बली में प्रेयर के बाद ही नैतिक शिक्षा पर शिक्षकों से और प्रबुद्धशाली छातों से भाषण भी दिलवाते, है और सरकार की हिदायतो के मुताबिक प्राईमरी और मिडल स्कूलों में यह पाठ्यक्रम की पुस्तिका के माध्यम से हिदायतें जारी की गयी हैं। साथ ही इस विषय के सिलेबस के कुछ चौप्टर भी लगाये गये है। मुख्य मंत्री जी ने भी हिदायत दी है कि इस विषय के कुछ नम्बर भी रखे जाने चाहिए। मैं डा० राम प्रकाश जी को आश्वासन देना चाहूंगा कि हमने माध्यमिक शिक्षा के बारे में जो हमारा ऐजुकेशन वार्ड है उसको हिदायतें दे दी हैं कि वह नैतिक शिक्षा का सिलेबस बनाये और इसके कुछ नम्बरों को पेपरों में भी समायोजित करें ताकि बच्चों के लिए यह अनिवार्य हो जाए कि वह मौरल शिक्षा का प्रश्न पढ़ें और जब उनका इम्तिहान हो तो उसमें कुछ नम्बरों का न मोरल शिक्षा का भी पेपर हो।

Basic Education Project

***880 Shri Jai Parkash :** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) whether the State Government has submitted a project document of the Basic Education Project to the Union Government for seeking of World Bank Assistance;

(b) whether the said project has been forwarded to the World Bank; and

(c) if not, the reasons therefor ?

Education Minister (Shri Phool Chand Mulana) :

(a) No project document titled .Basic Education Project' has been submitted to the Union Government for seeking World Bank Assistance. However, the State Govt, has submitted a project document captioned as 'the District Primary Education Programme to the Union Govt.

(b) The Central Govt. has forwarded the project document for the District Primary Education Programme to the World Bank.

(c) The question does not arise.

श्री जय प्रकाशः स्पीकर सर, मैं शिक्षा मती जी से जानना चाहूंगा कि प्राईमरी एजुकेशन प्रोगाम के मूख्य उद्देशय क्या हैं और किन–किन डिस्ट्रिक्ट में चलाया जाएगा। इसमें डिस्ट्रिक्ट के नाम भी बताने की कोशिश करें। इस का क्या आधार लिया गया हे?

श्री फूल चंद मुलानाः अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रौजैक्ट है, जिसका मैंने चर्चा किया शै ''डिस्ट्रिक्ट प्राईमरी एजुकेशन प्रोग्राम'' यह 107 करोड़ का प्रोजैक्ट है, यह फेजिज में चलेगा। फिलहाल उन जिलों में जहां महिलाओं की शिक्षा की दर बहुत कम है, यानी कि लोएस्ट है, वहां यह प्रोग्राम चलेगा। इसमें चार जिले शामिल हैं। कैथल में 28.37, जींद में 30.12, हिसार में 32. 12 और सिरसा में 34.02 महिलाओं की शिक्षा की दर है। इन चार जिलों को शामिल किया गया है। इस योजना का जो उद्देश्य है, उसमें प्राईमरी शिक्षा में सुविधाओं को बढ़ाना है। उस ओर विशेष ध्यान देकर उन लड़कियों को जो अनुसूचित जाति और कमजोर वर्गों से संबंधित हैं उन्हें सुविधा देना तथा दूसरे जो ड्राप आउट हैं, छोड्कर चले जाते हैं, उन की दर को कम करना है। जो शिक्षा में उपलब्धि है इस में सुधार करना और ऐसी सुविधाएं जैसे कमरे, शौचालय, फर्नीचर उपलब्ध करवाना है। छः से ग्यारह वर्ष के बच्चों को, जो स्कूल गोइंग हैं, उनको दाखिला दिलवाना इसका उद्देश्य है।

श्री जय प्रकाशः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह भी जानना चाहूंगा कि वर्ल्ड बैक ने इस प्रोजैक्ट के क्या दिशा निर्देश निर्धारित किए हैं, वह बताने का कष्ट करें इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सरकार क्या पग उठा रही है?

श्री फूल चंद मुलानाः अध्यक्ष महोदय, वर्ल्ड बैक को अभी यह प्रोजैक्ट सबमिट किया गया है। वर्ल्ड बैक ने यह दिशा

निर्देश दिया है कि यह पैसा गवर्नमैंट आफ इंडिया को लोन के तौर पर मिलेगा। आपको यह जानकर हर्ष होगा कि केवल हरियाणा, आसाम, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडू और महाराष्ट्र स्टेटस ने वर्ल्ड बैक को यह प्रोजैक्ट सबमिट किया है जिनमें हरियाणा के प्रौजैक्ट को सबसे बड़ा कंसीडर किया गया है और वर्ल्ड बैंक ने इसके लिए अभी 50 लाख रुपये की राशि प्रोजैक्ट की एक्टिविटिज के लिए भेजी है। हमने प्रौबैक्ट की एक्टिविटीज शुरू कर दी हैं। दिशा निर्देश आएगे। इस प्रौजैक्ट को दिशा उनके अनुसार दी जाएगी।

श्री हरि सिंह नलवाः अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान मे यह प्रोविजन है और हमारे सुप्रीम कोर्ट की तीन–चार रिकमैंडेशंन भी आ चुकी हैं कि सारे देश के अन्दर बेसिक एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन कंपल्सरी दी जाए और जो बच्चे इस देश में पैदा हुए हैं, यह उनका लीगल राईट भी बनता है और सरकार का यह दायित्व भी बनता है कि 14 सारन तक की उम्र के बच्चों को फ्री एजूकेशन दे और वह भी ला के अनुसार। इसके बारे में मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि वे इस पर रोशनी डालें कि इस कानूनी नुक्ते को मद्देनजर रखते हुये हमारे शिक्षा विभाग का क्या नजरिया है? बेसिक ऐजुकेशन का जो बर्ल्ड बैक का प्रोजैक्ट है, क्या सरकार इस मुद्दे को भी उसमें शामिल करने का विचार रखती है? अगर ऐसा है तो कब तक सरकार इसको मजबूती से लागू कर पाएगी?

श्री फूल चन्द मुलाना: अध्यक्ष महोदय, प्राइमरी शिक्षा के साथ–माथ, वैसे तो सारी शिक्षा ही आवश्यक है, मैं तो यह कहूंगा कि जिस किसी देश, समाज को पीछे रखना हो, तो उसे शिक्षा से वंचित कर दो। लेकिन सरकार का यह दायित्व बनता है, सरकार का यह फर्ज बनता है कि वह हर नागरिक को शिक्षा प्रदान करे। नलवा जी को यह मुनकर हर्ष होगा कि जो 6 साल से 11 साल तक के बच्चे हैं, जो स्कूल नहीं जाते, उनको स्कूलों में ले जाने का हमने पूरा प्रबन्ध ऐर रखा है। पंचायतों ने सैन्ट–परसैन्ट बच्चे दाखिल करवाए हैं और जिन पंचायतों ने, स्कूलों में पेरेन्टस के बच्चों को स्कूलों में सब से ज्यादा दाखिल करवाया है, उनको सरकार की तरफ से ईनामात भी दिये गये है। जो प्रौजैक्ट नलवा जी ने बताया है, उसी से सम्बन्धित चार उद्देश्य मैंने पहले ही पढ़कर सुनाये हैं और उनमें यह प्रोजैक्ट भी शामिल है और सरकार इस दायित्व को पूरी तरह से निभाने में उत्सुक है और निभाएगी भी। बच्चे गांवों में बिना शिक्षा के नहीं रहेंगे।

Laying of Sewerage System in Harijan Colonies

***903 Shri Ram Kumar Katwal :** Will the Minister for Public Health be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Govt. to lay the sewerage system in Harijan Colonies in the State; if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to be materialised ?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री रामपाल सिंह कंवर): हरियाणा सरकार ने 40 शहरों में मल निकास प्रणाली, जो पहले से ही चल

रही है, के सेवा स्तर को सुधारने की योजना बनाई है और इस सेवा स्तर को आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 80 परसैंट तक प्रदान किया जाना है। शहरों की हरिजन बस्तियों में जहां भी मल निकास प्रणाली चल रही है, अन्य क्षेत्रों के साथ–साथ पूरी की जा रही है। अन्य चार शहरों में, मल निकास प्रणाली का कार्य प्रगति पर है और इन शहरों की हरिजन बस्तियों और उसके आस पास के क्षेत्र का कार्य भी इसके साथ–साथ पूरा कर लिया जायेगा। इस कार्य की पूरी सफलता धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर होगी।

श्री राम कुमार कटवालः अध्यक्ष महोदय, इन्होने जो अपना उतर दिया हैं, मैं उससे सन्तुष्ट नहीं हूं क्योंकि इस सरकार का ज्यादा ध्यान शहरों की तरफ है। गांवों की तरफ इस सरकार का कोई ध्यान नही जा रहा है। गांव में कोई सीवरेज सिस्टम नहीं है। हमारी बहू–बेटियों को बाहर जंगल–पानी के लिये टूर–दूर जाना पड़ता है जोकि सेफ नहीं है। अगर कहीं पर लैट्रीन है तो छत नहीं है। मेरे हल्के में खाड़ा गांव है। वहां पर लैट्रीन है लेकिन उस की छत नहीं। क्या सरकार गाँवों में भी शहरों जैसी सीवरेज का प्रबन्ध करने का प्रयत्न करेगी?

(इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री सुरजीत कुमार धीमानः अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि नारायण गढ में सभी 'जगह सीवरेज है,

लेकिन तीन हरिजन बस्तियों में इसकी व्यवस्था नहीं है। वहां पर सीवरेज की व्यवस्था कब तक कर दी जाएगी?

श्री राम पाल सिंह कंवरः स्पीकर साहब, मैंने अभी बताया है कि हमारे पास 40 शहर पहले से ही हैं और 4 नए टेक–अप किए हैं। इन शहरों में पहले से ही यह सिस्टम चल रहा था। उसको सुधारने के लिए, यानी उसमें जो कमी है, उसको पूरा करने के 'लिए हमारे पास जैसे–जैसे बन उपलब्ध हो रहा है, उसके मुताबिक वह कार्य हम कर रहे है। आठवी पंच वर्षीय योजना के अन्दर हमने इसको पूरा करने का निश्चय किया है लेकिन सवाल धन उपलब्ध होने का है। हमने आठवी पंच वर्षीय योजना का निशाना बनाया था उसके मुताबिक हमें 29 करोड़ रुपए की जरुरत है। उसमें से अब तक दो साल में हमें 9.70 करोड़ रुपया मिला है। इसके अलावा इस कार्य को पूरा करने के लिए अगले तीनै सालों के अन्दर हमें 60 करोड़ रुपए की और जरुरत है। इसमें से 20 करोड़ रुपया तो प्लान बजट में से आएगा और 40 करोड़ रुपया म्युनिसिपल कमेटीज ने हमें देना है। इस काम को पूरा करने के लिए यदि यह धन उपलब्ध हो जाएगा तो अवश्य ही हम इसको पूरा कर देंगे। इसके अलावा इन्होंने कहा कि कुछ जगहों पर हरिजन बस्तियो मैं यह कार्य नही हो रहा है। मैंने अभी बताया है कि जिन शहरों मे काम चल रहा है, वहां हरिजन बस्तियों में भी यह कार्य किया जाएगा।

Setting up of Sugar Mill at Assandh

***896. Shri Krishan Lal :** Will the Minister for Cooperation be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to set-up a Sugar Mill in Cooperative Sector at Assandh, Distt. Karnal ; and

(b) if so, the time by which the afore said Sugar Mill is likely to be set up ?

सहकारिता मंत्री (श्रीमती शकुन्तला भगवाडिया):

(क) जी नहीं।

(ख) सवाल ही नहीं उठता।

श्री कृष्ण लालः स्पीकर साहब, बहिन जी ने मेरे प्रश्न के उत्तर में कह दिया कि जी नहीं। सवाल ही नही उठता। अब प्रदेश में नए शूगर मिल लगाने के लिए सरकार भाग रहीं है। प्रदेश के अन्दर यह भी चर्चा है कि पानीपत के सहकारी मिल को उठाया जा रहा है जबकि सरकार कहती है कि चीनी उत्पादन में हम बढ़ावा देगें। मित्र उठाने से चीनी को बढावा कैसे मिलेगा? ये तो शराब को बढ़ावा देना चाहते है। इससे पूर्व सरकार ने असंध के अन्दर चीनी मिल लगाने के 'लिए प्रावधान किया था और गवर्नमैंट आफ इंडिया को केस भेजा था। मैं जानना चाहता हूं कि उसकी क्या स्थिति है?

श्रीमती शकुन्तला भगवाड़ियाः स्पीकर साहब, इसके लिए लाईसेंस राज्य सरकार नहीं देतो बल्कि भारत सरकार देती है।

राज्य सरकार ने 21–3– 91 को असंध में चीनी मिल लगाने के लिए प्रार्थना पत्र भेजा था। क्योंकि उस एरिया में गन्ना उपलब्ध नहीं था यानि कम उपलब्ध था इसलिए भारत सरकार ने 22–6–93 को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में यह लाइसैसं रद्द कर दिया।

तारांकित प्रश्न संख्या 910

यह प्रश्न पूछा नहीं नया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री के० एल० शर्मा सदन में उपस्थित नहीं थे।

Self Financing Scheme, 1993

***920. Prof. Sampat Singh :** Will the Minister for Power be pleased to state--

(a) the total number of tubewell connections released during the years 1993-94 and 1994-95 todate in the State ;

(b) whether the Haryana State Electricity Board has introduced a new scheme namely "Self Financing Scheme 1993" for releasing tubewell connection on priority basis; if so, the details thereof ;

(c) the total number of persons applied for tubewell connections under the scheme as referred to in part (a) above together-with the total amount received therefrom, so far: and

(d) the total number of of connections released

under this Scheme till to-date ?

Power Minister (Shri A .C. Chaudhri) :

(a) 4234 and 955 new tubewell connections were released during 1993-94 and 1994-95 (ending July) respectively.

(b) Yes sir, with effect from 10.11.1993, "Self Financing Scheme 1993" was introduced for release of tubewell connections with the following features : —

(i) Earnest Money @ Rs. 200/- per BHP subject to a minimum of Rs, 1000/- per application which shall be ultimately adjusted against the cost of service line.

(ii) The cost of entire service line (inclusive of HT/LT line and service cable) @ 50/- per meter subject to a minimum of Rs. 2000/- (non-refundable).

(iii) Transmission charges @ Rs. 1000/- per BHP (interest free) adjustable against energy bills after 5 years from the date of deposit.

(c) 3328 persons have applied for release of tubewell connections under this scheme and a total amount of Rs. 3.26 crores has been received thereof.

(d) Ending July, 1994, 805 tubewell connections under this scheme were released.

Mr. Speaker : Questions Hour is over

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Project by the National Scheduled Castes and Scheduled Tribes
Finance and Development Corporation

***924 Sathi Lehri Singh :** Will the Minister of State for welfare of Scheduled Castes and Backward Classes be pleased to state the details of scheme, if any, implemented/being implemented through the National Scheduled Castes an I Scheduled Tribes Finance and Development Corporation for the Welfare of S.C. & S T. during the years 1991-92, 1992-93 and 1993-94 in the State ?

अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण राज्य मत्री (चौधरी जोगिन्द्र सिह): विवरण विधान सभा पटल पर रखा है।

विवरण

राष्ट्रीय सनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति वित्त एवं विकास निगम ने हरियाणा राज्य में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के कल्याण के लिए हरियाणा हरिजन कल्याण निगम की निम्नलिखित छः स्कीम अनुमोदित की है

1 कृषि भूमि तथा दो भैंसे खरीद स्कीम।

2. फोटोस्टेट मशीन खरीद स्कीम।

3. थ्री व्हीलर (डीजल) खरीद स्कीम।

4. डा ० अम्बेडकर व्यापार योजना।

5. हल्के वाणिज्यिक वाहन खरीद स्कीम।

8. दवाईयों की दुकान खोलने हेतु स्कीम।

स्कीमवार विवरण निम्न प्रकार है:—

1. कृषि भूमि तथा दो भैस खरीद स्कीम

हरियाणा हरिजन कल्याण निगम ने अनूसूचित जाति के भूमिहीन कृषि श्रमिकों को 2 एकड़ कृषि भूमि तथा दो भैंसे खरोदने के लिये ऋण प्रदान करने हेतु यह स्कीम अपनाई है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति वित्त तथा विकास निगम ने यह स्कीम वर्ष 1991—92 में स्वीकृत की थी। इस योजना की कुल लागत तथा वित्तीय प्रणाली का विवरण निम्न है रू—

कुल योजना लागत	609.60 लाख रु०
कुल अनुसचित जाति के व्यक्तियों को संख्या जिन्हें यह सुविधा प्रदान की जानी है	480

योजना लागत :

(क)	कृर्षि भूमि की कीमत 50,000	1.00 लाख रु०

	/ रु० प्रति एकड़ व अधिक उपजाऊ व सिंचित होने पर 65,000/ रु० प्रति एकड़ की दर से डेढ़ एकड़ भूमि के लिये एक लाख रु० तक जो भी कम हो	
(ब)	दो भैसों एवं चारे हेतू	0.20 लाख रु०
(ग)	खाद एवं बीज आदि के लिए	0.07 लाख रु ०
	कुल	1.27 लाख रु०

वित्तीय सहायता के साधन/प्रणाली :

क्रम सं०	साधन	प्रतिशत हिस्सा	
1.	एन०एस०एफ ०डी०सी० का हिस्सा जो निगम को ऋण के रूप में	60	365.76 लाख रू०
2	हरियाणा हरिजन कल्याण निगम का हिस्सा (विशेष केन्द्रीय सहायता में से)	35	213.36 लाख रू०

3.	लाभभोगी का हिस्सा	5	30.48 लाख रू०
		5	609.60 लाख रू०

ब्याज की दर

इस स्कीम के अर्न्तगत हरियाणा हरिजन कल्याण निगम द्वारा छ प्रतिशत वार्षिक दर से ऋण दिया जाता हैं। कुल ऋण व ब्याज की वसूली 18 अर्ध वार्षिक किस्तों में 10 वर्षो में की जानॉ है। प्रथम वर्ष में केवल ध्यान की राशि वसूल की जाती है।

पात्रताः

1. आवेदक हरियाणा का स्थाई निवासी व अनूसूचित जाति का सदस्य हो।

2. उसकी पारिवारिक वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 22,000/ रु०तथा शहरी क्षेत्रों में 23,700/– रु० प्रतिवर्ष से अधिक न हो।

3. उसकी आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष के मध्य हो।

4. जमीन का विक्रेता अनुसूचित जाति का सज्जन हो।

लाभ भोगियों का चयनः

योग्य लाभपात्रों के चयन के लिये निम्न सदस्यों की समिति का गठन– किया हुआ है:

1. निदेशक, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण, विभाग हरियाणा।

2. प्रबन्धक निदेशक, हरियाणा हरिजन क्ल्याण नि गम।

3. प्रतिनिधि, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली।

4 संबंधित जिले का अतिरिक्त उपायुक्त।

5 संबंधित जिले में हरियाणा हरिजन कल्याण निगम का जिला प्रबन्धक।

वर्ष 1992– 93 तथा, 1993– 94 में लाभान्वित परिबारों की संख्या

निगम द्वारा वर्ष 199 2– 93 तथा 1 993– 94 में इस स्कीम के अन्तर्गत 48० लाभभोगियों के लक्ष्य से विरुद्ध 325 अनूसूचित जाति के व्यंक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करवाई गई तथा चालू विल वर्ष 1994– 95 में बाकी 155 अनूसूचित जाति के व्यक्तियों को ऋण देने का प्रस्ताव है। वर्षवार भौतिक व वित्तीय उपलन्धियां निम्न प्रकार है:–

(रु० लाखों में)

क्र० स०	वर्ष	लाभभोगियों की संख्या	वित्तीय सहायता
1	1992–93	151	184.31
2	1993–94	171	167.65
		325	351.96

2. फोटो स्टेट मशीन खरीद योजना

यह स्कीम वर्ष 1990– 91 में 50 अनुसूचित जाति के बेरोजगार युवकों को. 50,000/– रु० की दर से फोटोस्टेट मशीन खरीदवाने हेतु एन० एफ० डी० सी० दारा स्वीकृत की गई थो। रूस योजना के अधीन निगम द्वारा 10 अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को 4.69 लाख रु० का सीधा ऋण छः प्रतिशत वार्षिक दर पर प्रदान किया गया है।

इस स्कीम के अधीन एन०एस ०एफ ० डी आ ० द्वारा जो 50,000/– रु० यूनिट लागत स्वीकृत की गई थी, वह वाणिज्यिक दृष्टि से एक अच्छी मशीन खरीदने के लिए उपयुक्त नहीं पाई गई। फलस्वरूप यह स्कीम 20 अनुसुचित जाति के व्यक्तियों को 1.07 लाख रु ० प्रति मशीन की दर से ऋण प्रदान करने हेतु संशोधित करवाई गई। इस योजना के अन्तर्गत कुल योजना लागत तथा अन्य शर्तें निम्न प्रकार हैं:–

कुल योजना, लागत	21.40 लाख रु०
लाभभोगियों की सं०	20
प्रति ईकाई लागत	1.07 लाख रु०

वित्तीय स्त्रोत

1.	एन०एस०एफ०डी ०सी ० का हिस्सा हरिजन कल्याण निगम को ऋण के रूप में	60 %	12.84 लाख रू०
2.	हरिजन– कल्याण निगम का हिस्सा विशेष केन्द्रीय सहायता से	30 %	6.42 लाख रू०
3	लाभभोगियों का हिस्सा	10 %	2.14 लाख रू०
			21.40 लाख रू०

ब्याज की दरः

निगम इस स्कीम के अधीन छः प्रतिशत वार्षिक दर पर ऋण प्रदान करवायेगा जो कि व्याज सहित 20 त्रैमासिक समान किस्तों में वसूल किया जाना है। पहले छः महीनों में सिर्फ ब्याज की राशि वसूल की जानी है।

पात्रता

1. आवेदक अनुसूचित जाति से ही तथा हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी हो।

2. उसकी आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष के मध्य हो।

3. उसकी वार्षिक पारिवारिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 22. 000/– तथा शहरी क्षेके में 23,700/–रुपये से अधिक न हो।

4. आवेदक कम से कम 10वीं पास बेरोजगार यूवक हो।

लाभ भोगियों का चयन

पात्र आवेदकों से ऋण आवेदन पल प्राप्त करने हेतु स्कीम को विज्ञापित किया जा चुका है तथा इसके चयन हेतु इस स्कीम के अन्तर्गत निम्न सदस्यीय समिति का गठन किया हुआ है –

1 निदेशक, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा।

2 प्रबंधक निदेशक, हरियाणा हरिजन कल्याण निगम।

3 एन०एस०एफ०डी०सी० का प्रतिनिधि।

4. संबंधित जिले का अतिरिक्त उपायुक्त।

5. संबधित जिले का हरियाणा हरिजन कल्याण निगम का जिला प्रबंधक।

6. हारट्रोन का प्रतिनिधि।

3. थ्री व्हीलर (डीजल) खरीदने की स्कीमः

हरियाणा हरिजन कल्याण निगम ने अनूसूचित जाति के व्यक्तियों को थ्री व्हीलर (डीजल) खरीदवाने हेतु ऋण प्रदान करने बारे स्कीम अपनाई है। जिसकी वर्ष 1992–93 में एन० एस० एफ०डी०सी० से अनुमति प्राप्त हो चुकी है। इस स्कीम की कुल योजना लागत व वित्तीय स्त्रोतों का विवरण निम्न प्रकार है –

कुल योजना लागत	31. 50 लाख रु०
लाभभोगियों की संख्या	50
प्रति ईकाई लागत	0.63 लाख रु ०

वित्तीय स्त्रोत

(रु० लाखों में)

		प्रतिशत	प्रति इकाई	50 के लिए
1.	एन०एस ०एफ०डी ०सी ० का हिस्सा निगम को	70 %	0.44	22.00

	ऋण के रुप में			
2.	हरिजन कल्याण निगम का हिस्सा विशेष केन्द्रीय सहायता से	25 %	0.16	8.00
3.	लाभभोगी का हिस्सा	5 %	0.03	1.50
		100	0.63	31.50

ब्याज को दर

इस स्कीम के अधीन निगम द्वारा छः प्रतिशत वार्षिक दर से सीधा ऋण प्रदान करवाया जायेगा तथा ऋण की राशि ब्याज सहित साढ़े पांच वर्षो में त्रैमासिक किस्तों में वसूल की जायेगी जिस में छरू मास छूट की अवधि सम्मिलित है। ऋण वितरण की तिथि से ब्याज प्राप्त किया जायेगा।

पात्रता की शर्ते

1. आवेदक हरियाणा राज्य का स्थाई 'निवासी हो तथा अनुसूचित जाति से संबंधित हो।

2. उसकी आयु 18–45 वर्ष के मध्य हो।

3. उसकी पारिवारिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 22,000/– तथा शहरो क्षेत्रों में 23,700/– रु० से अधिक न हो।

4. वह कम से कम मिडल पास हो।

5. उसके पास दो साल पुराना वैध लाईसैसं हो।

6. वह बेरोजगार हो।

हिन्दी के मुख्य समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर ऋण आवेदन पत आमन्त्रित किये गये थे तथा इसी वित्तीय वर्ष 1994–95 में इस स्कीम के अन्तर्गत 44 लाभभोगियों का चयन किया जा चुका बै तथा उन्हें ऋण वितरित करने हेतु एन. एस. एफ. डी. सी. से उनके हिस्से की राशि मांगी हुई बै।

लाभभोगियों का चयन

योग्य लाभपात्रों के चयन हेतु निम्न सदस्यीय समिति का गठन किया हुआ है :

1. निदेशक, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा।

2. प्रबन्धक निदेशक, हरियाणा हरिजन कल्याण निगम।

8. संबंधित जिले का अतिरिक्त उपायुक्त।

4. एन०एस०एफ०डी० सी० का प्रतिनिधि।

5. परिवहन विभाग का प्रतिनिधि (उप परिवहन नियत्रक के पद से कम न हो)

6. संबंधित जिले का हरियाणा हरिजन कल्याण निगम का जिला प्रबन्धक।

4. डा० अम्बेडकर व्यापार योजना

हरियाणा हरिजन कल्याण निगम ने अनुसूचित जाति के व्यक्तियों. को प्लाट खरीदने, दुकान बनाने व व्यवसाय चलाने बारे कार्यशील पूंजी के लिये ऋण प्रदान करने हेतू स्कीम अपनाई है जिसका वर्ष 1991– 92 में' एन० एस० एफ डी०सी० ने अनुमोदन कर दिया था। योजना लागत व वित्तीय स्त्रोत निम्न हैं।

कुल योजना लागत	90.00 लाख रु०
लाभभोगियों की संख्या	200

इकाई लागत (कीमत)

1.	प्लाट की कीमत 50 वर्ग फुट की दर से	0.11 लाख रु०
2.	दुकान/शैड बनाने हेतु	0.15 लाख रु०
3.	कार्यशील पूंजी	0.19 लाख रु०
		0.45 लाख रु०

वित्तीय स्त्रोंत

(रु० लाखो में)

क्रमांक	स्त्रोत	प्रतिशत	प्रति इकाई लागत	200 यूनिटों के लिये
1.	एन० एस० एफ० डी० सी० का अवधि ऋण जो निगम को ऋण के रूप में	50	0.225	45.00
2.	एन०एस०एफ० डी०सी० का सीड कैपिटल ऋण	9	0.040	8.00
3.	हरिजन कल्याण निगम का हिस्सा जिसमें अनुदान राशि सम्मिलित होगी (विशेष केन्द्रीय सहायता से)	36	0.160	32.50
4.	लाभभोगी का हिस्सा	5	0.025	4.50
		100	0.45	90.00

ब्याज की दर

हरिजन कल्याण निगम द्वारा यह ऋण छः प्रतिशत बार्षिक दर ऋण के रूप में दिया जायेगा। अवधि ऋण की वसूलो

साढ़े आठ वर्षो में त्रैमासिक किस्सों में की जायेगी तथा ब्याज ऋण वितरण की तिथि से लागू होगा।

सीड कैपिटल जो कि 1 प्रतशित सर्विस चार्जिज पर देय है, की वसूली पांच वर्षो में त्रेमासिक किस्तों में को जायेगे। पांच वर्षो में एक साल छूट का भी शामिल है

पात्रता की शर्ते

1. लाभभोगी हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी हो तथा अनुसूचित जाति से संबंधित हो।

2. उसकी आयू 18 वर्ष से 45 वर्ष के मध्य हो।

3 वह संबंधित व्यवसाय में प्रशिक्षण प्राप्त हो या भली प्रकार से कार्य प्रणालो से परिचित हो।

4. उसकी पारिवारिक वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 22,000/– रु० तथा शहरी क्षेत्र मे 23,700– रु० मे अधिक न हो।

5. वह कम से कम आठवीं पास हो ताकि वह अपना हिसाब किताब रख सके।

लाभभोगियों का चयनः

ऋण आवेदन पत्र हिन्दी के मुख्य समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर आमन्त्रित कितु जाने हैं। इस स्कीम के अन्तर्गत 27 अनुसूचित जाति के सदस्यों को ऋण प्रदान करने हेतू चयन किया

जा चुका शै। जिन्हें ऋण देने बारे आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं।

योग्य लाभपात्रों को चयन हेतु एक निम्न सदस्यीय समिति का गठन किया हुआ है।

1. निदेशक, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा।

2. प्रबन्धक निदेशक, हरियाणा हरिजन कल्याण निगम।

3. संबंधित जिले का अतिरिक्त उपायुक्त।

4. एन०एस०एफ० डी०सी० का प्रतिनिधि।

5. संबंधित जिले का निगम का जिला प्रबन्धक।

5. हल्के वाणिज्यिक वाहन खरीद योजनाः–

हरिजन कल्याण निगम ने यह स्कीम अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को हल्के वाणिज्यिक वाहन खरीदने हेतु अपनाई है। जो एन०एस० एफ० डी०सी० द्वारा 1990–91 में अनुमोदित की गई थी। योजना लागा व वित्तीय स्त्रोत का विवरण निम्न है –

कुल योजना लागत	137. 50 लाख रु०
लाभभोगियों की सं०	50

प्रति इकाई लागत	2.75 लाख रु०

आय का स्त्रोत

क्रमांक	स्त्रोत	प्रतिशत	प्रति इकाई लागत	50 यूनिटों के लिए
1.	एन०एस०एफ० डी०सी० का हिस्सा निगम को ऋण के रूप में	70	192500 रू०	96.25 रू०
2.	हरिजन कल्याण निगम का हिस्सा जिसमें अनुदान राशि भी सम्मिलित है (विशेष केन्द्रीय सहायता से)	25	68750 रू०	34.38 रू०
3.	लाभभोगी का हिस्सा	5	13750 रू०	6.87 रू०
		100	27500 रू०	137.50 रू०

ब्याज की दर

निगम द्वारा छः प्रतिशत वार्षिक दर पर सीधे ऋण के रूप में यह राशि दी जायेगी जो कि 18 त्रैमासिक किस्तों में 5

वर्षों मे ब्याज सहित वसूल की जायेगी। जिसमें 6 मास की छूट शामिल है।

पात्रता की शर्तें –

1. आवेदक हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी हो तथा वह अनुसुचित जाति से संबंधित हो।

2. उसकी आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष के मध्य हो।

3. उसकी पारिवारिक वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 22000 रुपये व क्षहरी क्षेत्र में 23,700/– रुपये से अधिक न हो।

4. उसके पास दो साल पुराना वैध लाईसैंस हो।

5. वह कम से कम आठवीं पास हो।

लाभभोगियों का चयन

यह स्कीम हिन्दी के मुख्य समाचार पढों में विज्ञापित की जा चुकी है तथा इसे वर्ष 1994–95 के दौरान ही कार्यान्वित करने हेतु आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं।

इसके लिए योग्य पात्रों का चयन करने हेतु निम्न सदस्यीय समिति का गठन किया गया है –

1. निदेशक, अनुसुचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग, कल्याण विभाग, हरियाणा।

2. प्रबन्धक निदेशक, हरियाणा हरिजन कल्याण निगम।

3. एन०एस ०एफ०डी०सी० का प्रतिनिधि।

4. संबंधित जिले का अतिरिक्त उपायुक्त।

5 परिवहन विभाग का प्रतिनिधि, जो उप परिवहन नियन्त्रक के पद से कम न हो। 6. संबंधित जिले का निगम का जिला प्रबन्धक।

दवाईयों की दुकान खोलने हेतु स्कीम

हरियाणा हरिजन कल्याण निगम ने अनुसूचित जाति के 50 व्यक्तियों को लाभ प्रदान करने हेतु वर्ष 1992– 93 में यह स्कीम तैयार की गई थी। इस स्कीम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के ऐसे बेरोजगार युवकों जिन्होंने फार्मेसी का डिप्लोमा किया है को 80,000/– रु ० की दर से दवाईयों की दुकान खोलने हेतु सीधा ऋण प्रदान किया जायेगा। इस स्कीम की योजना लागत तथा वित्तीय स्त्रोत का विवरण निम्न है:––

कुल योजना लागत	40. 00 लाख रु०
लाभभोगियों की संख्या	50
प्रति इकाई लागत	0.80 लाख रु०

वित्तीय स्त्रोत

(रू० लाखों में)

		प्रति इकाई	50 यूनिटों के लिए)
1.	लाभभोगी का हिस्सा	1750 रू०	87500 रू०
2.	निगम का हिस्सा जिसमें अनुदान राशि भी सम्मिलित है।	8750 रू०	437500 रू०
3.	एन. एस. एफ. डी. सी. का हिस्सा निगम को ऋण के रूप मे	24500 रू०	1225000 रू०
4.	बैक ऋण	45000 रू०	2250000 रू०
	कुल	80000 रू०	4000000 रू०

पात्रता की शर्तें

1. आवेदक हरियाणा राज्य का अनुसूचित जाति का स्थाई निवासी हो।

2. उसकी आयु 18 बर्ष से 45 वर्ष के मध्य हो।

3. उसके पास फार्मेसी का डिप्लोमा हो।

4. उसकी पारिवारिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 22,000 रु ० तथा शहरी क्षेत्र में 23,700 रु० से अधिक न हो।

यह स्कीम राष्ट्रीय अनुसूचित जति एवं अनुसूचित जन जाति, वित्तीय एवं विकास निगम तथा पंजाब नैशनल बैक द्वारा अनुमोदित की जा चुकी है। एन.एस.एफ. डी सी. के हिस्से की राशि 12.25 लाख रुपये की निगम की ओर से गारन्टी देने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

10+2 System Schools

***932 Shri Azmat Khan :** Will the Minister for Education be phased to state the names and addresses of 10+2 system Schools in District Gurgaon and Faridabad alongwith the number *of* schools in rural and urban areas separately ?

शिक्षा मंत्री (श्री फूलचन्द मुलाना): जिला गुड़गांवा तथा फरीदाबाद के 10 + 2 के शिक्षा प्रणालो के विद्यालयों के नाम तथा पते ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र के विद्यालयों सहित सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

जिला गुड़गांव और फरीदाबाद के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के नाम तथा पते

जिला गुड़गांव

ग्रामीण क्षेत्र राजकीय विद्यालय

1 राजकीय सीनियर सैकेण्डरी विद्यालय, भौंडसी

2. राजकीय सीनियर सैकेण्डरी विद्यालय, गढ़ी हरसरू

3. राजकीय सीनियर सैकेण्डरी विद्यालय, कासन

4. राजकीय सीनियर सैकेण्डरी विद्यालय, शरपुर

5. राजकीय सीनियर सैकेण्डरी विद्यालय, हरसनपुर तावडू

6. राजकीय सीनियर सैकेण्डरी विद्यालय, पिनगंवा

कुल ग्रामीण क्षेत्र विद्यालय = 6

ग्रामीण क्षेत्र के अराजकीय मान्यता प्राप्त स्कूल्ज = शून्य

शहरी क्षेत्र राजकीय विद्यालय

1. राजकीय सीनियर सैकेण्डरी विद्यालय, गुडगावं (लड़के)

2. राजकीय सीनियर सैकेण्डरी, विद्यालय, गुड़गाव (कन्याए)

3. राजकीय सीनियर सैकेण्डरी विद्यालय, अर्जुन नगर गुडगांव (कन्याए)

4 राजकीय सीनियर सैकेण्डरी विद्यालय, हेली मण्डी (कन्याएं)

5 राजकीय सीनियर सैकेण्डरी विद्यालय, फारूखनगर

6. राजकीय सीनियर सैकेण्डरी विद्यालय, सोहना (कन्याएं)

7 राजकीय सीनियर सैकेण्डरी विद्यालय, तावडू

8 राजकीय सीनियर सैकेण्डरी विद्यालय, पुनहाना

9. राजकीय सीनियर सैकेण्डरी विद्यालय, फिरोजपुर झिरका

कुल शहरी क्षेत्र स्कूलज = 9

शहरी क्षेत्र अराजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय

1. एस. डी कन्या सीनियर सैकेण्डरी विद्यालय, गुड़गाव

2 एस डी (लड़के) सीनियर सैकेण्डरी विद्यालय, गुड़गांव

3 जीवन ज्योति सीनियर सैकेण्डरी विद्यालय, गुडगांब

4 एस टी क्रिसपिन सीनियर सैकेण्डरी विद्यालय, गुडगाव

5 एम एल ए. सीनियर सैकेण्डरी विद्यालय जटौली

6. मारूमल सीनियर सैकेण्डरी विद्यालय, गुड़गांव (कन्या)

7. मारूमल सीनियर सैकेण्डरी विद्यालय, गुड़गांव (लड़के)

8 आर्य विद्या मन्दिर सीनियर सैकेण्डरी विद्यालय गुडगांव सैक्टर– 7

9. एस टी मिचल सीनियर सैकेण्डरी विद्यालय, गुड़गांव

10 चन्द्रावती सीनियर सैकेण्डरी विद्यालय, तावडू

कुल शहरी क्षेत्र अराजकीय विद्यालय = 10

जिला फरीदाबाद

ग्रामीण क्षेत्र राजकीय विद्यालय

1 राजकीय सीनियर सैकेण्डरी विद्यालय, जसाना

2 राजकीय सीनियर सैकेण्डरी विद्यालय, फतेहपुर बिलौच

3. राजकीय सीनियर सैकेण्डरी विद्यालय, कुराली

4. राजकीय सीनियर सैकेण्डरी. विद्यालय, पनहेड़ा खूर्द

5. राजकीय सीनियर सैकेण्डरी विद्यालय, तिगांव (कन्या)

6 राजकीय सीनियर सैकेण्डरी विद्यालय, औरंगाबाद

7. राजकीय सीनियर सैकेण्डरी विद्यालय, अलावलपुर

8 राजकीय सीनियर सैकेण्डरी विद्यालय, बहूनि

9 राजकीय सीनियर सैकेण्डरी विद्यालय, बडाले।

10 राजकीय सीनियर सैकेण्डरी विद्यालय, चान्दहट

11 राजकीय सीनियर सेकेण्डरी विद्यालय, मण्डकौला

12 राजकीय सीनियर सैकेण्डरी विद्यालय, मलाई

13. रानकीय सीनियर सैकेण्डरी विद्यालय, पिरथला (लड़के)

कुल ग्रामीण क्षेत्र विद्यालय = 13

ग्रामीण क्षैत्र अराजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय =शून्य

शहरी क्षेत्र राजकीय विद्यालय

1 राजकीय सीनियर सैकेण्डरी विद्यालय, बल्लबगढ

2 राजकीय सीनियर सैकेण्डरी विद्यालय, फरीदाबाद एन आई टी. (लड़के) नम्बर 1

3 राजकीय सीनियर सैकेण्डरी विद्यालय, फरीदाबाद एन आई टी. (कन्या) नम्बर 1

4 राजकीय सीनियर सैकेण्डरी विद्यालय, फरीदाबाद एन. आई. टी (लड़के)

5. राजकीय सीनियर सैकेण्डरी विद्यालय, फरीदाबाद एन आई टी (कन्या)

6 राजकीय सीनियर सैकेण्डरी विद्यालय, फरीदाबाद औल्ड (कन्या)

7 राजकीय सीनियर सैकेण्डरी विद्यालय सराय खवाजा, फरीदाबाद

8. राजकीय सीनियर सैकेण्डरी विद्यालय, हसरपुर (तहसील पलवल)

9. राजकीय सीनियर सैकेण्डरी विद्यालय, हथीन (लड़के)

10 राजकीय सीनियर सैकेण्डरी विद्यालय, हथीन (कन्या)

11 राजकीय मोनियर सैकेण्डरी विद्यालय, होडल (कन्या)

12. राजकीय सीनियर सैकेण्डरी विद्यालय, पलवल (लड़के)

13. राजकीय सीनियर सैकेण्डरी विद्यालय, पलवल (कन्या)

अराजकीय शहरी क्षेत्र विद्यालय

1. अग्रवाल सीनियर सैकेण्डरी विद्यालय, बल्लबगढ़

2. आर्य विद्या मन्दिर सीनियर सैकेण्डरी विद्यालय, बल्लबगढ़

3. एडी. सीनियर सैकेण्डरी विद्यालय डब्बा कालोनी, फरीदाबाद

4. बी–पी सीनियर सैकेण्डरी विद्यालय संजय कालोनी, समीप सैक्टर 23 फरीदाबाद

5. एम.डी. सीनियर सैकेण्डरी विद्यालय, फरीदाबाद

6. मार्डन विद्या मन्दिर सीनियर सैकेण्डरी विद्यालय, भैर कालोनी, फरीदाबाद

7. नैशनल सीनियर सैकेण्डरी विद्यालय, फरीदाबाद 23

8. विद्या मन्दिर सीनियर सैकेण्डरी विद्यालय, फरीदाबाद 15

9. शान्तर निकेतन सिनियर सैकेण्डरी विद्यालय, फरीदाबाद जवाहर कालोनी

10. विद्या निकेतन सिनियर सैकेण्डरी विद्यालय एन आईटी., फरीदाबाद

11. डा. अनिल मलिक सनातन धर्म महाबीर दल नम्बर 1 एन. आई. टी. फरीदाबाद

12. एस. डी. पब्लिक सिनियर सैकेण्डरी विद्यालय, 2 सी एन. आई. टी. फरीदाबाद

13. ढी. जी. दान हिन्दू सीनियर सैकेण्डरी विद्यालय, पलवल

14. ब्रिज खण्ड विद्या मन्दिर सीनियर सैकेण्डरी विद्यालय, होडल

15. आदर्श विद्या निकेतन सीनियर सैकेण्डरी विद्यालय खत्रीवाड़ा फरीदाबाद

कुल शहरी क्षेत्र अराजकीय विद्यालय = 15

टोटल विद्यालय

जिला	ग्रामीण	अराजकीय	कुल	राजकीय	अराजकीय	कुल
गुड़गांव	6	-	6	9	10	19
फरीदाबाद	13	-	13	13	15	28
कुल	19		19	22	25	47

Shortage of Drinking Water

***977. Shri Amar Singh :** Will the Minister for

Public Health be pleased to state—

(a) whether Government is aware of the fact that there is acute shortage of drinking water in village Bohai, district Bhiwani; and

(b) if so, the steps so far, taken or proposed to be taken to provide the drinking water in the aforesaid village ?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री राम पाल सिंह कंवर):

(क) हां जी गांव आखिरी छोर पर स्थित है।

(ख) एक योजना सूखग्रस्त कार्यक्रम के अन्तर्गत 3/91 में 25.30 लाख रु ० को स्वीकृत की गई जिसका कार्य प्रगति पर है तथा 10795 तक चालू होने की संभावना है।

Opening of Mini Banks

***965. Shri Mani Ram Keharwala :** Will the Minister for Cooperation be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to open new Mini Banks in all the villages in the State ; and

(b) if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to materialize ?

सहकारिता मंत्री (श्रीमती शकुन्तला भगबाडिया):

(क) जी नहीं।

(ख) (क) कें दृष्टिगत प्रश्न ही उत्पन्न नही होता।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Construction of Roads by H.S . A .M. Board

194. Dr. Ram Parksh : Will the Minister for Agriculture be pleased to state—

(a) the yearwise detail of the roads constructed/widened by the Marketing Board in District Kurukshetra during the period from April, 1987, to April 1994 togetherwith length of each road; and

(b) the names of the roads on which the construction work is in progress in District Kurukshetra ?

कृषि मंत्री (श्री हरपाल सिंह): (क) इस अवधि में जिला कुरूक्षेत्र में वर्ष अनुसार निर्मित का गई ग्रामीण सड़कों की लम्बाई निम्न प्रकार है –

क्र. सं.	वर्ष	निर्मित लम्बाई
1.	1987-88	
2.	1988-89	
3.	1989-90	2.72 किलोमीटर
4.	1990-91	34.01 किलोमीटर
5.	1991-92	17.71 किलोमीटर

6.	1992-93	19.32 किलोमीटर
7.	1993-94	18.22 किलोमीटर

वर्षवार निर्मित की गई सड़कें तथा प्रत्येक सड़क की लम्बाई का विवरण अनुबन्ध – 1 पर है। प्रश्न में दो गई अवधि में इस जिले में कोई भी सड़क बोर्ड द्वारा चौड़ी नहीं की गई।

(ख) 10 अलग स्थानों पर सड्कों का निर्माण कार्य प्रगति पर है जिसकी कुल लम्बाई 22.81 किलोमोटर है। प्रत्येक सड़क का नाम एवं उसकी लम्बाई जिस पर कार्य प्रगति पर है, उसका ब्यौरा अनुध–11 पर उपलब्ध है।

Annexure—I

Sr. No.	Name of year	Name of Market Committee		Name of road Length road (in	of Kms)
1	2	3		4 5	
I.	1987-88			Nil	
II.	1988-89			Nil	
III.	1989-90	Pehowa		L/R from Bodhni to Saini Farm	1.57
				L/R from Dera Bajigran to Saina Sadan Shahpur road.	1.15

					2.72
IV.	1990-91 Pehowa		1.	Road from Chandigarh Farm to Ladwa Farm	1.07
		Ismailabad	1.	Road from Jhansa road to Sub Yard at Jhansa	0.42
		Pehowa	1	Road from Teokar to Jakh- wala	1.93
		Ladwa		Brout to Subji Mandi Ladwa	0.99
				Road from Dabkhera to Sonti	1.92
				Road from Budha to Ban	1.57
				Road from Gadhli to Karahmi	2.06
				Road from Kheri Dabdbalan to Samalkha	1.20
				Road from Sultanpur to Dhanora	2.62
				Road from Ram Nagar to Sultanpur	1 00
		Ismailabad	1.	Road from Ambala-Hisar road to G.M.	1.03

				Thol.	
		Pipli	1.	Daulatpur to Karahmi	1.51
		Babain		Road from Jandola to Ghisarpari	1.17
		Pipli 1	1 .	Muniar pur to Gadli	0.80
				Road from Shadipur to Pipli	3.41
				Road from Bohli to Bir Math- ana	0.90
		Pehowa		Saini Farm Nanakpur road to Chunia Farm	1.20
				Dera Bajigran to Dera Maha sayana	0.54
		Pipli	1.	Road from Kishanpur to Pipli	0.56
		Ladwa		Road from S ultanpur to Kaliron	1.38
				Road from Kheri to Bir Kheri	1.52
		Shahabad		Dera Punnur Ram to KKR Jhansa road	1.15
				Haldheri to Saidpur	1.28

				Barwalain	
				Road from Katlahari to Charuni Jattan	2.61
		Thanesar	1.	Road from Ram Nagar to Lukhi	0.17
					34.01
(V)	1991-92	Thanesar	1.	Road from Dhurali to	1.84
				Dera Burajwala	
		Shahabad	1.	Soodpu r to Ajrana Kalan	3.32
		Ismailabad	1.	Shanti Nagar to Bizarpur	3.50
		Pehowa		Killa Farm to Coop. Farm.	1.02
		Pehowa		Harigarh to Malikpur	1.72
		Thanesar	1.	Chackzakatian to P,C. Lukhi	1.05
		Ismailabad	1.	.Azarwar to Bubakpur	2.07
		Ladwa	1,	Sultanpur to Dangela	1.80
		Babain	1.	Hari Singh Majra to Kanoni	1.39

					17.71
(VI)	1992-93	Shahabad	1.	Road from Haripur to Sarai Sukhi	2.03
		Pehowa	1.	Dhoolgarh to Mangna	1.98
		Ladwa	1.	S.K . road to Behran	1.07
		Pehowa	1.	Harigarh Rourakh to Dera Buta Singh	1.67
		Ismailabad		Shanti Nagar to Mandheri	3.15
				Dera Mohammed Shah to Thaska Miranji	1.45
		Ladwa		Jalaludin Majra to Lohara	1.47
				Khera to Lohara	2.55
		Pehowa	1.	Guhla road to FCI Godown	0.40
		Babain	1.	L/R from Kalwa to Sunarion	1.21
		Shahabad	1.	Shahabad-Thol road to Nalvi-	0.56
				Thaskali road	
		Ladwa	1	Bapda to Baraunda	1.78

					19.32
(VII)	1993-94	Thanesar	1.	Kheri Ram Nagar to Pa Iwal	2.22
		Pipli	1.	Siraila to G.T. Road	2.45
		Shahabad	1.	Shahabad Ladwa road to Naraingarh Majra	0.36
		Pipli	1.	S K. Road to Harijan Basti Mathana	0.84
		Babain	1.	Mandokhera to Ram Nagar	1.92
		Pehowa	1.	Ladwa Farm to Bilochpur	2.26
		Ismailabad	1.	Rohti to Majri	2.43
		Shahabad		Road from Kanipla to Chinarthal	2.31
				Road from Kishangarh	3.43
				Rattangarh to Teora-Teori road.	
					18.22

ANNEXURE—II

Sr. No.	Name of	Constituency	Name of Road (in	Length Kms.)
	Pehowa	Pehowa	Road from Gumthala to Behrian	3.08
	— do—		Road from Plot No. 5 to Plot No. 4.	0.61
	M.C. Israilabad	Pehowa	Road from Sher Garh to Mandharoo	1 .66
	—do—	Shahabad	Saidpur Kheri Saidan to Rohti Jhansa road	2.79
	Shahabad	—do---	Road from Kishangara to Chapra	2.59
	—do--	—do—	Road from Bartheli to Manooli via Lakhmari Lakhmara.	2.24
	Thanesar	Thanesar	Road from Umri road to Salarpur road	2.82
	—do—	—do—	Road from Tigri Farm to Fauji Farm	2.36
	Pipli	—do—	Road from Daulatpur to Mathana	2. 56
10,	Ladwa	—do—	Read drom Bakali to Samelkha	2.10

				22.81

Lecturership in HIPA/SMS

211. Dr. Ram Parkash : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether the Government has engaged any retired Class-I officer for delivering the lectures in Panchkula wing of SMS, wing of HIPA, during the period from 1-4-93 to date ; if so, the names thereof togetherwith the total amount paid to each of them ;

(b) whether any honorarium/T.A. has also been given to persons as referred to in part (a) above ; if so, the details of honorarium/T.A. given to each of them ; and

(c) the criteria. if any, fixed in regard to the detailing of officers for delivering the lecturers in Haryana Institution of Public Administration/Secretariat Management School, Director, Training Institute in the State ?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल):

(क) नहीं, श्रीमान् जी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सेवारत या सेवा–निवृत अधिकारियों, शिक्षाविदों तथा विशषज्ञों को पाठ्यक्रम की विषय वस्तु तथा भाग लेने वालो के स्तर को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण देने के लिए आमन्त्रित किया जाता है।

Unemployed Persons Registered with the Employment Exchange

203. Shri Karan Singh Dalal : Will the Minister of State for Labour and Employment be pleased to state—

(a) the total number of persons registered with the Employment Exchange of Palwal todate ; and

(b) the names and addresses of the persons out of those as referred to in part (a) above have been provided employment by the Government during the year 1993 together with the names of Employer in each case ?

श्रम एवं रोजगार राज्य मन्त्री (चौधरी कृष्ण मूर्ति हुड्डा):

(क) 31– 8– 94 को रौजगार कार्यालय, पलवल में दर्ज कुल बेरोजगार प्रार्थियों की संख्या 9241 थी।

(ख) सूचना अनुबन्ध– 1 पर नीचे रखी गई है।

अनुबन्ध–1

क्रमांक	प्रार्थी का नाम व पता	नियोजक का नाम
1	शिव कुमार सुपुत्र श्री नारायण दास मोहल्ला इन्द्रपुरी, गौशाला के सामने पलवल	निदेशक, सैन्सस विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़।
2	लक्षमण सिंह सुपुत्र श्री बाबूराम, गांव जयन्डापुर, डाकखाना धातीर,	प्रवर अधीक्षक,

	तहसील पलवल।	डाकघर, फरीदाबाद।
3	सुनीता रानी सुपुत्री श्री ईशवर चन्द, म. नं. 2०6, बैरक नं. 13, जवाहर नगर, पलवल।	डिविजनल मैनेजर, न्यू इन्डिया ऐश्यरेन्स कं ० लि० एन० एच०– 5 आर / 2 नजदीक बीके चौक, एन. आई. टी, फरीदाबाद।
4.	मदन लाल अब श्री रोशन लाल, डागर निवास, सोहना रोड, पलवल।	निदेशक, लैंड रिकार्ड हरियाणा, चण्डीगढ़।
5	शिव कुमार सुप्त श्री ओम प्रकाश, गांव डाढौता, डाकखाना–करेसरा, तहसील–पलवल।	महाप्रबन्धक, हरियाणा राज्य परिवहन, फरीदाबाद।
6	रतिराम सुपुत्र श्री लीला राम, गांव व डा ० धातीर, तह० पलवल।	–सम–
7	राजेन्द्र कुमार सुपुत्र श्री मोहन लाल, मोहल्ला–ढेर, वार्ड नं ० 14, पलवल।	फरीदाबाद कम्पलैक्स, फरीदाबाद।
8.	प्रताप सिंह सुपुत्र श्री मोहन लाल, गांव ब डा ० रसुलपुर, तहसील–	जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कोठी नं ०

	पलवल।	420, सैक्टर 21, फरीदाबाद।
9	सुखपाल सुपुत्र श्री रामस्वरूप, गांव व डाकखाना–थोड़ी, तहसील पलवल।	–सम–
10.	आशा राम सुपुत्र श्री हरि राम, गांव किशोरपुर, तहसील पलवल।	–सम–
11.	डालचन्द सुपुत्र श्री लाला राम, गांव व डाकखाना समसाबाद, तहसील पलवल।	उप–निदेशक, जनगणना विभाग, कोठी नं० 707, फरीदाबाद।
12.	सुरेश सुपुत्र श्री देव करण, म ० नं० 223, वार्ड नं० 7, ब्लाक नं ० 6, मोहल्ला बाखण्डी, पलवल।	सिविल सर्जन, फरीदाबाद।
13.	महेन्द्र सुपुत्र श्री मंगत, गांव व डाकखाना अलीका, तहसील पलवल।	–सम–
14.	शकुन्तला देवी पत्नि श्री वेद प्रकाश, म० नं० 575, बैरक नं ०	निदेशक, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण हिभाग,

	35, जवाहर नगर, पलवल।	हरियाणा चण्डीगढ़।
15.	बिसराम सुपुत्र श्री सोहन लाल, गांव तथा डाकखाना धातीर, तहसील पलवल।	महाप्रबन्धक हरियाणा राज्य परिवहन, फरीदाबाद
16	रोहताश कुमार सुपुत्र श्री जोरमल, गाव व डाकखाना प्रिथला, तहसील–पलवल।	सिविल सर्जन, फरीदाबाद
17	ईशवर सिंह सुपुत्र श्री हरि राम, गाव खड़ेका, डाकखाना छज्जुनगर, तहसील पलवल	निदेशक सोसियल सैक्योरिटी एवं डिफैंस विभाग, हरियाणा चण्डीगढ
18.	अतर सिंह सुपुत्र श्री तुला राम, गांव दुधोला, डाकखाना बढौला, तहसील पलवल।	सिविल सर्जन, फरीदाबाद।
19.	रमेश सुपुत्र श्री पन्नीराम, गांव अहरवा, डाकखाना हथीन, तहसील पलवल।	–सम–
20.	बिजेन्द सिंह सुपुत्र श्री खिलूवा, गांव व डाकखाना धातीर, तहसील	महाप्रबन्धक, हरियाणा राज्य परिवहन

	पलवल।	फरीदाबाद।
21.	कमल देव सुपुत्र श्री खेमचन्द, गाव व डाकखाना चान्दपुर, तहसील पलवल।	–सम–
22	प्रेम चन्द शर्मा सुपुत्र श्री आराम, गांव अहरवा, डाकखाना हथीन, तहसील पलवल।	प्रवर अधीक्षक, डाकघर, फरीदाबाद।
23	राजेन्द्र कुमार सुपुत्र श्री अमीर चन्द, 19/2, जवाहर नगर, पलवल।	निदेशक, लोक प्रशासन संस्थान, हरियाणा गुडगावां।
24	लीला वती पत्नि श्री रमेश, म नं 223. मोहल्ला बरखण्डी, पलवल।	सिविल सर्जन, फरीदाबाद।
25.	चान्दी राम सुपूत्र श्री राम चन्द, गांव व डाकखाना असावरा, तहसील पलवल।	प्रवर अधीक्षक, डाकघर, फरीदाबाद।
26.	जवाहर सिंह सुरुत्र श्री सुमरन सिंह गांव व डाकखाना जनौली, तहसील पलवल।	–सम –

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि रोजगार कार्यालय आवेदको को रोजगार दिलवाने वाली कई एजैन्सियों में से एक है।

Posting of Agriculture Development Officers

204. Shri Baran Singh Dalai : Will the Minister for Agriculture be pleased lo state—

(a) the names or the villages in Palwal Sub-Division wherein Agriculture Development Officers (A D O.'s) have been posted todate ; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to post A.D O's in each village of Palwal Sub-Division during the current financial year ?

कृषि मन्त्री (श्री हरपाल सिंह):

(क) पलवल उप–मण्डल के गांव के नाम जिनमें कृषि विकास अधिकारी लगाए गए हैं, नीचे दिए गए है:–

1 छाजू नगर

2. गुलावर

3. क्टिवादी

4. सिहोल

5 रसूलपुर

6. जैदापुर

7. महेशपुर

8. दिगोहट

9. भगुरी

10 पंसारी

11 भुलवाना

12. अहरवा

13. अलीका

14 अन्थोप

15 नागलजट

16. गोरी

17. घरौट

18. कटेसरा

19. गादपुरी

20. भागपुर कलां

21. कोट

22. अटवार

23 दुर्गापुर

24. गोरकसार

25. गिलाब

26. रैदासका

27. रूपराखा

28. पहचानका

29. पिगोर

30. कारणा

31. धूधौला

32. केसरपुर

33. माधोपुर जटोला

34 बदरान

35. सौलरा

36. जटौली

37 कुशक

38. तपाबिलासपुर

39 लखानका

40. औरंगाबाद

41. पीरथला

42. चांट

43. अमरपुर

44. मडोली

45. मंडकोला

46 हसनपर

47. धातीर

48. अलावालपुर

49. हरथल

50 करमेरा

51. पलवल

52. होडल

53. पलवल

54. हथीन अण्डर ए. एस. सी. ओ.

55. होडल (काडा) पलवल ''

56. पलवल

57. पिगोरा अण्डर ए. सी. दी. ओ.

58. महेशपुर पलवल

59. गोरी

60. पलवल पी०पी०

61. पलवल एस०टी ०एल०

(ख) जी नहीं

Saline water

213 Shri Karan Singh Dalal : Will the Minister for Public Health be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to introduce the system of converting the sal ne water into sweet water in sub-Division of Palwal during the current financial year ; and

(b) if so, the name of the villages which are Iikely to be included in the above said scheme ?

जन स्वास्थ्य मंडी (श्री रामपाल सिंह कंवर):

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

Upgradation of Middle School, Ferozepur

214. Shri Karan Singn Dalal : Will the Minister for Education be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade the Goverment Middle Schpool Ferozpur to High School of Palwal Sub-Division during the year 1994 ?

शिक्षा मन्त्री (श्री फूल चन्द मुलाना): जी नही।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव–

बादली निर्वाचन क्षेत्र के गांव खुडा खेडा में पीने के पानी को सपलाई न करने सम्बन्धी

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a Calling Attention Notice No. 6 from Shri Dhir Pal Singh, M.L.A., regarding non supply of drinking water in the village Munda Khera of Badli constituency. I admit it. Shri Dhir Pal Singh may please read his notice.

श्री धीर पाल सिंह: मैं इस महान सदन का ध्यान एक अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि बादली निर्वाचन क्षेत्र के गांव मुडा खेड़ा में पिछले एक वर्ष के दौरान पानी सप्लाई नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप गांव वासियों ने जोहड़ों के किनारों पर कुएं खोद लिए और इनका पानी पीया। परन्तु बाढ़ के कारण इन कुओं मे पानी भर गया है जिससे गांव वासी जोहड़ का पानी पीने के लिए मजबूर हो गए इससे भिन्न–भिन्न प्रकार की बिमारियां फैलने का भय हैं। गांव में

कई बिमारियां तो फैल चुकी है। इसके कारण क्षेत्र के लोगों में भारी रोष व्याप्त है। यह एक अत्यावश्यक लोक महत्व का विषय है। अतः मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह सदन में इस संबंध में एक वक्तव्य देकर अपनी स्थिति स्पष्ट करे।

जन स्वास्थय मंत्रीः (श्री राम पाल सिंह कवर) स्पीकर साहब, अभी इस बारे में फील्ड से पूरी इन्फर्मेशन नहीं आई है। इसलिए कल क्वैशचन आवर के बाद मैं इसका जबाब दे दूंगा।

श्री अध्यक्षः ठीक है।

विभिन्न मामला उठाना

प्रो० राम विलास शर्माः अध्यक्ष महोदय, मैंने आपकी सेवा में एक काल अटैंशन मोशन का नोटिस दिया है कि करनाल मे एक लिबर्टी नाम की कम्पनी ने किसानों को जो जीरो का बीज दिया वह घ टिवा बीज था। दैनिक ट्रिब्यून में छपा है कि वहां पर किसान आन्दोलन कर रहे हैं।

श्री अध्यक्षः वह अंडर कंसीड्रेशन है।

डा ० राम प्रकाशः स्पीकर साहब मैंने आपकी सेवा में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था कि जो चावल का एक्सपोर्ट करते हैं उनको हरियाणा मे 16 प्रतिशत कर देना पड़ता है जवकि पंजाब में वह कर 9.5 प्रतिशत है और जन्तर प्रदेश तथा राजस्थान

में साढ़े चार प्रतिशत है। इन. बारे गे अपिने क्या फैसला किया है ?

श्री अध्यक्षः गर्वनमैंट को कमैंट्म के लिए भेजा हुआ है।

प्रो० स्मपत सिंहः स्पीकर साहब, जब मैंने कल नगीना थाने की बात उठाई कि वहां पर डी ० एस० पी ० ने एक आदमी को मार दिया और डी ० एस ० पी० ने उस आदमी को केवल मात्र इसलिए मार दिया कि उस आदमी ने डी० एस० पी ० की गाड़ी के आगे मे अपने पशु नही हटाए। मुख्य मंत्री जी ने जवाब देते समय कह दिया कि उस डी. एस. पी. और अन्य पुलिस के दो कर्मचारियों के खिलाफ 302 का केस दर्ज हो गया है। स्पीकर साहब, वह केस दर्ज हुछ आज चार दिन हो गए है। अब तक उनकॉ गिरफ्तार क्यों नहा किया गया है? यदि वे भगोड़े हो जायें, तो अलग बात है। लेकिन वे तो हाजिरी में हैं। उनको बाकायदा गिरफ्तार करना चाहिए था। उन सारे इलाके में बहुत जबरदस्त रोष है। उस इलाके की जनता यह महसूस कर रहीं है कि जब उनके खिलाफ 302 का केस दर्ज हो गया तो उनको अरैस्ट करके कार्यवाही शुरु क्यों नही की जा रही है त् यदि सरकार –दउको सस्पै ड करती है तो यह कोई सजा नही है। एक–दो महीने बाद उनकी परमोशन करके वहां से ट्रांसफर कर देंगे। मेवात में पहले भी जिस किसी थानेदार ने एऐसा काम किया है, उसको एक बार सस्पैंड करके अगली बार परमोट कर दिया।

अध्यक्ष महोदय दूसरा मेरा काल अटैंशन मोशन कर्मचारियों के कल हुए यहां पर प्रदर्शन के बारे में था। पिछले दिनों कर्मचारियों ने हड़ताल की थी और मुख्यमंत्री जी ने उनको बुलाकर आश्वासन दिया था कि एक कमेटी बनायी जायेगी और उसकी रिपोर्ट छः महीने में आ जायेगी लेकिन अभी तक वह कमेटी ही नहीं बनायी गई।

श्री अध्यक्षः आपने यह काल अटैंशन मोशन कल रात को ही दी है, इसलिए अभी यह अन्दर कन्सीड्रेशन है।

श्री सतबीर सिंह कादयानः अध्यक्ष महोदय मैंने परसों एक काल अटैंशन मोशन पानीपत शूगर मिल को वहां से हटाये जाने बारे दिया था।

श्री अध्यक्षः आप बैठिए वह गवर्नमेंट के पान कमेंट्स के लिए भेजा हुआ है।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, सम्पत सिंह जी ने एक बात यह कही कि मेवात में एक नौजवान मारा गया और पुलिस वालों के खिलाफ कार्यवाही करके उनको अरैस्ट नही किया गया। मैंने कल बताया था कि वहां 302 का केस दर्ज हो गया है। जहां तक किसी की गिरफतारी सवाल है, वह मेरी जानकारी में नही है कि कितने लोग अत्र तक गिरफतार किये गये है। इसका आज शाम तक पता करवा कर कल आपको बता दूंगा। केस 302 के तहत तो दर्ज हो गया है और वे सस्पैड भो हो चुके

हैं। हम बाकायदा पूरा एक्शन उनके खिलाफ लेंगे। कल सदन के। बता भी देंगे। जहा तक कर्मचारियों के साथ हमदर्दी की बात है, जितना हमदर्दी इम सरकार को रहा है किसी और की नही रही। कर्मचारियों को मालूम है कि आपको हमदर्दी और चौधरी बंसीलाल जो की हमदर्दी कर्मचारियों के साथ कितनी रही है? इसलिए कर्मचारियों के साथ जितनी हमदर्दी आज का सरकार का है, उतनी किसी की नहीं। जहां तक पानीपत शूगर मिल के बारे में इन्होंने कहा, क्वैश्चन आवर के दौरान भी पानीपत शूगर मिल का जिक्र आया था। उस बारे में मैं बताना चाहता हूं कि यह मिल अब शहर के वीच में आ गया णै। इसको वहां से हटाकर दूसरी जगह पर लगाने का विचार है। अब सवाल यी है कि इसको वहां से हटा कर कहां पर लगाया जाये? इसको बेचने का कोई सवाल ही नहीं है। जब यह मिल लगी तो उस वक्त इसकी 1250 टन की कैपसिटी थी। उसको अव जब हम दूसरी जगह लगाएगे, तो डबल कैपेसिटी यानी 2500 टन की कैपेसिटी की लगाएंगे ताकि उससे गोहाना का प्रिया भी कवर हो सके क्योंकि अभी तक गोहाना मे शूगर मिल लगी नहीं है। अब लोगों का ध्यान कैश क्राप की तरफ जयादा जा रहा है। जैसे जीरो फल–सब्जे।. वगैरह इसलिए किसान गन्ना कम के रहे हैं।

श्री सतबीर सिंह कादियानः किसानो ने कम गन्ना आपकी नीति की वजह से शूरू किया है। जब उनको वाजिब भाव नही मिलेगा तो लोगों का ध्यान इस तरफ नहीं रहेगा। इसके

बावजूद भी वहां पर काफी गन्ना बोया जा रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि पानीपत शूगर मिल को वहां से न हटाया जाये और गोहाना के लिए और मिल लगा दिया जाये। ये उस मिल कैं उठाने के बहाने, जो उसके साथ शराब की फैक्टरी है। उसको भी अपने दामाद वे दिलाना चाहते हैं, ताकि बुलकाना में जो यह शराब को फैक्टरी है चल सके।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, ये कैसी बात कर रहे हैं? ऐसी बात करने का कोई फायदा नहीं है। (विघ्न एवं शोर) आदमी को सोच कर और दिमाग से काम ले कर बात करनी चाहिए। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः कादयान साहब, आप बीच में इस तरह से न बोलें। आप अपनी सीट पर बैठें। (विघ्न एवं शोर) यह क्वैश्चन आवर नही है, आप सभी लोग बैठें।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, शूगर मिल बेचने का कोई सवाल नही है। गोहाना और पानीपत के बीच में किसी जगह पर मिल लगाने के लिये हमने एक कमेटी बना दी है। वह कमेटी इस बात को देखेगी कि कौन सी जगह सूटेबल है। (विघ्न) चौटाला साहब, इनकी क्लास लिया कीजिए और इनको कुछ सिखाइये। इनका कोई तरीका नहीं है। इनको हाउस में आते हुए 3 साल हो गए हैं और डेढ़ साल तक ये और आएंगे उसके बाद तो दोबारा ये यहां नही आएंगे। (विष्य) लोगों को देख कर ही

इन्हें कुछ सीखना चाहिए,। स्पीकर साहब, जब इनकी साईड के लोग बोलते हैं तो हमारी तरफ के लोग बीच में टोका–टोकी नहीं करते। इनके लोगों को भी कुछ अक्ल आनी चाहिये। लोगों को देख कर ही कुछ सीखने की कोशिश कीजिए। अभी भी कैथल और भूना दो शूगर मिले हैं जो कि चालू की गई थी। ये मिलें पिछले तीन साल से लगातार घाटे में चल रही हें क्योंकि एरिया में इतना गन्ना नहीं है कि ये मिलें पूरा सीजन चल सके। अध्यक्ष महोदय, कैथल की शूगर मिल में साढ़े 20 करोड़ रुपये का घाटा है और भूना की शूगर मिल में साढ़े इक्कीस करोड़ रुपये का घाटा हुआ है इसलिये हमने यह फैसला किया है कि जो मिलें घाटे में हैं, उनका ग्लोबल टैंडर ले कर बेच दें। सारी दुनियां से टैडंर काल करेंगे और जो कोई भी इन मिलों का अच्छा भाव दे कर इनको खरीदना चाहे, खरीद ले ताकि हम घाटे से बच सकें. करीब 2– 3 साल में 42 करोड़ रुपये का घाटा हो गया है। यह कोई छोटी बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, पानीपत का शूगर मिल भी घाटे में चल रहा है। इस लिये हमने फैसला किया है कि गोहाना में शूगर मिल अलग न लगाएं बल्कि पानीपत और गोहाना के बीच में शूगर मिल लगाएंगे और इस पर पानीपत और गोहाना दोनों का नाम लिख देंगे ताकि दोनों ऐरिया का गन्ना वहां पर आ जाए और मिल पूरे 5 महीने चल सके। यू ० पी ० से गन्ना ला कर भी हम थक लिए लेकिन इसके बावजूद भी मिल 3 महीने से ज्यादा नहीं चलती। अगर शूगर मिल 5 महीने नहीं चलेगी तो प्रोफिट होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। शूगर मिल को 5

महीने चलाने के लिये यह जरुरी है कि दोनों ऐरिया का गन्ना उसे मिले। शूगर मिल साढ़े चार या पांच महीने चल सकें, इसके लिये हमने एक कमेटी बना दी है। यह कमेटी दोनों के बीच में किसी जगह का चयन करेगी ताकि किसी को शिकायत न हो। इसके चुने हुए नुमाइंदों को भी बुला लेंगे। पानीपत और सोनीपत के नुमाइंदों को बुला लेंगे और सब बैठकर जहां पर भी एक जगह का यूनौनिमसली फैसला करेंगे, वश, पर मिल लगा देंगे।

चौधरी बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी ने कहा है कि पानीपत शूगर मिल शहर के बीच में आ गया है। पहली बात तो यह है कि पानीपत का शूगर मिल शहर के बीच में नहीं है बल्कि शहर से बाहर गोहाना रोड पर है। अगर शहर के अन्दर आने वाले शूगर मिल को शिफट करना ही हो, तो यमुनानगर शूगर मिल को किया जाना चाहिए क्योंकि वह बिल्कुल शहर के बीच में पड़ता है। यमुनानगर रैस्ट हाउस में इतनी राख उड़ कर आती हैं कि कोई आदमी वहां पर सो नहीं सकता।

एक आवाजः यह तो प्राईवेट है।

चौधरी बंसी लालः अगर प्राईवेट है, तो क्या उस पर कोई भी कायदा कानून लागू नहीं होता? अध्यक्ष महोदय, हकीकत यह है कि पानीपत शूगर मिल और गोहाना शूगर मिल के लिये पर्याप्त गन्ना है। पानीपत का शूगर मिल अलग रहना चाहिये और गोहाना का शूगर मिल अलग रहना चाहिए। मुख्य मन्त्री जी दोनों

शूगर मिलों को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं इस बात को ठीक नहीं समझता।

अध्यक्ष महोदय, मुख्यमन्त्री जो ने शूगर मिलो मे जो घाटे की बात कहीं है, वह सब मिस–मैनेजमैंट की वजह से हुआ है। ये लोगों को तंग करते हैं इसलिये लोगों ने गन्ना पैदा करना बन्द कर दिया। करनाल में जब शूगर मिल लगी थी, तो 30 हजार एकड़ में गन्ना था और पिछले साल 10 हजार एकड़ में था। ये पैमेन्ट देने में तंग करते हैं, पर्ची देने में तंग करते हैं ई और तरह से उन्हें तंग करते हैं। ये उन्हें तंग करना बन्द कर दें तो ये मिलें फायदें में होंगी। अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान की बहुत सी स्टेटों में गवर्नमैंट आफ इण्डिया की पालिसी के तहत मोलैसिज डी–कंट्रोल हो गया है। हरियाणा में आधा या 75 प्रतिशत पता नहीं कितना डी–कंट्रोल किया है अगर पूरे मोलैसिज को डि– कंट्रोल कर दो, मार्किट में जो भाव है, उस भाव पर बिकने हो, तो किसी भी किस्म का घाटा नहीं रहेगा। उस मूल्य से जो पैसा है, वह शूगर मिल को ही आएगा। आज वह फायदा शराब की फैक्टरियों में जाता है। यह कोई वजह नहीं बनती कि उस मिल को इस वजह से हटाया जाए। एक बात मुख्य– मन्द्री जी ने कही कि कर्मचारियों ने बंसी लाल का राज देखा है। चौधरी देवी लाल, ओम प्रकाश चौटाला और आपका भी राज देखा है। आप इन्तजार करो, अगली बार आपका वे फातिया पढ़ देंगे। अध्यक्ष महोदय, कन्फैड के कर्मचारी 2– 3 दिन से चक्कर लगा रहे हैं और 13–13 साल

उनकी सर्विस हो गई है। बाकि लोगों को तो रैगुलेराईज कर दिया और उनको हजार रुपया फिक्स तनख्याह देते हें। क्या यही कर्मचारियों के साथ सलूक होगा? इसलिये इन हालातों पर मुख्यमन्त्री जी को विचार करना चाहिए और रैशनेलाइजेशम करनी चाहिए।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, बंसी लाल जी ने शूगर मिलों के बारे में कहा है कि यह घाटा मिस–मैनेजमेंट की वजह से हुआ है। अध्यक्ष महोदय, पानीपत मिल लगातार घाटे में चल रही है। 2 करोड़ 11 लाख का घाटा हुआ, उसके बाद 1 करोड 83 लाख, फिर 10 करोड़ 4 लाख का घाटा हुआ। यह टोटल 15 करोड़ 39 लाख सिर्फ दो तीन साल में घाटा हुआ। अगर मिस– मैनेजमैंट हुई तो जो बाकी मिलें प्राफिट मे चल रही हैं, वे कैसे प्रोफिट में चल रही हैं? रोहतक की मिल 60 लाख प्राफिट में है, करनाल वाली 5 करोड़ 82 लाख प्राफिट मे है शाहबाद में मिल 22 करोड़ के फायदे में हैं, जीन्द में 11 करोड़ और पलवल में 11 करोड़ के प्राफिट में है। तो अध्यक्ष महोदय, यह मिल गन्ना कम होने की वजह से घाटे में है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, दूसरे इन्होंने यमुना नगर की शूगर मिल के बारे में कह दिया है मैं इनको यह बताना चाहता हू कि हरियाणा की दूसरी मिलों की जितनी कैपैसिटी है, उतनी ही लगभग कौसिटी इस मिल की है और यह मिल एशिया की सबसे अच्छी मिलों में से एक है। यह बहुत बड़ी मिल है इसको उठाकर बाहर ले जाए, यह संभव

नहीं है। वह बहुत बड़े एरिया में णै। अगर उससे वहां पर गन्दी हवा आ रही हो, गन्दा पानी बाहर जा रहा हो जिससे वातावरण पर पर पड़ता हो तो, उसको चौक किया जा सकता है और उसके लिये हम बाकायदा चौक करते है ताकि लोगो को कोई प्रौब्लम न आए। लेकिन यह पानीपत की शुगर मिल बहुत पुरानी हो गई है। इसको अगर पानीपत में ही रहने देते है तो भी इसकी मशीनरी 'बदलनी पड़ेगी। यह मिल 1956 की लगी हुई है जब डसमें नई मशीनरी लगाएगे तो इसको वहां से उठाना ही ठीक होगा। यह इसलिए ठीक होगा क्योंकि यह मिल शहर के बीच में है और वहां की जमीन बहुत कीमती हो गई है। इस को बेच कर इस पैसे से इस मिल कौ दूसरी जगह पर लगाया जा सकता है ताकि वहां तक किसान आसानी से पहुंच सके। किसान ट्रैक्टर लेकर आता है, गड्डा लेकर आता है और रेहड़ा लेकर आता है। इससे शहर में भी बदबू न हो, इसलिये इन लोगों की सलाह से हमने फैसला किया है कि इसको दूसरी जगह पर जाना चाहिए।

इसके बाद इन्होंने कर्मचारियों की बात कह दी कर्मचारियो ने आपका राज भी देखा है। मैं तो यह कहता हू कि इनका भी देखा है ओंर मेरा भी देखा है। इनका जो फातिया पढ़ा गया था वह कर्मचारियो नैं ही 1987 में पढ़ा था। वह क्यों स्पा आपको वह दिन अच्छी तरह से याद होगा कि जब एक लाख से भी ज्यादा कर्मचारी दिल्ली गए थे। उन्होने बहुत कोशिश की कि आप उनसे बात कर लो। मैंने भी आपसे प्रार्थना की लेकिन आपने

कहा किं मैं इनकी बात नही सुन सकता। आपने उनको क्या क्या गालियां दी, क्या क्या कहा, आपको याद होगा?

वैयक्तिक स्पष्टीकरण

(1) चौधरी बंसी लाल द्वारा

चौधरी बंसी लालः सर, मेरी पर्सनल ऐक्सपलेनेशन है। अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी हमेशा गलत बात कहकर हाउस को गुमराह करते हैं। लेकिन इस ड्रामेथाजी और ऐक्टिग करने से गलत बात सही नहीं हो सकती १ अध्यक्ष महोदय इनको एज ए मुख्य मन्त्री इस तरह का बिहेव नहीं करना चाहिए। इनको सही बात कहनी चाहिए और कान्फेड के कर्मचारियों के बारे में बताना चाहिए कि इन्होंने उनके लिये क्या किया है।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय बिहेव के बारे में चौधरी बंसी लाल जी उपदेश दें तो अच्छा नही लगता। सभ्यता तो इनके पास से निकली हौ नही फिर ये कैसे सभ्यता की बात करते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आप सभी अपनी सीटों पर बैठिए। (शोर एवं व्यवधान)

प्रो० छतर सिंह चौहानः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। (शोर एव व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आप अभी बैठें और सी ० एम ० साहब को बोलने दें।

विभिन्न मामले उठाना (पुनरारम्भ)

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, यह हरियाणा प्रदेश के लोग जानते हैं (शोर) अभी 1987 को ज्यादा अमी नहीं हुआ है। लगभग ज्ञात साल हुए हैं। उस समय कर्मचारियों को वो लट्ठ लगे थे कि वह उनको अभी भी याद है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आप सभी बैठिए। चौहान साहब, आप बीच में इस तरह ले न खड़ा हुआ करें।

चौधरी शेर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है। सर, कई बार चौटाला साहब ने भी कहा है और मैं भी यह कहना चाहता हू कि सदन की मर्यादा रहनी चाहिए और प्वायंट आफ आर्डर पर भी आपसे पूछकर ही बोला जाना चाहिए लेकिन श्रीमान छतर सिंह जी बिना बात के ही हर बात पर खड़े हो जाते हैं। इसलिए आप इनसे कहिए कि ये ऐसा न करें।

श्री अध्यक्षः ठीक है। मैंने उन्हें पहले ही कह दिया है।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि मैं कर्मचारियों के बा ३ में हाऊस को गुमराह कर रहा हूं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि गुमराह मैं नहीं कर रहा है बल्कि चौधरी बंसी

लाल जी ही गलत बयानी कर रहे थे। अध्यक्ष महोदय, एक लाख से भी ज्यादा कर्मचारी दिल्ली गए थे और उनका क्य डैपुटेशन वहां पर राजीव जी मे भी मिला और मुझमें भी मिला। हमने बंसीलाल जी से कहा कि मेहरबानी करके आप इनकी जायज बातें मान लें। लेकिन इन्होंने उनकी कोई बात नहीं सुनी जबकि उसके थोड़े समय के बाद ही प्रदेश में चुनाव थे। इन्होंने तो हरियाणा की पुलिस बुलवाकर उनको वहां से बेइज्जत करके खदेड़ दिया। तब कर्मचारी यमुना के किनारे गए और उन्होंने यमुना का पानी उठाकर प्रण किया कि हम हरियाणा प्रदेश में तीन लाख कर्मचारी हैं और एक–एक कर्मचारी के साथ पांच– या–दस आदमी तो होते ही हैं। तो तीन लाख कर्मचारी का मतलब 30 लाख वोट हो गए और हरियाणा में टोटल वोट 90 लाख हैं जिसमें से 30 लाख वोट एकदम कांग्रेस के खिलाफ गए। कांग्रेस की कुल पांच सीटस हरियाणा प्रदेश में आईं और ये श्रीमान जी खुद भी हार गए। ये कर्मचारियों के हमदर्द हैं। कर्मचारियों से हमदर्दी तो इस सरकार की है। कर्मचारी हमारे भाई हैं, हमारे बेटे हैं। जो भला हम उनका कर सकते हैं, हमने किया है। हमने हमेशा उनकी मदद की है। कर्मचारियों को बेइज्जत करके, मारपीट करके खदेड़ा नहीं है। कर्मचारी आए होंगे। उन्होंने हमें मैमोरैन्डम दिया होगा। जो भी उनकी जायज बात है, हम उस्को मानेंगे।

चौधरी बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, चौधरी भजन लाल ने एक्टिंग करके बड़ी बातें कही हैं। जैसे उनकी गलत बात कहने

की आदत है उसके अनुसार गोएबल्ज के ये शिष्य हैं। एक बात को ये समझते हैं कि 100 बार गलत कह दिया जाए तो शायद सच बन जाए। तो अब गोएबल्ज का जमाना नहीं रहा है। अब जमाना दूसरा आ रहा है। अभी मुख्य मन्त्री जी ने बताया कि दिल्ली में एक लाख कर्म– चारी गए थे। एक लाख कर्मचारी नहीं गए थे केवल 15–20 हजार कर्मचारी गए क्। त्रने किसी को जाते रोका नहीं। हरियाणा के चीफ सैक्रेटरी ने भजन लाल के पोलिटिकल सैक्रेटरी को, दिल्ली की आई०बी ० के डायरैक्टर को मौके पर इंस्टीगेट करते हुए पकड़ा दिया। भजन लाल ने उनको फाइनैन्स किया, पैसा दिया। सारी बातों की करतूतों के पीछे यह थे। (व्यवधान व शोर) अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में तो 15 हजार कर्मचारी गए थे (विघ्न) मेरे अपने शहर भिवानी में 50 हजार कर्मचारी गए थे और मेरा बहुत क्रिटीसिज्म करके आए थे। मैंने किसी को गिरफ्तार तक नहीं किया, किसी को सस्पैडं तक नहीं किया। श्रीमान जी, यह तो सात साल पुरानी बात है। मैं तो आपको एक साल से कम की बात बताता हूं। एक साल पहले कर्मचारियों को रेलवे से उतार लिया। कर्मचारियों को बसों में से उतार लिया। पानी के पाईप चलाए, लाठी चलाई। उनके कुनबे वालों को गिरफ्तार किया। अभी तो ताजा घाव हैं। अच्छी तरह से सेक देंगे। जरा ध्यान से रहना। कान्फैड के कर्मचारियों के बारे में मुख्य मन्की जी के नोटिस में लाया कि वे 13– 13 साल के कर्मचारी चक्कर काट रहे हैं, उनका क्या किया है? यह बताएं।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, कर्मचारी चाहे वे कान्फैड के हों, चाहे किसी कारपोरेशन के हों। जो डेली–वेजिज पर लगे हुए थे पांच साल के, उन सब को रैगुलर कर दिया है। एडहाक पर जिनकी दो साल से ऊपर की सर्विस हो गई थी, उनको रैगुलर कर दिया। 18– 18, 20– 20, 15– 15 साल से आपके वक्त से पड़े थे, उनकी बुरी हालत थी। भजन लाल ने ही उनको रैगुलर किया है। दूसरे, कहते है किं आपका प्रिसिंपल सैक्रेटरी, आपका चीफ सैक्रेटरी। इनको यह भी याद नहीं कि उस वक्त भजन लाल चीफ मिनिस्टर नहीं था। उस वक्त भजन लाल केन्द्र में मिनिस्टर चला गया था। आप ही चीफ मिनिस्टर थे, प्रिसिंपल सैक्रेटरी भी आपका था, चीफ सैक्रेटरी भी आपका था। भजन लाल का नहीं था (विघ्न)

चौधरी बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, पौलिटिकल सैक्रेटरी इनका था। जो उनके बीच में वोट क्लब पर पंचायत करता हुआ और उनको इस्टीगेट करते पकड़ा दिया प्रधान मन्त्री को यह तसल्ली हो गई कि यह बात भजन लाल कर रहा है। (विघ्न)

चौधरी भजन लालः वाह! वाह! भजन लाल दिल्ली में बैठकर इतना करवा दे तो आपकी तो कोई इज्जत ही नहीं रही। (विघ्न) चीफ मिनिस्टर तो आप ही थे। अध्यक्ष महोदय, आदमी को ठीक बात कहनी चाहिए। चौधरी बंसी लाल जी कहते हैं कि बड़े ड्रामे की बात करता हूं। सौ दफा झूठ बोलें तो वह भी सच हो जाता है। इनको सही बात कहो, तो इनको तकलीफ. हो जाती

है। सही बात सुनने की हिम्मत होनी चाहिए। (व्यवधान व शोर) एक लाख नही गए थे 15 हजार कर्मचारी गए थे, चलो हम मान लेंगे, लेकिन थे तौ वे कर्मचारी ही।

11.00 बजे

अध्यक्ष महोदय, तीन दिन नहीं, पांच दिन नहीं, सात दिन तक इंडिया गेट पर धरना देकर बैठे रहे। (शोर एवं व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, कभी उधर से कहते हैं कि हमारा वजन चौटाला से भारी हो गया और कभी इधर से कहते हैं कि हमारा वजन भारी हो गया। मैं तो यह कहता हूं कि दोनों का भारी रहे, इनकी लम्बी उमर हो ताकि कांग्रेस को इसका फायदा होता रहे। (हंसी)

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मैंने जो काल अटैन्शन मोशन दिया है मुझे उस पर बोलने का समय दें। (शोर)

प्रो० सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैंने भी एक मोशन दिया है। मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। (शोर)

श्री अध्यक्षः दलाल साहब, आपने जो मोशन दिया है उसके बारे में बोलना चाहते हैं तो बोलें। नहीं तो बैठ जाएं।

श्री कर्ण सिंह दलालः सर, अभी तो मैंने अपने काल अटैन्शन मोशन पर बोलना शुरु भी नहीं किया और आप मुझे बोलने से मना कर रहे हैं। आप कृपया मुझे सुन तो लें। आप पहले ही बैठा रहे हैं। (शोर) मेरे फरीदाबाद जिले में पिछले कई महीने से हत्याएं जारी हैं। पलवल में तीन व्यक्तियों की हत्या कर दी गई। श्री राम वर्मा व उनके साथ दो महिलाओं की निर्मम हत्या हुई है। लेकिन कातिल अभी तक पकड़ नहीं गये हैं। इससे पहले होडल में असाहवटा गांव के 6 साल के बच्चे का कुछ पता नही चल रहारू। होडल में और भी दों–तीन हत्याएं हो चुकी हैं। लेकिन सरकार चुप है। अमर भजन लाल जी के वक्त में इस तरह से अत्याचार होते रहे तो फिर आम लोम कहां जायेंगे? इस बारे में सब से पहले काल अटैन्शन मैंने दिया था। उसका क्या बना है जी?

श्री अध्यक्षः दलाल साहब, आपका यह काल अटैन्शन मोशन कल के लिये लगा **चौधरी भजन लालः** अध्यक्ष महोदय, जो इन्होंने पलवल के बारे मे हत्याओ का जिकर किया है, वह रिपोर्ट अभी अधूरी है। पूरी रिपोर्ट पता करके कल आपको बता देंगे।

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर सर, जो मैंने काल अटैन्शन मोशन दिया था, वह आपने कहा कि अन्डर कसिडरेशन है। लेकिन बाद में उस पर चर्चा भी चल रही है। चौधरी बंसी लाल और चौधरी भजन लाल जी के आपसी ऐलीमेशन व कास्टर ऐलीगेशन चल रहे हैं। मैं इनको बताना चाहता हू कि 1987 में और उससे

पहले 1977 में एम्पलाईज के साथ सरकारों ने काफी ज्यादतियो को हैं। उसी ज्यादती की वजह से सरकार को चलता किया गया। फिर ये उस से लैसन क्यों नही ले रहे? जब पिछली बार एम्पलाईज ने हड़ताल की थी तो बहुत सी औरतों को, आदमियों को सरकार ने इल्लींगली हिरासत में रखा था और दूसरी भी बहुत सी बातें हुई। फिर जाकर समझोता हो क्या। फिर ड्होने स्पीकर सर, कह दिया कि हम कमेटी बिठा देंगे और उसकी रिपोर्ट 6 महीने में आ जाएगी लेकिन अब तक कोई कमेटी नही बैठी है तो फिर उसकी रिपोर्ट कहां से आएगी। इन्होंने बोलते हुए चौधरी देवी लाल जी व चौटाला साहब की सरकार का भी रैफरैन्स दे दिया। आज एम्पलाईज की एक मांग है। उन्होंने पंजाब सरकार के मुताबिक पे–स्केल की मांग उठायी है। कुछ विभागों के अन्दर, जैसे पुलिस का विभाग है जहां 30 हजार से ऊपर एम्पलाईज है, उनको पंजाब से बेहतर पे–स्केल हमारी सरकार ने दिये हैं। इसी तरह से इंजीनियरिंग विभाग है जिसमें बिजली बोर्ड भी शामिल है, जिसके तकरीबन 60 हजार इम्पलाईज हैं। पी ०डब्लयू०डी ० (बी० एंड आर०) इंजीनियरिंग विभाग के अन्डर आता है, हमने उनको भी बैटर पे–स्केलज दिये हैं। इसी तरीके से मैडीकल सर्विसिज का पता करवा लो। पहली बार इस सर्विस को एच०सी०एस० के बराबर रखा गया है। इस तरह से काफी डिपार्टमैन्टस के पे–स्केलज को बढिया किया गया था। उनको पंजाब और हिमाचल से भी बढिया पे–स्केलच दिए गए। सवाल इस बात का है कि जो कर्मचारियों की जायज मांने है, उनको मानना चाहिए। उन्होंने सरकार को एक

साल का वक्त दिया, लेकिन उमके बावजूद सरकार ने अब तक कुछ नहीं किया। मजबूर हो कर उनको अपना काम छोड़ना पड़ा, जिस वजह से आम लोगो को भी तकलीफ हुई। कल पचास हजार एम्पलाईज यहां पर आए। कल भिवानी से एक ट्रेन आ रही थी लेकिन उसको अम्बाला में रोक लिया गया। उसके बावजूद भी एम्पलाईज कुछ पंजाब साईड से, कुछ बाएं से और कुछ दाएं से होकर यहां पर पहुचे। अम्बाला मे गाड़ी रोके जाने की वजह से वे मुश्किल से 50 हजार यहां पर पहुंच पाए। इतना बड़ा प्रदर्शन उन्होंने किया। लेकिन फिर भी सरकार कह पी है कि हमने उनके लिए बहुत कुछ कर दिया। मैं मुख्य मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने कितने पांच साल वाले डेली–वेजिज के एम्पलाईज को और दो साल वाले एड– हॉक एम्पलाईज को रैगुलर किया है।

सिंचाई मंत्री (चौधरी जगदीश नेहरा): स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। सर, जो बात कालिंग अटैन्शन मोशन में दी है, अगर वह सारी यहां पर बोल देंगे तो हमें इस तरफ से भी बोलना पड़ेगा। उसके बाद जवाब और काऊंटर जवाब होंगे। आपने तो पूछना था कि आपका मोशन मंजूर हुआ है या नही लेकिन उसके बाद भाषण देना शुरु कर दिया। मेरी प्रार्थना है कि हाउस के सामने और भी काम है आप इस बात की तरफ ध्यान रखें।

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, आप हाउस के मास्टर हैं न कि ये। आपने मुझे बोलने की इजाजत दी थी और मैं

आपकी परमिशन से ही बोल रहा था। तो मैं यह कह रहा था कि मुखर मंत्री जीं बताएं कि आपने कितने एडहॉक और डेली वेजिज वर्कर्ज को रैगुलर किया है, जो दो साल और पांच साल की सर्विस कर चुके हैं। इन्होंने कहा कि हमने कन्फैड के कर्मचारियों को रैगुलर कर दिया है और इसी तरह से और महकमों में भी कर दिया।।मैं इनको बताना चाहता हूं कि एच०एल०आर० डी ०सी० के सैकड़ों लोगों को घर भेज दिया गया है। इसलिये मुख्य मन्त्री जी, जो बात कहें, वह तश्यों के आधार पर कहें। आपको पुराने इतिहास का पता है। यह मामला अगर बढ़ गया, तो शायद इनकी छुट्टी 1996 से पहले ही हो जाए।

श्री धीरपाल सिंहः स्पीकर साहब, आपने मुझे आश्वासन दिया था कि मुझे बाद में समय दिया जाएगा। जब मैं पानीपत शूगर मिल के विषय में बोल रहा था तो उस समय आपने यह बात कही थी। उस समय मैं आपकी आज्ञा मान कर बैठ गया था। मैं उस बारे में कुछ कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्षः आप इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं, तो कह लें। उस बारे में अभी आप नहीं बोल सकते।

श्री धीरपाल सिंहः नहीं जी, धन्यवाद।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, इन्होंने पूछा है कि कितने कर्मचारियों को रैगुलर किया है। अध्यक्ष महोदय, जो लोग डेली वेजिज वाले पांच साल की सर्विस पूरी कर चुके थे, और

एडहॉक वाले जो दो साल की सर्विस पूरी कर चुके थे, उन सब को रैगुलर कर दिया गया है। इन सब की संख्या लगभग दस हजार है। जो उनके साथ समझौता हुआ था, बाकायदा बातचीत करके हमने जो फैसला किया था, वह लगभग लागू हो गया है। उसमें से एक आध बात रह सकती है लेकिन यह इस समय मुझे ध्यान नहीं है। हमने चीफ सैक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी है। उस कमेटी में कर्मचारियों के नुमायंदे भी हैं। जब भी उस कमेटी की मीटिंग होती है तो चीफ सैक्रेटरी साहब उनकी समस्याएं पूछते हैं। यह सरकार कर्मचारियों की जो जायज बात है, जो जायज मांग है, उसको मानती है और जायज बात, चाहे किसी भी भाई की क्यों न हो, यह सरकार उस जायज बात को हमेशा मानती है। कर्मचारियों की जो जो बात न्याय संगत होगी, उसके लिए यह सरकार न्याय करेगी। कर्मचारियों के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। यह सरकार कभी भी पिक एंड चूज नही करती। ऐसी बातें आपके समय में हुआ करती थी। हमारे राज में ऐसी बात नहीं है। जिनको पांच साल हो गए, या दो साल हो गए, चाहे वे किसी भी महकमे में है, सबको रैगुलर किया है। किसी के साथ कोई भेदभाव करने का सवाल ही पैदा नहीं होता।

प्रो० छतर सिंह चौहानः स्पीकर साहब, मैंने एक काल अटैन्शन मोशन का नोटिस दिया है कि अम्बाला में जो इंडियन आयल कारपोरेशन और हरियाणा प्रदेश में मिट्टी का तेल जाता है,

उसमें फूड एंड सप्लाई विभाग के कर्मचारी और पुलिस वाले घपला कर रहे हैं।

श्री अध्यक्षः वह अंडर कसिड्रेशन है।

चौधरी ओम प्रकाश बेरीः स्पीकर साहब, यह अधिवेशन 12 तारीख को शुरु हुआ था और उस दिन 11.00 बजे मैंने आपकी सेवा में दो कालिंग अटैन्शन मोशन दिए थे। एक तो जो हरियाणा में करनाल के अन्दर हरियाणा सीड कम्पनी के नाम से एक कम्पनी हए, वह लिबर्टी सीड कारपोरेशन से सीड लेती है, उस कम्पनी ने काफी घोटाला किया हुआ है।

श्री अध्यक्षः वह कल के लिये एडमिटिड है।

चौधरी ओम प्रकाश बेरीः दूसरा मेरा काल अटैन्शन मोशन, जो सुप्रीम कोर्ट ने 96 एक्साईज एंड टैक्सेशन इंस्पैक्टर्ज के बारे में फैसला दिया है, उसके बारे में है।

श्री अध्यक्षः वह गवर्नमैंट को कमैंट्स के लिये भेजा हुआ है।

चौधरी ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैं एक विशेष मुद्दे की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हमेशा प्रजातांत्रिक प्रणाली की एक परम्परा रही है कि मंत्री–परिषद के किसी मंत्री का कभी इस्तीफा ले लिया जाए या किसी मंत्री को डिसमिस कर दिया जाए तो उस मती को एक अवसर दिया जाता

है कि वह अपनी बात को थोड़ा सा स्पष्ट करे कि किन कारणों से उसके साथ इस प्रकार का सलूक किया गया है। आज अनेकों प्रकार की चर्चाएं चलती हैं। मुख्यमंत्री महोदय ने एक मंत्री को इस बात के लिये डिसमिस किया कि उसने अनैतिक काम किया था। उसने किसी एयर होस्टेस के साथ कोई बदसलूकी की थी। उसकी तरफ से अखबारों में बयान छपे। कभी मुख्य मंत्री की तरफ से बयान छपे और दूसरे लोगों के ब्यानात छपे। मुतजाद किस्म के बयान छपे। लोग कंफयूजन में रहे। मैं यह मान रहा हूं कि यह बड़ी अच्छी बात है कि सरकार ने नैतिकता का पालन करते हुए यह निर्णय लिया। यदि उसी आधार पर निर्णय किया जाए तो आज हमारे सामने मांगे राम गुप्ता, जो काले चश्मे लगाए हुए बैठे हैं, क्या वह प्रायश्चित करेंगे? इन्होंने नारी जाति का बड़ा भारी अपमान किया है। इसलिये इस सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि यह सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन ले जो अभी तक मंत्रि परिषद में हैं। सरकार ऐसे मन्त्रियों के खिलाफ एक्शन ले जो लैड ग्रैबर्ज हैं, किड– नैपर्ज हैं, जो रेपिस्ट हैं और जिनके खिलाफ 302 और 307 के केसिज दर्ज हैं। जिनको, जुर्माने हुए हैं वे मंत्रि परिषद में हैं। मुख्य मंत्री जी स्वयं 376 के केस में संलिप्त रहे हैं। मैं इनसे जानना चाहता हू कि क्या नैतिकता के आधार पर उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा? यह मुद्दा लोगों के सा मने जाना चाहिये क्योकि यदि हाउस के किसी सम्मानित सदस्य के प्रति किसी प्रकार का कोई भ्रामिक प्रचार चलता है तो उससे कुछ लोग राजनीतिक लाभ उठाना चा हते है। चौधरी बंसी

लाल जी की तरफ से अखबारों मे बयान छपा है कि दो मंत्रियों को ओम प्रकाश चौटाला के कहने से निकाला गया है। मुझे बड़ी खुशी होगी यदि यह सरकार मेरे कहने से कुछ अच्छे काम करती है। अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसे कहा कि बहुत से ऐसे लोग हैं, जिनके खिलाफ एक्शन होना चाहिये। कल जब बात हो रही थी, तो उस पर कुछ मंत्रियों को आपत्ति थी। कल क्या रह गया? मुख्य मंत्री महोदय, आपको मैं यह बताना चाहता हूं कि बंसी लाल की तरफ से अखबारों में व्यान आया कि भजन लाल तो ओम प्रकाश चौटाला का क्लर्क है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि क्या मैं कोई क्लर्क रखते हुए किसी अनपढ़ को रखूंगा? मैं तो बाकायदा क्यालीफाईड क्लर्क रखूंगा। इसलिये मेरा कहना यह है कि उन लोगों को, जो हमारे साथी विधायक हैं, जिनके बारे में प्रैस में बयान आया है, अपनी बात कहने का अवसर दिया जाये ताकि सारी स्थिति स्पष्ट हो सके और जनता को सारी असलियत का पता चल सके। इनके और उनके बारे में जो चर्चाएं चल रही हें, वे सारी स्पष्ट हो जाएंगी। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैंने यह व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए आपके सामने अपनी बात कही है कि उनको बोलने का विशेष अवसर दें, ताकि पता चल सके कि पर्दे के पीछे क्या है?

चौधरी जगदीश नेहराः अध्यक्ष महोदय, बड़ी हैरानी की बात हो रही है कि ये व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि श्री मान चौटाला जो अब व्यवस्था के

प्रश्न पर बोल रहे थे, स्वयं घड़ियों की चोरी के सिलसिले में पकड़े गए थे और ये नैतिकता की बात करते हैं। उस समय इनके पिता श्री ने कहा था कि ये मेरे पुत्र नहीं हैं और ये कई सालों तक उनके पुत्र नही रहे, लेकिन बाद में फिर धक्के से पुत्र बन गए। एक बात इन्होंने कही कि मैं तो कोई क्लर्क पढ़ा लिखा लूंगा तो मैं इनको कहना चाहता हूं कि जो खुद अनपढ़ है, वह क्या बी ०ए ०, एम ०ए ० पास या पी ०एच ०डी ० को रखेगा। ये स्वयं तो अंगूठा टेक है। ये भी जो यहां पर बैठे हैं, या इनके दूसरे साथी बैठे हैं, ये तो चौधरी देवी लाल की कई सालों की मेहनत की वजह से बैठे हुए हैं, नहीं तो ये तो कहीं सड़क पर भीख मांग रहे होते और इनको कोई भीख भीं नहीं देता। ऐसे लोग नैतिकता की बात कैसे कर सकते हैं? चले है नैतिकता की शिक्षा देने। पहले ये स्वयं अपने गिरेबान में तो मुंह डाल कर देखें कि नैतिकता इन पर लागू होती है या नहीं। नैतिकता की बात इन पर सबसे पहले लागू होती है। अगर ये ऐसी बाते कहेंगे, तो इधर भी बराबर की बात कहने वाले कम नही बैठे हैं। ये खुद तीन क्लास पास हैं और चले हैं बी ०ए ०, एम ०ए ० और पी ०एच ०डी ० का मुकाबला करने। ये तीन बार मुख्यमंत्री रहे और वह भी कुल मिला कर साड़े छः महीने। चौधरी भजन लाल मे काबलियत है। तभी तो साढ़े–दस साल मुख्यमंत्री रहे हैं। यदि काबिल न होते तो फिर कैसे रह सकते 'थे? आपकी नाकांबलियत तो जग जाहिर है। बगैर किसी जानकारी के, बात करके अपने आपको टैखां समझने लगे है। आपकी अक्कड का सब को मालूम है। इसलिये

आपको मैं यह बता देना चाहता हूं कि यदि आप गलत बात कहेंगे तो गलत बात सुनेगे भी।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, जो बात मैंने कही थी, वह यह थी कि जो जनता से जुड़े हुए प्रतिनिधि है, वे अपनी बात स्पष्ट करें, लेकिन ये दूसरी बात ही कह गए। मुझे हैरानी है कि मेरे मुतालिक पार्लियामैंटरी अफेयर्ज मिनिस्टर ने बहुत कुछ कह दिया। इसलिये इन बातों पर मैं अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि मेरे खिलाफ कस्टम न देकर घडियां लेकर आने का एक मुकदमा दर्ज हुआ था चौर बाकायदा केस चला था। अध्यक्ष. महोदय, मुझे यह कहने में वड़ा फस और गौरव महसूस होता है कि राजनीतिक जीवन मे स्वच्छता और पवित्रता को कायम रखते हुए मेरे पूज्य पिता जी, चौधरी देवी लाल जी ने, खुले रूप सै यह ऐलान किया कि अगर ओम प्रकाश की तरफ से कोई गलत प्रयास किया गया है, तो उससे मेरा किसी तरह का कोई सम्बन्ध नहीं है। चौधरी देवी लाल जी ने स्वच्छ राजनीतिक – परम्परा को कायम रखने की अपनी तरफ से कोशिश ही नहीं की बल्कि इस किस्म के निर्णय लिये जो दूसरे राजनेताओं के लिये सबक के तौर पर इस्तेमाल हों। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको सारे हाउस और हरियाणा प्रदेश की जनता को आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि मुझे उस केस में बाइज्जत बरी किया गया था और मेरे पास इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का लाईसैस न होने के बावजूद भी कस्टम के अधिकारियों ने मुझे यह आदेश दिया कि

आप इसकी डियूटी अदा करके इन घड़ियों को ले जा सकते हो। अध्यक्ष महोदय, सरकारी आकड़ों के मुताबिक उन घड़ियों का कुल मूल्य उस वक्त 14 हजार था और उसकी डियूटी उससे भी ज्यादा बनती थी। वे घड़ियां मुझे एक हरियाणवी मित, जिसका घडियों का कारखाना था, हरियाणा के लोगों को गिफ्ट के रूप में देने के लिये मुझे दी थीं। जिस व्यक्ति की परिवारिक सम्पत्ति से 50–60 लाख रुपये सालाना आमदनी हो, भला वह 14 हजार रुपये के लिये इस प्रकार की बात करेगा? मेरे हाथ पर तो लाखों रुपये की घड़ी हर वक्त बधी रहती है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहूंगा कि इस प्रथा और परम्परा को दूसरे लोग भी कायम रखें लेकिन जिन लोगों के खिलाफ अदालतों में केस दर्ज हुए हैं और जिन लोगों के खिलाफ अदालतों में आज मुकद्दमे चल रहे हैं, वे लोग आज मन्त्रि परिषद को सुशोभित कर रहे हैं। जिनके खिलाफ चर्चाएं चलती हैं, नैतिकता के आधार पर उनके लिये इस किस्म के निर्णय लेने के लिये कुछ हिचकिचाहट करनी चाहिए। जबकि नैतिकता के आधार पर चर्चाएं की गई हैं। मुख्य मंत्री और दूसरे मन्त्रियों ने कहा है कि हमने नैतिकता के आधार पर इस किस्म के एक्शन लिये है, तो मुझे बहुत प्रसन्नता है कि नैतिकता के मूल्य को ये लोग समझने लगे हैं और नैतिकता के आधार पर इस प्रकार के निर्णय भी लेने लगे हैं। इससे इस प्रदेश और यहां की जनता को अवश्य ही लाभ पहुंचेगा। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न इस बात का है कि पार्लियामैंट्री अफेयर्ज मिनिस्टर ने बहुत कुछ कहा। इनके बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि चुनाव में जिसकी जमानत जब्त हो जाए,

वह समाज का तिरस्कृत व्यक्ति माना जाता है। ऐसे लोगों के लिये मैं क्या कहैगा? मुझे कहते हुए भी शर्म आती है। जो व्यक्ति 5 फिगर्ज मे वोट हासिल न कर सका हो, उसके बारे मे क्या कह? उनके परिवारिक जीवन के मुताबिक मैं अपनी जुबान बन्द रखु, यह ज्यादा अच्छा है। मेरे मुह से वह शोभा नही देता। अगर मुझे कभी मजबूर किया जाएगा, या अध्यक्ष महोदय अनुमति देंगे. तो पूरा खोल कर विस्तार से चिट्ठे पेश करूंगा। उन बातो को न मैं कह सकूंगा और न ये सुन सकेंगे। न ही हंसी रुकेगी। यह प्रदेश का दुर्भाग्य है जो कि साढ़े तीन साल हमने भुगता है और डेढ़ साल अभी और भुगतना पड़ेगा। इसलिये समय के मुताबिक इनको स्तरने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। मैं इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहूगा। मैं चौधरी बंसी लाल जी की बात को दोहरा रहा हूं कि मैं तो अनपढ़ हूं इसलिये मुझे पढ़े–लिखे क्लर्क की जरुरत होनी चाहिये। अगर अनपढ़ के साथ अनपढ़ क्लर्क होगा तो काम कैसे चलेगा। मैं तो उस मामले पर आपकी राय जानना चाहता था। जो सच्ची बात है, वह रहेगी और तब तक रहेगी जब तक कि ओम प्रकाश राजनीतिक में सक्रिय रहेगा। मैं राजनीति में तब तक सक्रिय रहुंगा जब तक कि इस प्रकार के अनैतिक काम करने वाले लोगों को राजनीति से खदेड़ नहीं द्गा, यह मेरा आखिरी संकल्प है। (विष्य एवं शोर)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, चौधरी ओम प्रकाश जी ने बड़ी भारी नैतिकता की बात की, बहुत अच्छी बात है।

नैतिकता की बात चौधरी ओम प्रकाश के मुह से निकले, बड़ी खुशी की बात है। इसके अतिरिक्त और क्या अच्छी बात हो सकती है? लेकिन साथ ही उन्हेने मन्त्रियों के बारे में कह दिया कि किसी के खिलाफ केम दर्ज है, किसी के खिलाफ कुछ कह दिया और मांगे गम गुप्ता जी के बारे में भी काफी कुछ कह दिया। सदन में उन्होंने पूरे तरीके से अपना पूरा स्पष्टीकरण दे दिया था। उससे इनकी तसल्ली हो जानी चाहिये थी। अध्यक्ष महोदय, इनकी मुश्किल क्या है। मैंने कल भी कहा था कि सदन में ठीक बात कहनी चाहिये। अध्यक्ष महोदय, जो आदमी ठीक बात नहीं कह सकता 1 उसको किसी के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। अब इन्होंने मेरे खिलाफ भी कह दिया (शोर एव व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, केस तो किसी के खिलाफ भी दर्ज हो सकता है। इनको बोलने से पहले अपने गिरेबान में झांककर देखना चाहिए। नेहरा जी ने जो कह दिया है मैं उस बात को दोबारा नहीं दोहराना चाहता हूं। ....

वैयक्तिक स्पष्टीकरण

(ii) चौधरी ओम प्रकाश चौटाला द्वारा

चौधरी ओम प्रकाश चौटालाः पर्सनल एक्सप्लेनेशन सर। अध्यक्ष महोदय, जो आदमी अपनी स्थिति को क्लीयर करने के लिये हाउस में उपस्थित न हो, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जाना चाहिये और यही पार्लियामैंटरी प्रैक्टिस है. और पहले भी ऐसा ही

होता रहा है इसलिये अभी जो चौधरी देवी लाल जी का नाम लेकर बातें कही गई हैं, वह सब एक्सपंज होनी चाहिये।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): मैं आपको इसका रिकार्ड दिखा दूगा? यह सच बात है। (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय बहुत से मैम्बर बोलने के लिये खड़े हो गए।)

Mr. Speaker : No. All the members should take their seats first. You cannot force me. Do you want to extract something from me or not ?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, इन्होंने दडवां का जिक्र किया है। क्या ये 1972 को भूल गए हैं? (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय द्रुम आपकी रूलिंग कहते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः जो व्यक्ति हाउस में नहीं है उसके बारे में कुछ नहीं कहा जाना चाहिए। कल आपने डी ०जी०पी० के बारे में कह दिया तो गवर्नमैंट की डियूटी बनती थी कि आपको उसका जवाब दें। गवर्नमैंट ने स्पष्टीकरण दे दिया। लेकिन अभी चौधरी देवी लाल जी के बारे में कह दिया तो उसका जवाब आप दे सकते हैं। लेकिन फिर भी जो आदमी हाउस में न हो उसके बारे में ऐसी बातें नही कहनी चाहिये।

चौधरी ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, हम यह कह रहे हैं कि जो कुछ भी चौधरी देवी लाल जी के बारे में कहा गया है, उसको एक्सपंज कर दिया जाए। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी जगदीश नेहराः अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो कुछ डी०जी०पी० ० के बारे में कल कहा था, वह भी एक्सपंज होना चाहिये। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप यह झगड़ा खत्म करवा करं सदन के इम्पोर्टेंट काम को शुरु करवांए।

चौधरी ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि आपने चौधरी देवी लाल जी के खिलाफ बोले गए शब्दों को एक्सपंज किया है या नहीं। अगर नहीं तो हम इस बारे में आपकी क्लीयरकट रूलिंग चाहते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आप सब बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि चौधरी देवी लाल जी के बारे में जो बातें भी कही गई हैं वे सब एक्सपंज कर दी जाएं। That will be in consonance with the parliamentary practices.

श्री अध्यक्षः कल जो डी०जी०पी ० के बारे में कहा गया है, उसको और आज जौ चौधरी दैवी लाल जी के बारे में कहा गया है उसको भी एक्सपंज कर दिया जाए। (व्यवधान व शोर)

अध्यक्ष द्वारा आबजर्वेशन

एक मंत्री की बरखास्तगी / इस्तीफे संबंधी–

Mr. Speaker : Let me give my observation about what has been said about Prof. Chhattar Pal Singh. Appointments and dismisal of Ministers in Haryana is not within the competence of this House. On 18th July, 1968, when Shri Bansi Lal was the Chief Minister, the Speaker gave the ruling regarding the validity of appointment of Shri Bansi Lal as Chief Minister, Haryana. The Speaker ruled the point out of order on the grounds.

"That this point does not relate either to the interpretation or enforcement of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly nor does it relate to the interpretation or enforcement of such Articles of the Constitution which regulate

the business of the House

Further I would draw the attention of the Hon'ble Members to Rule 62 in Chapter XII of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, which reads as under :-

"Statements and Personal Explanations

62(1) A member who has resigned the office of Minister may, with the consent of the Speaker make a personal statement in explanation of his resignation.

(2) A copy of the statement shall be forwarded to the Speaker and the Leader of the House one day in advance of the day on which it is proposed to be made :

Provided that in the absence of a written statement, the points or the gist of such statement shall be conveyed to the Speaker and the Leader of the House one day in advance of the day on which it is proposed to be made".

Hence, it is ruled out.

विभिन्न मामले उठाना (पुनरारम्भ)

चौधरी बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि फाईनेंस मिनिस्टर कुछ कहे, मेरी एक सबमिशन है। कल आपने कहा था कि पहले मुख्यमंत्री जी अपना जवाब दे लें और उसके बाद आप लोग अपनी क्लेरीफिकेशज मांग लेना। लेकिन कल आपने मुख्यमंत्री जी के जवाब देते ही हाउस को एडजर्न कर दिया था। इसलिये आज मैं क्रिटीसाईज करने के व्यू से नही बल्कि तीन–चार क्लेरिफिकेशंज के प्वायंट आफ व्यू से कहना चाहूंगा जोकि स्टेट के इंट्रैस्ट की बातें हैं। अगर मुख्य मंत्री जी इनको ठीक समझें, तो जवाब दे दे और अगर वे इनको ठीक न समझें, तो जवाब न दें। मैंने एक क्लेरिफिकेशन तो यह चाही थी कि पहले साहबी नदी, लडोहा नाला और कृष्णावती एवं दोहान नदियों

का पानी जो राजस्थान से हरियाणा में आता था, जैसा कि कल राम बिलास जी ने भी कहा था, जिनकी कांस्टीच्यूएंसी राजस्थान के साथ लगती शै। राजस्थान वालों ने 36 या 38 बांध बनाकर वहां पर पानी रोक लिया, जब यह यमुना वाटर का ऐग्रीमैंट हुआ तो क्या मुख्यमंत्री जी ने उस वक्त राजस्थान से यह पानी लेने के बारे कोई सवाल उठाया था, और अगर कोई सवाल उठाया तो उसका क्या हुआ? अगर इन्होंने उस वक्त कोई सवाल नहीं उठाया, तो अब इसके बारे में सरकार क्या करना चाहती है? इसके अलावा मेरी दूसरी बात यह है कि क्या मुख्य मंत्री जी ने यह ऐग्रीमैंट करते समय आगरा कैनाल का कंट्रोल टेक ओवर करने का भी सवाल उठाया था या नहीं उठाया था? अध्यक्ष महोदय, मैंने एक सुझाव यह भी दिया था कि हरियाणा सरकार को सैट्रल गवर्नमैंट से यह कहना चाहिये कि अगर हथिनीकुंड बैराज, अब से बीस साल पहले बनता, तो उसकी कीमत बहुत कम आती लेकिन अव इस बैराज की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गयी है। इसलिये अब यह सैट्रल प्रोजैक्ट बनना चाहिये और हरियाणा सरकार के जिम्मे ईस बैराज को बनाने का पैसा नहीं डालना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा यमुना वाटर के हुए ऐग्री– मैट में एक क्लाज यह भी आयी है कि अगर यमुना नदी में पानी कम हुआ तो पहले दिल्ली को पीने के पानी की पूति की जाएगी और उसके बाद बाकी स्टेट्स में प्रोपोर्शनेटली उनका जितना हिस्सा तय हुआ है, उसके हिसाब से उनमें बचा हुआ पानी बांट दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, अगर यमुना नदी मे दिल्ली के पीने के पानी की बराबर

ही पानी आया तो फिर हरियाणा के लोगो की प्यास कैसे बुझायी जाएगी? वह पानी कहां से आएगा? रसके अलावा और एक क्लेरीफिकेशन मैं यह चाहता हूं कि पहले वाली क्लाज में बहुत क्लीयरकट रूप से लिखा हुआ था कि 1/3 पानी उत्तर प्रदेश का होगा और हुं पानी हरियाणा प्रदेश का होगा। अब इसमें राजस्थान भी आ गया। उत्तर प्रदेश का हिस्सा भी बढ़ गया। दिल्ली भी आ गई। हिमाचल भी आ गया। यह कैसे हो गया? इन चीजों का जवाब मुख्यमंत्री जी ठीक समझे तो दे दे।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, बंसी लाल जी ने साहबी, कृष्णावती, दोहान नदियों और लडोहा नाले के बारे में कहा। इस मैटर को एक साल पहले मैंने जल संसाधन मंत्री की मीटिग में उठाया था। नेहरा साहब मेरे साथ थे। शेखावत साहब ने माना कि ज्वायंट देख लें। अपने इरीगेशन मिनिस्टररू को भेज दें, हमारा इरीगेशन मिनिस्टर आ जाएगा। हमने ऐसा कोई बांध नहीं बनाया, जिससे नहर निकली हो। वेसे कोई छोटा–मोटा बांध बनाया हो तो बात और है, उससे भी आपको ऐतराज हो तो हम उसको भी हटा सकते हैं। शेखावत जी चले गए। अब फिर मीटिग हुई। तो मैंने इस मैटर को फिर उठाया और कहा कि आपके बांध बनाने की वजह से हरियाणा में पानी नही आया। जमीन में पानी नीचे चला गया है। मेहरबानी करके आप उसको हटा दीजिए। चौधरी देवी लाल जी के वक्त में 1978 में मास्टर प्लान बना था। चौधरी देवी लाल जी वहां मौजूद थे।

चौधरी देवी लाल ने इस बात के लिये माना। मास्टर प्लान के तहत हमने साहबी नदी पर बांध बनाना शुरु किया जबकि उसकी आवश्यकता नही थी, बाद में आप भी आए तो आपने भी बंद नही किया, काम वन्द होना चाहिये था।

चौधरी बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि मेरे सामने साहबी नहर बनाने का जिक्र नही आया। न मैंने ऐग्री किया। मुख्य मंत्री जी जो चौधरी देवी लाल की बात कह रहे है, उसको छोड़े, आज बात कग है, वह बताए?

चौधरी भजन लालः मैं मसानी बांध की बात कर रहा हूं। (विघ्न)

श्री धीर पाल सिंहः चौधरी देवी लाल जी ने वह बांध इसलिये बनाया था क्योंकि उस वक्त उसकी आवश्यकता थी, उस समय जो बाढ़ आई थी उससे दिल्ली के आस– पाव के गांव, रिवाड़ी, गुड़गांव के इलाके प्रभावित हुए थे। 10–10 फुट पानी खड़ा था इसलिये उस बांध की आवश्यकता पैदा हुई थी। उसके बाद आपकी सरकार आने के बाद उस केस को नहीं देखा गया। जो डैम पीछे बन गए थे छोटे–छोटे उन्हीं की वजह से पानी आना बन्द हो गया।

श्री अध्यक्षः 1978 में मोरारजी देसाई ने फ्लड आने के चाद मीटिंग बुलाई थी। दिल्ली में भी फ्लड आया था। उस वक्त की गवर्नमैंट को चाहिये था कि जो पैसा मसानी बांध के बनाने

पर लगा था, वह देती। उसेकी कौस्ट उनसे लेनी चाहिये थी, जौ नहीं ली गई।

प्रो० राम विलास शर्माः अध्यक्ष महोदय, तीन नदियां हैं साहबी, कृष्णावती, दोहान और लंडोहा। जो अलवर और झुंझनू जिले से बहकर पानी आता था। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः मुख्य मंत्री जी उन्हीं के बारे में बता रहै हैं।

श्री धीर पाल सिंहः स्पीकर साहब ने एक बात कही कि इन्होंने कहा कि मसानी डैम तैयार हुआ और 1978 में दिल्ली में बाढ़ आ गई। बाढ़ का पानी रोकने 'के लिये मसानी डैम तैयार करवाया गया था लेकिन दिल्ली वालों ने इस का पैसा नहीं दिया, जोकि हमें लेना चाहिये था। चुंकि डासा बांध दिल्ली ने अलग से बनाया हुआ था और हरियाणा का पानी रोकने के लिये वहां पर एक रैगुलेटर भी है। एक हरियाणा को कंट्रोल है और दूसरा दिल्ली का कंट्रोल है। इस बारे में सरकार अपनी स्थति स्पष्ट करे, कि उन से पैसा क्यों नही लिया गया?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, आज की सरकार का इसमें कोई दोष नही है। यह तो पिछली सरकार को देखना चाहिये था (शोर) लेकिन फिर भी मैंने राजस्थान के मुख्य मत्री जी से इस बारे में बातचीत की है। उन्होंने मुझे कहा है कि आप अपने आफिसर्ज को भेज दें। मैं अपने आफिसर्ज को भेज दूंगा। फिर दोनों ओर से आपस में बैठ कर दोबारा डिस्कस कर लेंगे।

उन्होंने कहा कि अगर आपको इस बान्ध बनाने से कोई नुक्सान होता हो तो बातचीत करके इस मामले का कोई न कोई हल निकालेंगे।

श्री अध्यक्षः चौधरी साहब, आप इस बातचीत में रामबिलास जी को भी एसो– शिफट करें।

चौधरी भजन लालः ठीक है जी। जहां तक आगरा कैनाल की मात है। जब भी कभी इस बारे में बातचीत होती है तो मैं कहता हैं कि इसका कट्रोल यू० पी ० के पास है। या तो इसका कंट्रोल हरियाणा के पास होना चाहिये थी फिर केन्द्र के पास इसका कंट्रोल होना चाहिये। फरीदाबाद और गुडगाव एरिया कन्ट्रोल तो हमारे पास है लेकिन पीछे का कंट्रोल भी हमारे पास होना चाहिए या फिर केन्द्र सरकार के पास होना चाहिए। इस मामले में हमारी तरफ से कभी कोई कोताही नहीं हुई। (शोर) आप लोग भी इस बारे में जोर लगाते रहे और हमारी भी यही कोशिश रही है कि इसका कंट्रोल हमारे पास रहे लेकिन एक बार जब कंट्रोल किसी के पास चला जाता है तो वह जल्दी जल्दी अपना क्ट्रोल क्वै को तैयार नही होता।

चौधरी बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, पहले तो वे प्रिसीपली मान गये थे कि आप इसको ले लो। आप मार्किट रेट के पैसे दो लेकिन उन्हें हम बुक वैल्यू से पैसे देना चाहते थे (शोर)

चौधरी भजन लालः बंसी लाल जी, आप भली भांति जानते हैं कि गुड़गांव व फरीदाबाद एरिया का कंट्रोल हमारे पास है और आगरा का यू० पी० के पास है। अध्यक्ष महोदय, कल मैं कुछ उत्तर पूरा नहीं दे सका। मैं अज क्लीयर करना चाहता हूं कि जो हथिनी कुण्ड बैराज बनने जा रहा है, उस पर पूरा कंट्रोल हरियाणा का ही होगा। उस पर किसी और के कंट्रोल का सवाल ही नही पैदा होता। इसके लिये एक बोर्ड बना है, उसमें पांच स्टेटों– के चीफ इंजीनियर्ज होंगे और उसके ऊपर एक रिव्यू कमेटी होगी जिस में पांचों स्टेटों के मुख्यमंत्री होंगे और 'केन्द्र के वाटर रिसोसिंज मन्त्री इसकें चेयरमैन होंगे।

चौधरी बंसी लालः इन्होंने अध्यक्ष महोदय, यह कहा कि पांचों स्टेटों के मुख्य मती रिव्यू कमेटी में होंगे तो फिर ये बताएं कि हरियाणा का कंट्रोल कहां रहा? दूसरा मैं यह कहूंगा कि क्ले सैडल प्रोजैक्ट होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब तो इतना ही है कि कंट्रोल चाहे जिसका मर्जी हो लेकिन हरियाणा को अपना हिस्सा अवश्य मिलना चाहिथे और यह संडल प्रोजैक्ट बन जाए और पैसा भी सारा सैन्टर का ही लगे।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, अभी मैंने कहा कि हथिनी कुण्ड पर सारा कट्रोल हरियाणा का ही होगा। इसके लिये एक कमेटी बनी है। बोर्ड बना है ताकि अगर कोई प्रदेश यह कह दे कि हमारे साथ ज्यादती हुई है तो वह बोर्ड अपनी रिपोर्ट रिव्यू कमेटी को देगा और यह देखा जाएगा कि कहीं पर कोई गड़बड़

तो नहीं है। पांचों स्टेट्स इस में शामिल हैं इसलिये किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं होनी चाहिये। दूसरी बात इन्होंने टू–थर्ड, वन–थर्ड वाटर की भी कह दी। इसमें क्या मुश्किल हो रही है। ओखला को भी मिला देते हैं। हथिनी कुण्ड को भी मिला देते हैं। ताजे वाला का अलग है और ओखला का अलग है। ताजे वाला का अलग है। 5.23 बी मी ०एम ० हमारा शेयर है और 2. 33 यू० पी० का है। आप अगर हिसाब लगाए तो यह टू–थर्ड मे भी ज्यादा से कम नहीं है। पहले हमारा हिस्सा ओखला में कभी नहीं था और अब 0. 50 वहां से पानी हमें मिलेगा। ताजेवाला की हालत का इनको अनुमान है, कितनी बुरी हालत थी। ये भी उसको बनाने में लगे रहे, लेकिन सफल नहीं हुए। अगर आज ताजेवाला हैड टूट जाता है, तो एक बूंद पानी भी हमें नहीं मिलेगा। इस वक्त हरियाणा प्रदेश में 500 नहरें माईनर्ज डब्लयु ०जे ०सी० से चलती हैं। इससे वह सारी की सारी बरबाद हो जाती। सैन्ट्रल प्रोजैक्ट की भी वात आई। मैं बताना चाहता हूं कि उस पर 163 करोड़ रुपया खर्च होगा। हम कोशिश में कुए कि इसका कुछ पैसा भारत सरकार दे। अभी तो शेयर के अनुसार हम पैसा देंगे और इसकी कोशिश में हम हैं कि इसमें 50 परसेन्ट भारत सरकार मदद करे और वर्ल्ड बैक ने भी हमारी काफी हद तक बात मान ली है।

चौधरी बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी चाहे अपनी तरफ से जितनी वकालत कर लें, लेकिन वे इस एग्रीमैंट को जस्टीफाई नही कर पायेंगे। ये चाहे, कितना ही ड्रामा रच लें। मैं

इनसे जानना चाहता हूं कि जब यमुना नदी में इतना पानी रह जाएगा कि उसे सिर्फ दिल्ली ही पी सकेगी तो उस वक्त हरियाणा के लोगों का क्या हाल होगा। वे कहां से पानी पीएंगे।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, दिल्ली को पानी देने के लिये सब से पहले चौधरी बसी लाल ने माना था। वे पूछेंगे कैसे? वे जरा पीछे की बात ताजा करें। 15. 85 एम० ए०एफ० पानी का बंटवारा हुआ था और उस में से प्वायंट 20 एम० ए०एफ दिल्ली को दिया था। यानी आपने लगभग चार सौ क्यूसिक भाखड़ा में से पानी दे दिया। (व्यवधान व शोर)

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, चार सौ नहीं, यह दो ग्रो के लगभग बनना पै। अगर पानी सारा साल चले तो एक एम ०ए ०एफ ० मे 918 क्यूसिक होते है। इस हिसाब से प्वायंट 20 पांचवा हिस्सा है। इसके दो सौ क्यूसिक बनेगे।

चौधरी भजन लालः यह तो पानी के चलने का हिसाब है। अगर सारा साल पानी चलेगा तो कुछ और बनेगा और अगर साग साल नहीं चलेगा तो कुछ और फिगर होगी भाखड़ा का पानी तो सारा साल चलता है और यह सारे साल का हिसाब है। सारे साल मे अढ़ाई और तीन सौ क्यूसिक से कम इन्होने माना।

चौधरी बंसी लालः स्पीकर साहब, मेरी पर्सनल एक्सप्लेनेशन है। अध्यक्ष महोदय, जो पानी प्वायंट 20 दिल्ली को दिया गया था, उसमें यह कोई एग्रीमैंट नही था कि दिल्ली के

लिये पीने के पानी की प्रयोरिटी करेंगे और बाकी की स्टेटों को पानी कम देंगे। उसमें यह था कि अगर पानी कम होगा तो उस हिसाब से दिल्ली को भी कम पानी दिया जाएगा। मुख्य मंत्री जी ने अब यह फैसला कर दिया है कि सब से पहले दिल्ली को पीने का पानी दिया जाएगा। उसके बाद जो बचेगा तो बाकी की स्टेटों को दिया जाएगा। मेरे समझौते में ऐसी बात नहीं थी।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, अगर मैं बार–बार एक बात को दोहराऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। दिल्ली को पानी देना, मैं कोई बूरा भी नहीं मानता क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है। पानी पिलाने के लिये तो लोग प्याऊ भी लगाते है। इसलिये अगर दिल्ली को पीने का पानी दे दिया जाए, तो कोई बुरी बात नहीं है। हरियाणा के लोग भी दिल्ली में रहते हैं। इसके अलावा हरियाणा के दस लारव लोगों का रोज दिल्ली आना जाना है। इसलिये कोई बुरी बात नहीं है।

चौधरी बंसी लालः मैं यह पूछना चाहता हूं कि दूसरी स्टेट्स के आदमी कहा जाएंगे?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, लगभग 400 क्यूसिक पानी अभी भी दिल्ली ले रही है। लेकिन इतना फर्क पड़ा है कि पहले उनको पानी मांग कर लेना पडता था, अब उनको पानी मांगना नहीं पड़ेगा। अब उनका एक तरह से राईट हो जाएगा। राईट क्यों हो जाएगा? वह इसलिये हो जाएगा क्योंकि

यह नैशनल पालिसी है कि जहां पर भी पीने के पानी की कमी है, चाहे वह हरियाणा प्रदेश में है, चाहे वह राजस्थान में है और चाहे किसी भी प्रदेश में है, उनको पीने का पानी दिया जाए। नैशनल पालिसी के तहत ही हमने दिल्ली को पीने का पानी दिया है। क्या दिल्ली वाले पीने का पानी आध प्रदेश से ले कर आएंगे या मद्रास से ले कर आएंगे? दिल्ली को तो पीने का पानी पड़ौसी प्रदेशों को देना पड़ेगा। पहले केवल हरियाणा प्रदेश ही पिटता था। केवल हरियाणा प्रदेश ही पहले दिल्ली को पीने का पानी देता था। अब तो यू० पी० को भी देना पड़ गया। यू० पी० वालों ने भी दिल्ली को पीने का पानी दिया है। यह भी कहा–गया कि हरियाणा प्रदेश में पीने का, पानी का क्या बनेगा? जहां तक इस बात का ताल्लुक है और हरियाणा में पीने के पानी का सवाल है, जब ये डैम बन कर तैयार हो जायेंगे तब हरियाणा में. पीने के पानी की कमी नही रहेगी।

चौधरी बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, यह जो एग्रीमैंट है उसमें एक बात साफ लिखी है। (शोर)

चौधरी जगदीश नेहराः स्पीकर साहबय मेरा प्वायट आफ आर्डर है। कल इस बारे में काफी. डिस्कशन हो चुकी है और इस पर बोलने के लिये विपक्ष के भाइयों को अधिक से अधिक समय दिया गया था। इसी प्वांयट पर अगर सम्पत सिंह जी बोलेंगे तो फिर हमें भी उसका जवाब देना पड़ेगा। बार–बार एक हीं मुद्दे के बारे में कहा जा रहा है। इसके अब खत्म करें।

बिल्ज–

(1) दो हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं ० 3) बिल, 1994

Mr. Speaker : Now, the Finance Minister will introduce the Haryana Appropriation (No. 3) Bill, 1994 and also move the motion for its consideration

वित्त मंत्री (श्री मांगे राम गुप्ता): अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं 3) बिल, 1994 प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं–

हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं ० 3) बिल पर तुरन्त विचार किया जाए।

Mr. Speaker : Motion moved.—

That the Haryana Appropriation (No. 3) Bill, he taken into consideration at once.

चौधरी जिले सिंह जाखड़ (साल्हावास): स्पीकर साहब, मैं इस पर बोलते हुए कुछेक बातें कहना चाहता हूं।

सिंचाई मंत्री (चौधरी जगदीश नेहरा): अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि यह 1988–89 का एप्रोप्रिएशन बिल है, जब इन्हीं का राज था। अगर ये इस बिल पर बोलेंगे तो फिर हमारी तरफ से भी दो चार सदस्य जरूर बोलेंगे। आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि हमारी पार्टी के दो–चार सदस्यों को

जरूर बोलने का समय दें। वैसे तो इस बिल पर बोलने की कोई खारा बात नहीं है। यह बहुत पुराना है।

चौधरी जिले सिंह जाखड़: अध्यक्ष महोदय, श्री मांगे राम गुप्ता ने सदन के सामने हरियाणा एप्रोप्रिएशन बिल (नं० 3), 1994 पेश किया है। पिछले दो दिन से सदन में मंत्रियों और मुख्य मंत्रियों ने बयान दिया है कि हरियाणा में सुख–शांति है। सड़कें बहुत बढ़िया हैं। इन्हीं ने यह बात बड़ी सफाई के साथ कही है। अभी थोड़ी देर पहले हमारी पार्लियामैंट्री अफेयर्ज मिनिस्टर ने कहा था कि आपके पीछे कुछ भिख–मंगें बैठे हैं, यह बड़े शर्म की बात है।

श्री जगदीश नेहरा: मैंने यह नहीं कहा। (शोर)

चौधरी जिले सिंह जाखड़: आपने अभी कहा है। बेशक रिकार्ड आप चौक करवा लें। (शोर)

चौधरी जगदीश नेहरा: मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही। मैंने जो बात कही थी उसको आप गलत समझ रहे है। मेरा कहने का यह अभिप्राय नहीं था। मेरा अभिप्राय जो था, यदि मैं उसको दोहराऊंगा तो गलत बात हो जाएगी। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। यदि आपको कोई परेशानी हो रही है तो मैं उस शब्द को वापिस ले लेता हूं।

चौधरी जिले सिंह जाखड़: स्पीकर साहब, पिछले बजट सैशन में 3 मार्च, 1994 को मुख्य मन्त्री ने हाउस के अन्दर यह

कहा था कि 6 महीने के अन्दर हरियाणा की सड्कों को ऐसा बना देंगे कि उन पर 60, 70 और 80 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ियां भागेगी। अध्यक्ष महोदय, कल और परसों मुख्यमन्त्री महोदय ने यह कहा कि बरसात की वजह से सारी सड़कें बरबाद हो गई हैं। मेरा कहना यह है कि मेरे हल्के में बरसात की वजह से सड़कें खराब नहीं हुई बल्कि पहले से ही हैं। मैं मुख्य मन्त्री को याद दिलाना चाहता हूं कि फरवरी महीने में इनका कोसली का प्रोग्राम था। (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए) उस समय यह कोसली नाहड का रास्ता छोड्कर दूसरे रास्ते से वहां पर गए। इस सड़क की उस समय भी बुरी हालत थी और आज भी वही हालत है। इन सड्कों पर एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ। वहां पर रास्ता रोजाना जाम रहता है जबकि मुख्यमन्त्री का कहना है कि कोसली सब डिवीजन की सारी की सारी सड़कें ठीक हैं और वे गाड़ियां चलने के लायक है। इस संबंध में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इन सड्कों पर जो खर्चा दिखाया गया है, वह भी ठीक नहीं है। छूछकवास–मातनहेल–बहुझोलरी जो सड़क है, इस पर 4.11 लाख रुपये खर्च दिखाए हैं, जबकि इस पर एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ। वह सारी टूटी हुई है। इसी प्रकार से बेरी से कबूलपूर और बेरी से रोहतक वाया कबूलपुर की सड़क भी बड़ी अहम है। रोहतक से कबूलपुर तक तो सड़क चौड़ी और ठीक है लेकिन बेरी से कबुलपूर सड़क बहुत कम चौड़ी है, इसको चौड़ा किया जाना चाहिए। यह सारी सड़क टूटी हुई है इसकी रिपेयर की तुरन्त आवश्यकता है। यह सड़क भी जगह जगह पर जाम रहती है और

न ही वहां से कोई ट्रैफिक पास हो सकता है। इसी प्रकार से डींगल से बेरी की जो सड़क है, उस पर टैम्परेरी तौर पर काम हुआ था, लेकिन यह सारा बेकार गया क्योंकि वह सड़क फिर टूट गयी है। जितना पैसा लगा था, वह बेकार चला गया क्योंकि इस पर पानी भरा रहता था। जब तक कोई सड़क बनाते समय पानी की निकासी का इंतजाम नहीं किया जाता तव तक सड़क पर पैसे कोई लगाने का फायदा नहीं है। इस सड़क पर 20 से 50 हजार के करीब रुपये खर्च किए गए हैं'। इसी प्रकार से नाहड से कोसली की जो सड़क है, उसमें भी कई जगह गड्ढे पड़े हुए हैं यह सड़क दो–दो फुट की ही रह गई है। और इसी वजह से सारा ट्रैफिक नीचे से चलता है। इसी प्रकार से कल एक लिखित सवाल के जवाब में मुख्य मन्दी ने बताया था कि मातनहेल से छूछकवास की जो–सड़क है, उस पर भी 1.70 लाख रुपये खर्च हुआ है? जबकि वहां पर एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ। बेशक मुख्यमन्त्री महोदय किन्हीं कांग्रेस मैम्बर्ज की कमेटी बना कर जांच करवा लें कि आया उस पर पैसा खर्च हुआ भी है या नहीं, सारी बातों का पता, चल जाएगा। इसी प्रकार से डींगल से बेरी तक जो सड़क पर 8 हजार रुपया खर्च दिखाया गया है, यह भी गलत दिखाया है। इस सड़क पर जगह जगह पर पैच पड़े हुए हैं। इस सड़क पर एक नहर की माईनर क्रौस करती है जिसकी वजह से यह सड़क 10 फुट में से 2–3 फुट की रह गई है। जब भी इस सड़क को ठीक किया जाता है, तो वह बहुत जल्दी टूट जाती है। सड़कें इसलिये टूटती हैं कि उस पर पानी खड़ा हो जाता है। जब तक

पानी की रोकथाम का प्रबंध नहीं होगा, सड्कों पर पैसा खर्च करन का कोई फायदा नहीं होगा

मेरे हल्के में चाहे शहर की सड़क है कस्बे की शै या गांव की है, कोई भी सेफ नही है। इसी प्रकार से झज्जर से बादली की जो सड़क है, यह बहुत अहम सड़क है। क्योंकि दादरी का ट्रैफिक साव्हावास का ट्रैफिक और झज्जर का ट्रैफिक इसी रास्ते से गुजरता है। इस इलाके का सारा अनाज दिल्ली जाता है। दिल्ली जाते समय सारी रोड पर गढ्ढे हैं और जम्पिग होती है जिससे लोगों के ट्रैक्टरों के टायर फट–जाते है। पंचर हो जाता है। जब किसान अपनी 100– 100 या 80–80 बोरी अनाज की ले जाते हैं और रास्ते में टायर फट जाता है तो ट्रैफिक का रश होने के कारण से वे खड़े रहते है जिस कारण वे समय पर अपनी फसल नहीं ले जा पाते। जो एक दिन में दिल्ली जा सकती है, दो तीन दिन बाद पहुंच पाती है। साथ ही उनकी फसल चाहे –वह चना गेहूं या सरसों की है, भी खराब हो जाती है क्योंकि रास्ता खराब होने की वजह से उनके टायर फट जाते हैं और टायर पचा हो जाते है। इसलिये जो मेन सडकें हैं, उनको जल्दी से जल्दी ठीक करवाया जा सके।

12.00 बजे

श्री उपाध्यक्षः जिले सिंह जी, इन बातों का ताल्लुक तो इससे कुछ नहीं है, बेहतर है यदि आप रैलेवैन्ट बात कहें।

चौधरी जिले सिंह जाखड़: उपाध्यक्ष महोदय, मैं ये बाते यहां पर इसलिये कह रहा हूं ताकि सरकार को फैक्चुअल पोजीशन का पता चले। कल यहां पर सरकार ने कहा था कि हमारी सड्कों की हालत बहुत अच्छी है। यहां पर फाईल पद कर आकड़े दे देना काफी नहीं है। मन्त्री और मुख्य मन्की जी कुछ बताए और फैक्युअल पोजीशन कुछ और हो यह नही होना चाहिए। इसलिये जो फैक्टस हैं, मै वही हाउस के सामने रख रहा हूं। (विध्न) बिजली के बारे में यहां पर आकड़े दिए गए कि हमारे समय बिजली 16,000 लाख यूनिट पैदा होती थी और अब 24000 लाख यूनिट पैदा हो रही है। बिजली के बारे में उपाध्यक्ष महोदय फैक्ट यह है कि गांवों में 20–20 दिन बिजली नहीं आती। (विष्य)

वित्त मन्त्री (श्री मांगे राम गुप्ता): उपाध्यक्ष महोदय, आपसे मेरी यह दरख्वास्त है कि हाउस में मैंने जो बिल प्रस्तुत किया है, वह 1988– 89 में जो किन्हीं कारणों से फालतू खर्च हो गया. है उस बारे में है। उसको हाउस से पास कराना जरुरी है जिसके इसलिये मैं संवैधानिक रूप से बन्धा हुआ हूं। विधायक महोदय जो हमारे साथी रोल रहे हैं उन्हें चाहिए कि जो डिमांडज है, जो एक्सैस खर्चा हुआ है, उसके नारे में ही कहें वैसे तो इनको बोलने का अधिकार है लेकिन उपाध्यक्ष महोदय ये यहां पर करन्ट मामलो/खर्चे. की बात कर रहे है। इस बारे में तो इनको बोलने के लिये और भी मौका मिलेगा। अब यह जो करन्ट मामले हैं, उनका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, आपके

माध्यम से मेरी इनसे यह गुजारिश है कि जो खर्चा एक्सैस हुआ है 1988–89 में, उस पर ही ये बोले। धन्यवाद।

चौधरी जिले सिंह जाखड़: उपाध्यक्ष महोदय मैं गवर्नमैंट को बता रहा हूं कि वे पैसे को ठीक ढग से खर्च करें ताकि स्टेट एक्सचौकर का पूरा लाभ लोगों को मिल सके और जिन सुविधाओं की उन्हें जरूरत हैं, वे उन्हें मिलें वे सुविधा और सुख महसूस कर सकें। लोगों को सुख सुविधाएं प्राप्त नहीं होती हैं। मैं कोसली सब डिवीजन में बिजली की बात कह रहा हू। 15–8– 1994 से 6 सितम्बर 1994 तक 20 गांवों में एक सैकण्ड के लिये भी बिजली नहीं आई। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गुप्ता जी से कहूंगा कि वे इस बात को नोट करें और पता भी करवा लें। कई गांवों में 5–6 दिन से कोई लाईट नहीं आ रही है। अगर आती भी है तो कुछ सैंकड के लिये आई और फिर चली गई। इस प्रकार से लाईट की आख मिचौली चल रही है। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं शिक्षा के बारे मे कुछ कहना चाहुंगा। शिक्षा भी लोगों को सही प्रकार से नही मिल रही है। पिछले सैशन में भी शिक्षा के विषय पर काफी बातें हुई थीं। हम चाहते है कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे और समझदार और विहान बनें। लेकिन हमारे लिये यह बड़े शर्म की बात है कि हम अपने बच्चों को सही स्तर की शिक्षा नही दे पा रहे है। शिक्षा के स्तर को बनाए रखना बहुत ही जरुरी है। हम लोग यहां पर बोल कर चले जाते है लेकिन बच्चों के शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने के लिये कुछ नहीं करते। इस प्रकार से

हम अपने बच्चों के साथ धोखा कर रहे हैं हमें इसको कन्सीडर करना चाहिए ताकि हमारी आने वाली जनरेशन सही शिक्षा प्राप्त कर सके। कुछ सीख सके। एक प्रश्न के उत्तर में शिक्षा मच्छी ने कहा है कि हम नैतिक शिक्षा देते हैं। सबसे पहले तो मैं यह कहूंगा कि नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। जो नैतिक शिक्षा दी जा रही हैं उसमें इन्होंने क्या क्या शामिल किया है? इसके साथ ही साथ– मैं यह भी कहूंगा कि नैशनल एजुकेशन और राष्ट्रीयता को जगाने वाली एजुकेशन को भी इसके साथ जोड़ा जाए ताकि हमारे बच्चों में नैशनल इन्ट्रैस्ट बने और उनमें राष्ट्रीयता की भावना पैदा हो। इस के लिये परीक्षा में 15–20 नम्बर का एक प्रश्न भी अनिवार्य होना चाहिये। नैशनल एजुकेशन और मोरल एजूकेशन बच्चों को दी जानी चाहिए। We are not conscious about the nationality. We are not conscious of the moral education. There is a lack of all these things. We must adopt all these things. If we are not adopting these things, that is a shame for us. (हसी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रीयता की बात कह रहा हूं और ये हंस रहे हैं। राष्ट्रीयता पर हंसना इससे बुरी बात और क्या हो सकती है? आज हमारे देश के अन्दर राष्ट्रीयता की बहुत ही कमी है। आज अगर ट्रांसफार्मर जल गए तो ये कहते हैं कि सरकार का है और अगर कुछ और हो जाए तो भी ये कहते हैं कि सरकार का है। Where is the Government ? What is the Government ? To tell about all these things is the national education,

and our educational system must impart it. मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अगर इसमें मौरेलाईज और नैशमलाईज' सब्जैक्ट जोड़ दिया जाए तो हमारी आने वाली जनरेशन सुधर जाएगी और उनकी यह भावना हो कि यह हमारा प्रदेश है। यह हमारा देश है और हमें इसको सुधारना है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे हरियाणा में 6745 गांव हैं और एक करोड़ 80 लाख लोग हैं उनमें से ये कह दें कि हमने उसको पढ़ाया है और उसका चिटंठी लिखनी आती है। समाज कल्याण राज्य मन्त्री (कैप्टन अजय सिह यादव): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। मैं इनसे यह जानना चाहूंगा कि ये किस डिमांड पर बोल रहे हैं। आप इनसे कहें कि लम्बी चौड़ी बात न करके सिर्फ डिमांडज पर ही बोलें (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी जिले सिंह जाखड़: उपाध्यक्ष महोदय, मैं डिमांडज पर ही बोल रहा हूं और एजूकेशन की डिमाड पर बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: जिले सिंह जी आप कन्क्रलूड करें। (शोर एवं व्यवधान)।

चौधरी जिले सिंह जाखड़: उपाध्यक्ष महोदय, मैं एजुकेशन की डिमांड पर ही बोल रहा हूं। अब मैं इरीगेशन पर आता हूं। इरीगेशन पर बहुत चचीएं चल रही है। यमुना और रावी–व्यास के पानी की चल रही हैं। यह बड़े ही शर्म की बात है

कि जो पानी हमारे पास है, उसको भी हम यूटिलाईज नहीं कर पा रहे हैं क्योकि यमुना का जो सिस्टम है, वह सिल्ट से भरा पड़ा है। जगदीश नेहरा जी कहते हैं कि हम जे० एल० एन० कैनाल को आगे ले जाएंगे। उपाध्यक्ष महोदय, आज जबकि कई जगह बाढ़ आई हुई है, तब भी हम जे० एल० एन० में पानी नहीं ला सके। यह इसलिये है क्योंकि उनमें सिल्ट भरा पड़ा है।

श्री उपाध्यक्षः जिले सिंह जी आप बैठ जाएं। आप 15 मिनट बोल चुके हैं और आपका समय खत्म हो चुका है।

चोधरी जिले सिंह जाखडः उपाध्यक्ष महोदय, मैं जल्दी ही खत्म कर दूंगा। आप मुझे दो मिनट दे दें।

श्री उपाध्यक्षः ठीक है आप जल्दी ही दो मिनट में खत्म करें

चौधरी जिले सिंह जाखड़ः उपाध्यक्ष महोदय, आज अगर सिल्ट निकाल दी जाए तो जो पानी हमारे पास है, वह पानी कनीना रिवाडी और महेन्द्रगढ़ में दे सकेगें। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं डिमांड नं० 21 के संबंध में जो कि कम्युनिटी डिवलैपमैंट के बारे में है, कहना चाहता हूं। राव बंसी सिंह ने मेरे एक अतारांकित प्रश्न के उत्तर में माना है कि उन्होंने हरियाणा स्टेट के अन्दर कुल 457 जोहड़ खुदवाए हैं ताकि पशु वहां पानी पीने के लिए जा' सके। उपाध्यक्ष महोदय, आज कम्युनिटी डिवलैपमैंट के नाम से पैसा फिजूल रूप से खर्च किया जा रहा है। आप इस हाउस

की कमेटी बनाकर इस बात की इंक्वायरी करा लें कि इन्होने जो 457 जोहड़ स्टेट में खुदवाए हैं, तो उनमें सात जोहड़ भी ठीक तरह से खुदे हुए हैं या नहीं। अगर वहां पर सात जोहड़ भी ठीक निकल आएं, तो मैं अपना इस्तीफा दे सकता हूं। अगर इस तरह से पैसा खर्च किया गया तो फिर कैसे डिवैल्पमैंट हो सकेगी? मेरे अपने हल्के में ही एक खोरा गांव है। यह गांव बहुत बड़ा है इसमें पहले से ही एक 6 किल्ले का जोहड़ है लेकिन इस जोहड़ के किनारे ही 90– 90 हजार रुपये खर्च करके चार जोहड़ और खोद दिए गए। इन चार जोहड़ों के खोदने से अब पहले वाले जोहड़ में पानी नहीं जा पाएगा। इसलिये ऐसे जोहड़ खोदने की क्या यूटिलिटी है? उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से एक और दूसरा गांव नीमली है वहां पर भी एक जोहड़ खोद दिया गया। मेरे कहने पर कहा कि उनकी बनी में जोहड़ है जबकि पहले वहां पर पहलवानों का मेला भरा करता था अब वहां पहलवान कैसे लड़ा करेंगे? अगर मैं यह सच नहीं कह रहा हूं, तो सरकार इस बात का पता लगा सकती है (विघ्न) सर, वह स्टैडियम नहीं है बल्कि वह तो नीमली गांव में एक जोहड़ है। उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से इन्होंने सात जोहडों पर भी ठीक से पैसा नही लगाया णै। अगर इस तरह से डिवैल्पमैंट के काम होंगे तो फिर इनकी क्या यूटिलिटी है? जो पुराने जोहड़ हैं, आप उनको ही ठीक करें। उनकी ही कैपेसिटी बढ़ाएँ लेकिन सरकार ने ऐसा न करके चार चार जोहड़ और खोद दिए। मेरी समझ में नही आता कि इनका खोदने का क्या रीजन है मुझे तो इन जोहडो की कोई तुक नहीं लगती। उपाध्यक्ष महोदय,

यह जोहड़ डिवैल्पमैंट डिपार्टमैंट से सौयल कंजर्वेशन वालों ने खुदवाए हैं। वे कहते हैं कि हमने मैनडेज बना दिए। जबकि सारे जोहड़ ट्रैक्टरों ने खोदे हैं ठेकेदारों ने खोदे हैं। कही पर भी एक लेबर उनको खोदने में नहीं लगायी गयी। 'आप चाहे तो इस बात की इंक्वायरी करवा लें। इस तरह से स्टेट का पैसा फिजूल ही खर्च किया जा रहा शै। अगर हम यहां पर चुप रहेंगे और इन बातों को नही बताएंगे तो फिर हम यहां क्यों आए हैं? जो पैसा इस तरह से फिजूल खर्च किया जा रहा णै, सरकार को उस पर रोक लगानी चाहिए ताकि स्टेट का भला हो व लोगों का भला हो। उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से ऐग्रीकल्चर का सिस्टम है। जो जमीनें नहरों से बर्बाद हो गयी हैं, उनका तो रिक्लेमेशन का कोई सिस्टम भी ठीक नहीं है। रोहतक जिले के अन्दर ही नहरों से काफी जमीनें बर्बाद हो गयीं। किसान उन जमीनों में अपनी काश्त नही कर सकता। इसलिये इसके लिये सरकार को डिच ड्रैन बनानी चाहिए और दूसरी नहरों के अन्दर पानी डालना चाहिये ताकि जमीन रिक्लेम हो सके और किसान उनमें अपनी पैदावार कर सकें। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को इस तरह की स्कीमें बनानी चाहिए ताकि जो भी पैसा लगे, वह ठीक तरह से लगे और जिन लोगों की जमीनें बर्बाद हो गयी हुँ, उनकी जमीनें रिक्लेम हो सके ताकि किसान अपने बच्चों का गुजारा ठीक प्रकार से कर सकें। धन्यवाद।

श्री कर्ण सिंह दलाल (पलवल): डिप्टी स्पीकर साहब, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया। मैं आपके माध्यम से वित मन्त्री जी से यह प्रार्थना करना चाहता हू मैंने इसके बारे में पहले सैशन में उनसे अनुरोध किया था कि जैसे इन्होने विधानसभा के पटल पर यह रखा है कि किस किस विभाग को कितना कितना पैसा देगे, तो उसी तरह से विल मन्त्रालय के पास यह भी सारे डैटाज होना चाहिए कि उसके द्वारा किस किस महकमे को कितना कितना पैसा दिया गया है और कौन से जिले मैं कितना कितना पैसा खर्च किया गया ताकि जो विधायक हैं या हरियाणा का और कोई दूसरा आदमी है, वह यह जान सके कि उनके एरिया में कहां कहां पर पैसा खर्चे हुआ है? उपाध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि यह बताने को कह दिया जाता है कि इतने करोड़ रुपया फलाँ कला विभाग मे पैसा दिया गया लेकिन यह जानकारी पूरे हरियाणा मे कहीं नही मिलेगी कि यह पैसा कहां–कहां खर्च किया गया। राजस्व विभाग में 2 करोड़ 57 लाख 26 हजार 550 रुपये खर्च किए गए लेकिन यह रुपये कहां–कहां किस–किस जिले में किसलिए खर्च किए गए, यह पता नही लग पाता शै। मेरा आपके माध्यम से वित्त मन्त्री जी से अनुरोध है कि जो यह पैसा खर्च होता है, उसकी पुरी जानकारी वित्त मन्त्रालय में हो ताकि कोई भी व्यक्ति हम बारे में जानकारी लेना चाहे तो उसे अलग अलग दफ्तरों के चक्कर भी न काटने पड़े। दूसरे उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मन्द्री जी ने कहा कि यह पैसा 1988– 89 में खर्च हुआ है। वित्त मन्त्री जी हमारे फरीदाबाद जिले

की ग्रिवैसीज कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। मै उन्हें दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे फरीदाबाद जिले को अनदेखा किया जा रहा है। चाहे शिक्षा का सवाल है, चाहे ग्रामीण विकास का सवाल है। चाहे नहर की बात है। वहां पैसा बहुत कम खर्च किया जा रहा है। मेरी प्रार्थना शै कि चाहे ये हमारे लिये कुछ न कर सकते हों, हम कोई शिकायत नहीं करेंगे। लेकिन हमारे मेवात का जो एरिया है, उसकी कुछ सेवा करना चाहते हो तो आगरा कैनाल का कंट्रोल हरियाणा सरकार अपने हा थ में ले ले। हरियाणा के जितने भी नेता है उनमें से कोई तो एस ० वाई ० एल ० की बात करता है और कोई यमुना जल बटवारे की बात करता है। जैसे चौधरी बंसी लाल जी ने कहा, जहा यह हथिनीकुण्ड बैराज का सिलसिला इस प्रदेश में चला है, अगर सरकार हमारे एरिया के बारे में गंभीर है तो उसके एवज में उत्तर प्रदेश की सरकार से आगरा कैनाल के नियंत्रण की बात कर सकती थी। मै पुनः वित्त मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि हरियाणा सरकार आगरा कैनाल का नियन्त्रण अपने हाथ में ले ले। उत्तर प्रदेश की सरकार स्वयं यह चाहती है लेकिन हरियाणा सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की गई। उपाध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करूंगा कि इसको सिरे चढ़ाया जाए या उस बात को सदन के सामने रखे और हरियाणा की जनता को बताएं कि उसमे क्या रूकावट है सिचाई पर 17 करोड़ 98 लाख 14 हजार 309 रुपये खर्च किए गए। यह जो इतनी भारी रकम खर्च की गई है यह किन किन चीजो पर खर्च की गई है? फरीदाबाद और गुड़गांव जिले में जितनी भी नहरें हैं, उनकी

सफाई नहीं होती है गुड़गांव नहर इस ज्वायंट पंजाब और हरियाणा की सबसे पुरानी नहर है। उसमें कीचड और घास भरी हुई है 1 पानी आगे नहीं बढ़ता है, उसका सिस्टम अधूरा है। पुल बनाने की जरूरत वहुत सात्रों से है। पीछे उन मांगों में इनका जिक्र आ सकता था। उपाध्यक्ष महॉदय, जो लिपट इरीगेशन सिस्टम हरियाणा में चलाया है, चांदीपुर माईनर एक स्कीम है, उसमें बिजली चली जाती है तो वह पानी आगे न बढ़कर पीछे की तरप, आता है और सिकंदरपुर गांव को डबो देता है। ऐसा इरीगेशन सिस्टम क्या है, जिस पर इतना पैसा खर्च करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा इनसे अनुरोध है कि जहां लिपट इरीगेशन सिस्टम है, वहां पर इसके चौनल का होना जरुरी है।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर बिजली चली जाती है और अकारणवश पानी आगे नहीं जाता तो पानी पीछे जाने लगता है और सिकन्दरपुर गांव को वह पानी डुबो देता बै। मैं जगदीश नेहरा जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस बारे में एक मीटिंग बुलायी थी, लेकिन उसके बावजूद भी इस समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। इसी पानी के कारण बहुत से गांव डूब जाते है जिनमें हरिजनो के धर भी बहुत से हैं जिनको पानी से नुक्सान होता है। सरकार को चाहिये कि लोगों के बचाव को देखने हुए एस्केप चौनल चान्दपुर माईनर पर बना दे क्योंकि उस पर कोई ज्यादा खर्चा नही आने वाला है केवल दो ढाई हजार

रुपये का ही खर्चा होगा। उससे जो पानी रुकता है, वह अगले गांव को चला जाएगा और जो गाव पहले डूबते थे, वह डूबने से बच जाएंगे। मेरा अनुरोध है कि सरकार इस ओर ध्यान दे। मुझे पूरी आशा है कि सरकार इस ओर अवश्य ध्यान देगी।

दूसरी बात उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हू कि मुख्यमन्त्री महोदय ने कई दफा हाउस के अन्दर सड्कों की मुरम्मत की बात कही है और आश्वासन भी दिये है कि हम सभी सड्कों को बनाएंगे मुरम्मत करवाएंगे। मैंने कई बार कहा कि आज हरियाणा की सड्कों की हालत खस्ता है और खासतौर से मेरे पलवल हल्के की सड्को की तो वहुत ही खराब हालत है। जहां सरकार दूसरे इलाकों में सड्कों के ऊपर इतना खर्च कर रही है, मुझे आशा है कि सरकार हमारे हल्के की सड्कों का भी पूरा ध्यान रखेगी।

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल): दलाल साहब, पहले की सरकार के कारनामे है। (शोर)

श्री कणं सिंह दलालः चौधरी साहब, चाहे पहली सरकार की गलती है, अगर पहले किसी ने गलती की है तो अगली सरकार को उन गलतियों को सुधारना चाहिये। इसके साथ साथ मैं यह भी कहुंगा कि कही भी गांव के अन्दर हम जाते हैं तो वहां पर बिजली के खम्भों की हम कमी पाते है। वित्त मन्त्री महोदय यहां पर बैठे हैं मैं उनका ध्यान भी इस ओर दिलाऊगा। जहां करोड़ों

रुपया सरकार ने बिजली पर खर्च किया है, हमारे पलवल हल्के में बहुत से गांव ऐसे हैं जहां बिजली के खम्भे नहीं है बल्कि लकड़ी के खम्भे लगे हुए हैं और उन पर नंगी तारे बिजली की लटक रही हैं जोकि खतरनाक हैं। लोगों के जानवरो की जान को हमेशा खतरा बना रहता है। जब हम विभाग को इस बारे में कहते हैं तो उन से जवाब मिलता है कि हमारे पास पैसा नहीं है। न ही हम लगा सकते हैं। इसलिये मेरी वित्त मन्त्री जी से प्रार्थना है कि इस कार्य के लिये और पैसे का प्रावधान किया जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। मेरे नोटिस में यह आया है। हमें किसी ने बताया है कि इरीगेशन विभाग के पास इस तरह के कई सौ खम्भे और बिजली की तारे व दूसरा बिजली का सामान फालतू पड़ा हुआ है जोकि उन्होंने किसी वक्त खरीदा होगा और आज उनको उस सामान की जरुरत नहीं है अगर सरकार उन से कहे तो वह सामान लिया जा सकता है। उनको जब हम कहते हैं तो वे कहते हैं कि सरकारी स्तर पर हमें जब आर्डर होगा, तभी हम वह सारा बिजली का सामान दे सकते हैं। मैं विल मच्छी महोदय से कहुंगा कि वे इरीगेशन वालों से इस बारे में बात करें कि और जो बिजली का सामान पड़ा हुआ शै उसको वे फौरन ले लें। मैं साथ में मुख्य मन्त्री जी से भी कहूंगा कि अगर पिछली सरकार ने कोई गल्ली की है, तो यह सरकार उस गल्ली को अवश्य सुधारे।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने शहरी विकास के लिये 12 करोड़ 56 लाख 558 रुपया खर्च किया है (घंटी) अगर

शहरी विकास पर इतनी भारी रकम खर्च की जाती है तो कुछ न कुछ गांव की तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। गांवों की हालत आज बहुत खस्ता है। सरकार को गांवों की हालत सुधारने के लिये भी कुछ ठोस कदम उठाने चाहियें। आज गांवों के अन्दर हमारी बहू–बेटियों को जंगल जाने की काफी दिक्कत होती है। कोई शौचालयों का सरकार की ओर से प्रबन्ध नहीं है। हमारे हरियाणा के अन्दर लोगों के दिलों में यह भावना बनती जा रही है कि गांवों के अन्दर कोई सहूलियतें सरकार की ओर से नहीं दी जा रही हैं तो फिर लोग मजबूर होकर गांवों की बजाये शहरो में चले जाएंगे। अगर सभी लोग शहरों की ओर भागने लगेंगे तो फिर इस देश का क्या बनेगा। इसलिये मेरा अनुरोध है कि शहरी विकास के साथ साथ सरकार ग्रामीण विकास की ओर भी विशेष ध्यान दे।

इसके साथ साथ एक और प्रार्थना है कि पलवल शूगर मिल का 50 लाख रुपया भूना शूगर मिल को बतौर कर्जा दिया गया शै। इसके लिये भूना मैनेजमैंट से बातचीत की जानी चाहिये कि वे कब तक 50 लाख रुपया पलवल शूगर मिल को लौटा देंगी? लोगों की यह भावना बनी हुई है कि यह जो 50 लाख रुपया बतौर कर्जा भूना शूगर मिल को दिया गया है, वह वापिस नहो आएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे जिले फरीदाबाद में पर्यावरण की बहुत भारी समस्या है। जो लोग पलवल और फरीदाबाद में

गुजरते हैं, तो उनके नाक में एक तरह से मिर्चे लगने लग जाती हैं। इस बारे में मैंने ग्रिवैंसिज कमेटी में माननीय मन्त्री जी को भी बताया था, जो उसके चेयरमैन हैं। अगर कोई छोटा–मोटा आदमी सब्जी बेच रहा है तो उसको तो यह कह कर कि आपकी सब्जी खराब है, थाने में बन्द कर दिया जाता है। लेकिन जो बड़े बड़े उद्योगपति है उनको कोई नहीं पूछता। मैं पर्यावरण मन्दी जी से. अनुरोध करुंगा कि हथीन के अन्दर एक शराब का कारखाना है। उसकी बहुत बुरी बदबू आती है। वहां के आस–पास के 15–20 गांवों के लोग बाहर बैठ नहीं सकते। इसी तरह से पलवल में शूगर मिल है। वहां पर्यावरण यन्त्र लगना चाहिये। आज तक उसकी किसी ने भी सोच नहीं की है। आज मुख्य मन्त्री जी ने बताया था कि उस मिल ने 12 करोड़ रुपए मुनाफा कमाया है। जब इतना मुनाफा है तो उसका पर्यावरण यन्त्र क्यो नही लगाते। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जितन भी बड़े बड़े कारखाने वहां लगे हुए हैं, उनमें ये यन्त्र लगवाएं जाएं। धन्यवाद।

वित्त मन्त्री (श्री मांगे राम गुप्ता): उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से आज 1988–89 के साल में जो सदन से एक साल का बजट एस्टीमेट पास करवाया गया था, उसमें किन्हीं कारणों से 49.98 करोड़ रुपए का खर्चा एक्सैस हो गया। उपाध्यक्ष महोदय अगर सरकार जागरूक हो तो जो एक्सैस खर्च होता है, तो उसे अपने अधिकारियों से कह कर अगला सेशन आने तक सप्लीमैंटरी एस्टीमेटस के द्वारा सदन से पास करवा लिया जाता

है। लेकिन 1988– 89 के बारे में किन्हीं कारणों से 4998 करोड़ रुपये का खर्चा एक्सैस हो गया और वह इस सदन से पास नहीं हो सका। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद के मुताबिक यह बहुत आवश्यक है कि जो भी खर्चा बजट एस्टीमेट से ज्यादा हो गया, वह चाहे किन्हीं कारणों से हो गया हो वह खर्चा जब तक सदन से पास नहीं होगा, तब तक उसकी मान्यता नहीं मानी जा सकती। 19 88– 89 के बाद जब एक्सैस खर्चा हो गया तो हाउस से पास नही हो पाया। उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय के द्वारा जो पी ० ए ० सी ० बनाई जाती है, यह खर्चा उसके सामने चला जाता है। हमारे साथी दलाल साहब ने कहा कि वित्त मन्त्रालय को यह पता होना चाहिए कि यह जो एक्सैस खर्चा हुआ, यह कहां कहां और किस किस जगह हुआ। हम से भी ऊपर हमारी पब्लिक अकांउटस कमेटी बनी हुई है। क्ये सरकार की ही नहीं बल्कि हाउस की कमेटी है। उस कमेटी के विपक्ष के सदस्य भी मैम्बर हैं। जितनी भी एक्सैस डिमांडज होती हैं वे सारी पी ० ए ० सी ० के सामने चली जाती हैं। उपाध्यक्ष महोदय, पी ० ए ० सी ० की मीटिग्ज तो आपने भी बहुत अटैंड की होंगी। आप तो उसके अध्यक्ष भी रहे हैं। पी ० ए० सी ० कमेटी संबंधित विभाग के अधिकारियो को बुला करके एक एक आईटम के बारे में अपनी तसल्ली करती है कि यह पैसा फालतू क्यों खर्च किया गया ' आपने यह पैसा सदन से पास क्यों नहीं कराया। उपाध्यक्ष महोदय, यह रिकार्ड की बात है कि पी ० ए० सी ० की बहुत मीटिग्ज रखी गई और उन मीटिंग्ज में संबंधित अधि– कारियों को भी बुलाया

गया। जब पी० ए० सी ० की पूरी तसल्ली हो गई कि यह 49.48 करोड़ रुपए किन कारणों से बजट एस्टिमेटस पास हौने के बाद उनसे ज्यादा खर्च हो गया और उसको सदन मे 'मी पास नही करवा सके। उस कमेटी ने उस 49.48 करोड़ रुपये के खर्च को वाजिब करार दे दिया। जब पी ० ए० सी ० की रिपोर्ट हाउस में पेश हो जाए और हाउस पी० ए० सी ० की रिपोर्ट को पास कर दे, उसके बाद आज यह एक्सैस डिमांडज का हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं ०3) बिल, 1994 आपके सामने लाया जा सकता है। हमारे सामने पी ० ए० सी ० की रिपोर्ट 16 मार्च 1994 को पेश हुई थी ओर उस समय हाउस ने उसको मान्यता दी थी। अब यह सैशन बैठ रहा है तो आज उन एक्सैस डिमांज को रैगुलराईज करने के लिये हाउस के सामने रखी हैं। इन डिमांडज के बारे में हमारे एक दो माननीय सदस्यों ने अपने अपने हल्को के बारे में बातें कही हैं। सड्कों की मुरम्मत के बारे में कहा, इरीगेशन के बारे में कहा और यह भी कहा कि पानी का इन्तजाम ठीक रही है नहरों में सिल्ट बहुत ज्यादा है। शिक्षा के स्तर के बारे में कहा। हर विधायक का अपने हल्के की बातें कहने का फर्ज है। वह सदन में आए और अपने हल्के की बातें बताएं और जो भी समस्याएं हों, वह सरकार के नोटिस में लाए। (इस समय सभापतियों को सूचि के एक सदस्य श्री वीरेन्द्र सिंह पदासीन हुए) चेयरमैन साहब, यह बिल 1988– 89 की एक्सैस डिमाडज को रैगुलराईज करने के लिये प्रस्तुत किया गया है। जहां तक नहरी पानी की बात है दो दिन से. मुख्य मन्त्री जी ने भाखड़ा कैनाल के बारे में, यमुना के

पानी के बारे में आगरा कैनाल के पानी के बारे में, गुड़गांव कैनाल के बारे में बहुत विस्तार से प्रकाश डालने की कोशिश की है और वर्ल्ड बैक की जितनी स्कीमें हैं उनके बारे में भी काफी चर्चा हुई है। आज की सरकार का पूरा प्रयास है कि किसानों के खेतों के लिये चाहे बिजली की जरुरत है, चाहे किसानो के खेतों के लिये पानी की जरुरत है चाहे माईनर की जरुरत है, उस पर चाहे जितना भी पैसा खर्च हो, सिल्ट निकालने के लिये वह पैसा खर्च करके हम काम करेंगे। सरकार की कोशिश होगी कि किसानों को समय पर बिजली मिले और पानी मिले ताकि वे अधिक से अधिक अनाज पैदा कर सके। आज किसानों के प्रति सरकार पूरी तरह से जागरुक है। इसमे सरकार किसी किस्म की कोई कोताही नहीं बरत रही है। चेयरमैन साहब, यहां पर बोलते हुए दलाल साहब ने कहा कि उनके हल्के की सड़कें टूटी हुई है। बरसात में सड़कें टूटना स्वाभाविक सी बात है। सरकार की कोशिश होगी कि बरसात के बाद चाहे रुलिग पार्टी के विधायकों के हल्कों की सड़कें है, चाहे विरोधी पक्ष के विधायकों के हत्वा की सड़के' है सब तुरन्त ठीक कर दी जाएंगी। हमारी सरकार ने स्कूल भी अधिक से अधिक अपग्रेड किए हैं। यह सभी जानते है कि ज्यों ज्यों लोगों को सहूलियते मिलती जाती है इच्छाएं भी स्वाभाविक रूप से बढ़ती है। हमारी सरकार ने विकास के काफी काम किए है। इसलिये इनकी माग भी ज्यादा हो रही है। आपने कोई काम किया नही, इसलिये लोगों मे किसी काम के प्रति जागृति नही आयी। सड़कों के वारे में जैसा कि मुख्य मन्त्री

महोदय ने हाउस में कह ही दिया कि बरसात के बाद चाहे वह सड़क देहात की है या शहर की है कोई टूटी हुई नजर नही आयेगी।

हमारी सरकार शिक्षा की तरफ ध्यान देते हुए नैतिक शिक्षा पर भी बराबर ध्यान दें रहा है। शिक्षा मन्त्री जी ने बताया कि इन्होंने अपने समय में एक भी टीचर नहीं लगाया जबकि इस सरकार ने दस हजार टीचर लगाए हैं और जो रिक्त पद पड़े हैं, उनको भी शीघ्र ही भर दिया जायेगा। इसके साथ साथ मन्त्री महोदय ने बताया है कि रिजर्व कैटेगरी की कुछ पोस्टें खाली हैं, उनको भरने के लिये भी आवश्यक कदम उठाए जा रहे है। नैतिक शिक्षा के बारे में भी मन्त्री महोदय ने बड़े विस्तार मे बताया कि हमने नैतिक शिक्षा का विषय स्कूलों में पढ़ाना शुरू कर दिया थैं और इसका सिलेबस भी रख दिया है। इसके साथ ही साथ एजुकेशन विभाग ने शिक्षा बोर्ड को हिदायतें जारी की हैं कि भविष्य में नैतिक शिक्षा के विषय का भी पेपर हो और उसमें भी बच्चे को पास होना अनिवार्य हो। यह सही बात है कि खाली किताबी शिक्षा से कुछ होने वाला नहीं है। अब हमने वोकेशनल एजुकेशन और टैक्नीकल एजुकेशन को लागू कर दिया है ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके और वे अपनी जीविका कमाने के लायक हो सकें। सरकार द्वारा चेयरमैन साहब यहां पर गांवों में शौचालय बनाने की बात भी कही गई। मैं बताना चाहता हूं कि अब तक गांवों में दौ लाख के करीब शौचालय बना दिए गए है।

इसके अलावा और भी बना रहे हैं। हमारी कोशिश होगी कि इस किस्म की कोई दिक्कत हमारी बहिन बेटियों को न आए। इस स्कीम पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। इस बारे में जैसे सरकार काम कर रही पै, उसे देखते हुए शायद ही किसी को कोई शिकायत का मौका हो इसलिये सरकार लोगों की आवश्यकताओं को समझते हुए स्कीम पर गंभीरता से कार्य कर रही है।

चेयरमैन सर, यह सरकार बहुत ही बढ़िया और शानदार काम कर रही है। आज प्रो० छतर सिंह चौहान भिवानी से चण्डीगढ़ तक आराम से बढ़िया बस में बैठ कर आते हैं कोई रोक टोक नहीं पीने का पानी सभी को मिलता है। बच्चों को स्कूल में बैठने के लिये जगह मिलती है (विघ्न)

चौधरी बंसी लालः चेयरमैन सर, बास पेटवाड के पास शायद आपने देखा हो, वहां से बस तो का ट्रैक्टर भी चल जाए, तो ये बता दें। (विघ्न)

श्री मांगे राम गुप्ताः चेयरमैन सर, चौधरी बंसी लाल जी और छतर सिंह चौहान जी भिवानी से चण्डीगढ़ क्या हवाई जहाज में बैठ कर आए हैं (विघ्न)

प्रो० छतर सिंह चौहानः चेयरमैन सर, जहा तक सड्कों की बात है, हमारा सीधा रास्ता जीन्द से आता है। आपकी कांस्टीच्यूएंसी साथ ही लगती है। इसलिये शायद आपको भी पता होगा कि पिछले 15 दिनों से वहां पर यातायात पूरी तरह से ठप्प

है। 15 दिन पहले मैं वहां से आया था, लेकिन मुझे वापिस मुण्डाल जा कर हांसी से हो कर आना पड़ा था। शायद माननीय मुख्य मन्त्री जी को तो उधर कभी जाने का मौका ही नहीं मिलता है। चेयरमैन साहब, आप स्वयं तो उस एरिया के रहने, वाले हैं। इसलिये कम से कम आप ही इनको बता दिया करें कि वहां पर सड्कों की क्या हालत है? (विघ्न)? गुप्ता जी का जींद जाना तो मुख्य मन्त्री जी ने वेसे ही छुडवा दिया है। चार चार मिनिस्टर भेज दिये जाते है। (विघ्न)

श्री सभापतिः छतर सिंह जी, उस सड़क को रेज कर रह थे। मुरम्मत करने के लिये मिट्टी डाल रहे थे। पिछले दिनों बड़ी भारी बरसात हो गई थी। भगवान के साथ तो कोई व्यक्ति लड़ नहीं सकता है। (विघ्न)

प्रो० छत्तर सिंह चौहानः स्पीकर सर, 1991 से जब से यह सरकार आई है, बास के पास यह सड़क बननी शुरु हुई थी। आपको शायद ध्यान होगा क्योंकि वहां से आपका भी हल्का नजदीक पड़ता है। यह सरकार तीन साल में एक फर्लाग सड़क नही बना सकी और खुद को काम करने वाली सरकार कहती है। चेयरमैन सर, मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा और कोई शर्म की बात नहीं हो सकती है कि तीन साल मैं एक फर्लाग सड़क न बन सके। खासकर के तब जब कि महकमा भी मुख्य मन्त्री जी के पास ही हो।

श्री समापतिः छतर सिंह जी, सड़क बन गई थी लेकिन बाद में फिर टूटू गई थी।

श्री मांगे राम गुप्ताः चेयरमैन साहब मैं आपके माध्यम से हाउस में एक बात कहा रहा था। (विघ्न) मैंने यह बात पहले ही एडमिट की है कि हमारी कुछ सड़कें बारिश की वजह से टूट गई थीं। मुख्य मन्त्री जी ने कल पूरे विश्वास के साथ सदन में कहा था कि बारिश खत्म होने के बाद सरकार सारी सड्कों को ठीक करवाएगी। यह किसी के बस की बात नहीं है सड़कें तो क्या पुल और डैम भी टूट जाते हैं। भगवान के सामने किसी का जोर नहीं चलता। चेयरमैन सर, इनको जीन्द के बारे में बड़ी तकलीफ हो रही है क्योंकि इनका जीन्द में आने का पोलिटिकल रास्ता बन्द हो गया है और इनकी पोलिटिकल सड़ क खराब हो गई है। चेयरमैन साहब, आप खुद जीन्द के नजदीक के रहने वाले हैं। इसलिये आपको एक ण्क बात और एक एक दिन की एक्टिविटी का पता है और चौधरी बंसी लाल जी को भी हरेक बात का पता है लेकिन हाउस में अपनी बात रखने के लिये ये चाहे कुछ भी कह लें। एक बात मैं कह सकता हूं कि जीन्द में अगर कानून व्यवस्था की हालत खराब हुई होगी तो इनके समय में ही हुई होगी। मैं जब भी विधायक बना हूं, वहां पर किसी किस्म की कोई वारदात कभी नहीं हुई। इतना बड़ा इक्ट्ठ अगर इन लोगों को मिलता, तो पता नहीं वहां पर कितने खून हो जाते। एक शरीफ आदमी को इन्होंने बदनाम किया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सभापतिः गुप्ता जी, आप अपनी बात को खत्म करें। आप बीच में जीन्द का जिक्र कहां से ले कर बैठ गए। गुप्ता जी, यह डैड ईशू है। आप इस को बार बार क्यों ले रहे हैं? अब आप अपनी बात को आगे बढ़ाइये। (विघ्न एवं शोर)

श्री मांगे राम गुप्ताः चेयरमैन साहब, आज जो माननीय सदस्यों ने सुझाव दिए हैं, उनको हमने सुना है और जिन हल्कों के लोगों की दिक्कतों के बारे में इन्होंने हमें बताया है, चाहे वह कोई भी हों, तो यह सरकार अपना फर्ज समझती है कि उन सब की दिक्कतों को दूर करें और उन के प्रति वचनबद्ध है। तो चेयरमैन साहब, यह जो 1988– 89 का विनियोग विधेयक आया है, उसको पास कर दिया जाए।

श्री कर्ण सिह दलालः चेयरमैन महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को एक सुझाव देना चाहता हु वह सड्कों के बारे में है। यहां पर मुख्यमन्त्री जी भी बैठे हुए हैं। वे भी सुन लें। शहरों की ग्रीन बैल्ट की जमीन बेच कर अगर सड्कों की रिपेयर कर रहे हैं, तो ये सड्कों की मुरम्मत न करवाएं। हमारे पलवल में डेढ़ करोड़ से भी ज्यादा की जमीनें बेची गई है। आप इस बारे में पता कर लें।

श्री सभापतिः कर्ण सिंह जी, आप बैठ जाएं'। (व्यवधान)

Mr. Chairman : Question is—

That the Haryana Appropriation (No. 3) Bill be taken into consideration at once

The motion was carried.

Mr. Chairman : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Chairman : Question is—

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Chairman : Question is—

That Clause 3 stands part of the Bill

The motion was carried.

SCHEDULE

Mr. Chairman : Question is-

That the Schedule be the Schedule of the Bill. The motion was carried.

Clause 1

Mr. Chairman : Question is—

That Clause I stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Chairman : Question is—

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Chairman : Question is—

That the Title be the Title of the Bill

The motion was carried.

Mr. Chairman : Now, the Finance Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Shri Mange Ram Gupta) : Sir I be to move—

That the Bill be passed

Mr. Chairman : Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Chairman : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(2) दी हरियाणा म्युनिसिपल (सैकण्ड अमैन्डमैन्ट) बिल, 1994

Mr Chairman : Now, the Minister of State for Local Government will introduce the Haryana Municipal (Second Amendment) Bill, 1994 and also move the motion for its consideration .

Minister of State for Local Government (Chaudhri Dharmabir Gauba) : Sir, I beg to introduce the Haryana Municipal (Second Amendment) Bill, 1994.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Municipal (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr Chairman : Motion moved-

That the Haryana Municipal (Second Amendment) Bill be taken into Consideration at once

प्रो० सम्पत सिंह (भट्टू कलां): चेयरमैन सर, दि हरियाणा म्युनिसिपल (सैकन्ड अमैंडमैंट) बिल, 1994 में दो बच्चों का जिक्र आया है। इसमें मैं एक क्लैरिफिकेशन चाहता हु कि जैसे मान लो किसी आदमी के पहले से ही दस या ग्यारह वच्चे हैं और उसके एक बच्चा और एक साल के बाद हो जाता है तो फिर क्या होगा? जबकि इस अमैंडमैंट में तो टो बच्चों का ही जिक्र है। क्या वह व्यक्ति इलैक्शन लड़ने के लिये ऐलिजीबल होगा ?

प्रो ० राम बिलास शर्मा (महेन्द्रगढ़): चेयरमैन सर, हमें तो इस बिल पर कोई एतराज नहीं है लेकिन आप शकुरल्ला खां,

मौहम्मद इलियास और अजमत खां जी से भी पूछ लीजिए कि क्या वह इस बित में कही गयी बातों को मानेंगे?

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल): चेयरमैन साहब, इसमें बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि यह 'विल पास होने के बाद भी अगर एक साल तक भी किसी के कोई बच्चा हो जाहू तो भी वह व्यक्ति इलैक्शन लड़ने के काबिल रहेगा। लेकिन अगर इस बिल के पास होने 'के एक साल के बाद किसी के दो बच्चों के अलावा और बच्चा पैदा होगा तो फिर वह व्यक्ति इलैक्शन नहीं, लड़ सकेगा। इससे पहले चाहे किसी आदमी के सात बच्चे है या दस बच्चे हैं, लेकिन उस पर इलैक्शन लड़ने की कोई पाबन्दी नहीं होगी।

श्री सभापतिः चौधरी साहब, सम्पत सिह जी शायद यह पूछना –चाहते हैं कि अगर किसी के दो बच्चे पहले से हैं और अगर राक साल के अन्दर ही उसके एक बच्चा और पैदा होगा तो क्या वह आदमी इलेक्शन लड़ सकेगा? जैमें राम– कुमार कटवाल जी के पहले से ही 11 बच्चे है, और अगर उनके एक साल के अन्दर एक बच्चा और पैदा हो जाए, तो क्या वह इलैक्शन लड़ने के योग्य होंगे '

चौधरी भजन लालः चेयरमैन साहब, इस बिल के पास होने के एक साल तक दो सै ज्यादा बच्चे होने पर भी इलैक्शन लड़ने पर कोई पाबन्दी नहीं है। (शोर एवं– व्यवधान)

स्थानीय शासन राज्य मन्त्री (चौधरी धर्मबीर गाबा): चेयरमैन साहब, यह अमैडमैट 5– 4– 1994 को पास हो गया हैं और 4– 4– 1995 तक अगर किसी व्यक्ति के दो से ज्यादा बच्चे भी होते हैं तो भी वह व्यक्ति इलैक्शन लड़ सकेगा। लेकिन अगर 4– 4– 1995 के बाद किसी के दो बच्चों से ज्यादा बच्चे होंगे तो वह इलैक्शन नहीं लड़ सकेगा।

श्री राम कुमार कटवालः चेयरमैन साहब, अगर किसी व्यक्ति के इस बिल के पास होने के बाद से एक साल के अन्दर ही दो बच्चे एक साथ पैदा हो जाते हैं, तब फिर क्या होगा?

चौधरी भजन लालः इस बिल के पास होने के बाद अगर एक साल के अन्दर अन्दर किसी के दो बच्चे भी पैदा हो जाएंगे, तब भी उसको इलैक्शन लड़ने की छूट होगी।

प्रो ० छत्तर सिंह चौहानः चेयरमैन साहब, क्या यह बिल हिन्दू और मुसलमान दोनों पर बराबर ही लागू होगा?

चौधरी भजन लालः हां, सब पर लागू होगा।

प्रो ० सम्पत सिंहः चेयरमैन साहब, मान लो किसी आदमी के आलरैडी 11 बच्चे हैं। उसके बाद इस बिल के पास होने के एक साल के बाद अगर उस आदमी के एक औरे बच्चा हो जाता है तो क्या यह बिल उस पर भी लागू होगा और क्या यह बिल उसे आदमी को इलैक्शन लड़ने के लिए डिसक्वालीफाई कर देगा? अगर उसको डिसक्वालीफाई नहीं करेगा तो क्यों नहीं

करेगा (इ जब उस आदमी के पहले से ही 11 बच्चे हैं और एक साल के बाद एक बच्चा और हो गया तो वह व्यक्ति तो इलैक्शन लड़ने के लिए एलीजिबल नही होना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

सिचाई मन्त्री (चौधरी जगदीश नेहरा): चेयरमैन सर, इस अमैंडमैंट का असली मकसद यह है कि आबादी न बढ़े। जहां तक इन्होंने कहा कि किसी आदमी के पहले से चार या पांच बच्चे हैं और उसके इस बिल के पास होने के एक साल के बाद अगर और कोई बच्चा होता है तो क्या वह इलैक्शन लड़ने के लिए डिसक्वालीफाई होगा, इस सम्बन्ध में स्थिति यह है कि अगर उसके इस बिल से पास होने के एक साल के बाद दो से ज्यादा बच्चे होते हैं तो फिर वह इलैक्शन नहीं लड़ सकेगा। इस अमैंडमैंट का मेन मकसद तो पापुलेशन को बढ़ने से रोकना ही है।

श्री सभापतिः जैसे पार्लियामैर्न्टन अफेयर्ज मिनिस्टर ने कहा है गवर्नमैंट की मंशा यही है कि पापुलेशन पर कन्ट्रोल हो। एक साल की एग्जैम्पशन दी है। एक साल मे चाहे किसी के 12 हों, चाहे किसी के 15 हो, whatever it may be, that depends upon you, what do you do.

Now, Question is—

That the Haryana Municipal (Second Amendment) Bill to taken into consideration at once-.

The motion was carried.

Mr. Chairman : Now, the House will consider the Bill' clause by clause.

Cause 2

Mr. Chairman : Question is—

That Clouse 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Chairman : Question is—

That Clause 3 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Chairman : Question is—

That Clause 1 stands part of the

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Chairman : Question is -

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Chairman : Question is—

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Chairman : Now, the Minister of 'State for Local Government will move that the Bill be passed.

Minister of State for Local Government (Ch. Dharmabir Gauba) : Sir, I beg to move—

That the Bill b**e** passed .

Mr. Chairman : Motion moved—

That the Bill be passed.

श्री कर्ण सिह दलाल (पलवल) चेयरमैन सर, मैं आपके माध्यम से मली महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस बिल के पेज– 9 पर क्वालिफिकेशन आफ मैम्बर्ज है एक तरफ भारतीय नागरिक, जिसकी उस 18 वर्ष है उनको वोट देने का अधिकार है। तो जो नौजवान लड़के लडकियां है, जिनको वोट देने का अधिकार है उनको चुनाव लड़ने का अधिकार भी होना चाहिये और इसमें उसके लिये 21 वर्ष आयु सीमा रखी गई है।

Mr Chairman : This is not the amendment. Today, we take up only the amendment in the Bill

Question is -

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(3) दी हरियाणा म्युनिसिपल कार्पोरेशन मिल, 1994

Mr. Chairman : Now, the Minister of State for Local Government will introduce the Haryana Municipal Corporation Bill, 1994 and also move the motion for its consideration.

Minister of State for Local Government (Ch. Dharambir Gauba): Sir, I beg to introduce the Haryana Municipal Corporation Bill, 1994.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Municipal Corporation Bill be taken into consideration at once

Mr. Chairman : Motion moved—

That the Haryana Municipal Corporation Bill be taken into consideration at once.

Mr. Chairman : Question is—

That the Haryana Municipal Corporation Bill be taken Into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Chairman : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Sub-Clause (2) of Clause 1

Mr Chairman : Question is—

That Sub-Clause (2) of Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Sub-Clause (3) of Clause 1

Mr. Chairman : Question is-

That Sub-Clause (3) of Clause I stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clauses 2 to 424

Mr Chairman : Question is—

That Clauses 2 to 424 stand part of the Bill .

The motion was carried.

Schedule-I

Mr. Chairman : Question is—

That the Schedule-I be the Schedule-1 of the Bill.

The motion was carried.

Schedule-II

Mr. Chairman : Question is—

That

the Schedule be the Schedule-II of the Bill. The motion was carried.

Schedule-III

Mr. Chairman : Question is—

That the Schedule-III be the Schedule-III of the Bill.

The motion was carried.

Sub Clause (1) of Clause

Mr. Chairman : Question is—

That sub-Clause (1) of Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr Chairman : Question is—

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Chairman : Question is—

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried,

Mr. Chairman : Now, the Minister of State for Local Government will move that the Bill be passed.

Minister of State for Local Government (Ch.

Dharambir Gauba) Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Chairman : Motion moved—

That the Bill be passed

13.00 बजे

प्रो० राम विलास शर्मा (महेन्द्रगढ़): चौयरमैन साहब, यह एक बड़ी ही महत्व पूर्णअमैन्डमैंट है और हरियाणा में म्यूनिंसिपल कारपोरेशनन्ज का इस बिल के तहत पहला गठन होगा और वह भी सरकार ने एक कानूनी पेचीदगी को हल करने के लिये हाई कोर्ट के फैसले के तहत इस बिल को यहां लाने की कृपा की है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में यह कहा था कि बड़े–बड़े नगरों मैं म्युनिसिपल कारपोरेशन्ज बनायी जाए। इस समय हरियाणा में सब से बड़ा नगर फरीदाबाद है जिसमें एक कम्पलैक्स बना हुआ था। उस के बहुत देर से चुनाव नहीं हुए थे। वहां पर इस बिल के तहत म्युनिसिपल कारपोरेशन बनाने जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में हाई कोर्ट की जजमैंट को देखते हुए इन्होंने 30 मई 1994 को इस सम्बन्ध में एक आर्डीनैन्स जारी किया और उसी आर्डीनैन्स को आज इस बिल के माध्यम से रिप्लेस करने जा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो बड़े बड़े नगर हैं, जिन में सिविल अमैनिटीज लोगों को नहीं मिल रही हैं, प्रतिनिधि नही मिल रहे हैं, जन सेवक नहीं मिल रहे हैं, उनके बारे में भी कुछ टाईम लिमिट

फिक्स की जानी चाहिये कि इतने समय में यह यह काम लोगों के हो जायेंगे। सरकार इस ओर ध्यान देवे।

प्रो० सम्पत सिंह (भट्टू कलां): चेयरमैन साहब, इसमें दो तीन रिजर्वेशन्ज है यह मैं कहना चाहता हूं। इन्होंने क्लाज 4 (3) (1) में कांस्टीच्यूशन आफ कारपोरेशन के नीचे कहा है:

"Three persons having special knowledge or experience in municipal administration ;"

तो इसमें ऐसे तीन लोगों के नौमिनेशन का प्रोवीजन है। जब आप एक इलैक्टिड बौडी लेकर आ रहे हैं तो उसमें नौमिनेशन नहीं होना चाहिये क्योंकि ऐसा करके कोई क्राईटेरिया नहीं रहेगा। सरकार अपनी मर्जी से किसी भी आदमी को नौमिनेट कर देगी। चेयरमैन साहब, क्लाज 4(4) के प्रोवाइजो में यह भी जिक्र आया है—

"Provided that the first election to the Corporation may be held within a period of six months after the commencement of this Act."

It should have been after the commencement of the Corporation; and not the Act.

तो चेयरमैन साहब, जिस दिन से कार्पीरेशन कमैंसमैंट में आए उस दिन से 6 महीने कर दें, तो बेहतर रहेगा। इसके बाद क्लाज 36(1) की फर्स्ट प्रोवाइजो में इन्होंने उसके मेयर की टर्म दी है। उसमें यह लिखा है:——

"Provided that election for the office shall be held every year and the office of Mayor shall be filled up from amongst the members, belonging to "

तो चेयरमैन साहब, कार्पोरेशन की टर्म तो होगी पांच साल और मेयर हर साल के बाद बदलते रहेंगे। वह कापोरेशन का मुख्य होगा और उसको हर साल बदलते रहेंगे तो उससे लैग पुलिंग होगी। जैसे म्युनिसिपल कमेटीज के प्रैजीडैटंस की टर्म पांच साल की होती है, इनकी टर्म भी उसी तरह से होनी चाहिये। इसी तरह से इन्होंने जो कमिश्नर की अप्वांयटमैंट की बात कही है कि किसी गजटिड अक्सर को और आई० ए० एम० को जिसकी पांच साल की सर्विस हो चुकी होगी, उसको लगाएंगे। क्लाज 45(3) (बी) में इन्होंने यह लिखा है:—

"The Government may recall the Commissioner at any time during the term of his appointment".

अगर इसमें विद दी प्रायर परमिशन आफ दी कापोरेशन एड हो जाए तो ठीक रहेगा। वरना उनको बिमा पूछे यदि यहां से वायरलैस चला जारा क्योंकि कोई पोलीटीकल आदमी नाराज हो जाए, तो उसी समय उस कमिश्नर को बुला लिया जायेगा। इस लिए उसको बुलाने से पहले कापोंरेशन की इजाजत या एप्रूवल ले ली जाए तो ठीक रहेगा। जिस तरह से इन्होंने म्युनिसिपल कमेटीज के मामले में किया था, इसके लास्ट में भी वही चीज डाल दी। इसके पेज 162 पर क्लाज नं० 400 है। उसके सामने लिखा है ''डिसोल्यूशन आफ कार्पीरेशन''। अब यह पावर भी

गवर्नमैंट को दे दी गई है। इसमें एक प्रोवाइजो ऐसा डाल दिया है जैसे कमेटीज के बिल में डाला था। इसमें लिखा है:—

"Provided that before making an order of dissolution as aforesaid. reasonable opportunity shall be given to the Corporation to be heard and to show cause why such order of dissolution should not he made."

पिछली बार जब कमेटीज का बिल पास कर रहे थे, तो उसके बाद पांच मिनट के बाद कमेटीज के डिंजोल्यूशन का भी प्रस्ताव ले ऑए। एक तरफ तो बिले पास कर रहे हैं कि इसमे यह प्रोवाइजा भी है कि उनको पूछे बिना डिजौलव नहीं करेंगे और दूसरी तरफ पांच मिनट बाद डिजौलव करने का प्रस्तीव ले आए। अगर केल को कोई कार्पीरेशन गवर्नमैंट की इच्छा के मुताबिक नहीं चलेगी, तो उसको सरकार काम नहीं करने देगी और एक दिन में सरकार उसकी छुट्टी कर देगी। इसलिये डस तरह का प्रोवीजन नहीं होना चाहिये। जैसे हमारी असैम्बलीज और पार्लियामैन्ट के लिए है, उसी तरह से होना चाहिये। यह नही कि उनको बिना बताये डिजौलव कर दो।

श्री सभापतिः रीजन तो देंगे।

प्रो० सम्पत सिंहः चेयरमैन साहब, आप भी उस समय हाउस में बैठे हुए थे जब म्युनिसिपल कमेटीज की हत्या हुई थी।

श्री सभापतिः वे म्युनिसिपल कमेटीज अंडर दि एक्ट कांस्टीच्यूटिड नही थीं, वे पिछले एक्ट के अंडर कांस्टीच्यूटिड थीं।

प्रो० सम्पत सिंहः तो फिर आपको आईडियल बिल पेश करना चाहिए था।

श्री सभापतिः आप इसको पढ़ें। इसमें कहा गया है कि Opportunity will be given to them. They will be heard and then they will he dissolved.

प्रो० सम्पत सिंहः मैं यही तो कह रहा हूं कि इनके हर्ट का क्या होगा। सरकार इसको अभी भी अमैंड कर सकती है, नहीं तो हमें इसमें अमैंडमैंट करनी पड़ेगी।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला (बल्लभगढ़): चेयरमैन साहब, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। चेयरमैन साहब, यह बहुत ही अच्छा बिल पेश किया गया है। हरियाणा प्रदेश में फरीदाबाद कम्पलैक्स को कारपोरेशन बनाया गया है। यह बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है। इससे मेरा और महेन्द्र प्रताप जी का सीधा संबंध है। चेयरमैन साहब, हमारे आदरणीय वित्त मन्त्री श्री मांगे राम गुप्ता जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल पेण किया है। इन्होने यह दिन पेश करके फरीदाबाद की 7 लाख जनता की जनभावनाओं का आदर किया है। विधान सभा के 1991 में जो चुनाव हुए, उन चुनावो में हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री चौधरी भजन लाल जी ने फरीदाबाद कम्पलैक्स को कारपोरेशन बनाने का वायदा भी क्रिया था। हमारी पार्टी के मैनोफैस्टो में भी यह मैन्शन किया हुआ था कि अगर हमारी पार्टों की सरकार बनती है, तो फरीदाबाद कम्पलैक्स को

नगर निगम बनाया जाएगा। हमारी सरकार ने फरीदाबाद की 7 लाख जनता की जन–भावनाओं की जो कद्र की है, उसके लिए मैं अपनी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं । चुनाव के दौरान हमारे आदरणीय मुख्य मन्द्री मेरे चुनाव क्षेत्र में गए थे और इन्होंने वहां पर एक बहुत बड़ी जन सभा को सम्बोधित किया था । उस जन सभा में लोगों ने हाथ उठा कर यह डिमांड की थी –''आदरणीय मुख्य मत्री जी, आगे आने वाले समय में हम लोगों को भी यहां पर फरीदाबाद नगर निगम के लिये प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिलना चाहिये । इसलिये फरीदाबाद कम्पलैक्स को म्युनिसिपल कारपोरेशन का दर्जा देना चाहिए ''। मैं वहां के लाखों लोगों की आबादी की तरफ से मूख्य मन्त्री जी को बधाई देता हूं कि यह बहुत ही शानदार बिल पेश किया गया है । इस बिल को बनाने में हमारे मंत्री श्री धर्मबीर गाबा और संबंधित विभाग के अधिकारीगण बधाई के पाव हैं । फरीदाबाद नगर निगम में 25 वार्ड बनाए गए हैं जिसमें से 8 वार्ड महिलाओं के, 3 वार्ड शिड्यूल्य कास्ट्स के, 2 वार्ड बैकवर्ड क्लासिज के और 12 जनरल भाई बहनों के वार्ड बनाए हैं । यह बहुत ही अच्छा सिस्टम है । इसकी सारे देश मे प्रशंसा होगी हमारे देश के अन्दर यह हमारे प्रदेश की पहली कारपोरेशन होगी, जिसमें इतना अच्छा सिस्टम होगा । हमारे सदन के नेता ने फरीदाबाद कम्पलैक्स को नगर निगम बनाने का जो वायदा किया था, उसको बहुत जल्दी पूरा किया है । जैसे हमारे स्वर्गीय प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी चाहते थे और श्री नरसिम्हा राव चाहते हैं कि राजनैतिक सच्चा का और

आर्थिक तौर पर विकेंद्रीयकरण हमारे समाज और देश में होना चाहिये इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर मुख्य मन्त्री जी को फरीदाबाद की 7 लाख की जनता की ओर मे बधाई देता हूं कि हमारी सरकार ने यह एक बहुत ही शानदार बिल पेश किया है । धन्यवाद ।

Mr. Chairman :Quest ion is –

That the Bill he passed

The motion was carried.

(4) दी हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (सैकिण्ड अमैंडमैंट) बिल 1994

Mr Chairman : Now, the Excise & Taxation Minister will introduce the Haryana General Sales Tax (Second Amendment) Bill, 1994 and also move the motion for its consideration.

Excise & Taxation Minister (Bahin Kartar Devi) : Sir, I beg to introduce the Haryana General Sales Tax (Second Amendment) Bill, 1994 Sir, I also beg to move—

That the Haryana General Sales Tax (Second Amendment) I ill le taken into consideration ion at once

Mr. Chairman : Motion moved—

That the Haryana General Sales Tax (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once

श्री रामभजन अग्रवाल (भिवानी): चेयरमैन साहब, इस बारे में मेरा सरकार से अनुरोध है कि सेल्ज टैक्स की लिमिट जो 3 लाख रुपये रखी गई है, यह कम है। इसको आज की मंहगाई को देखते हुए कम से कम पांच लाख रुपये कर देना चाहिये। तीन लाख रुपये तो छोटे से छोटे व्यापारी की भी सेल हो जाती है। दूसरे हमारे पड़ौसी राज्यों में सेल्ज टैक्स कम है। हमारे यहां पर ज्यादा है। जिस कारण सेल्ज टैक्स की चोरी होती है। इस बारे में भी सरकार को गम्भीरतापूर्वक विचार करते हुए उन्हीं के बराबर टैक्स कर देना चाहिये ताकि सेल्ज टैक्स की चोरी न हो सके। इस के न होने से आज हरियाणा से व्यापार खत्म होता जा रहा है। इस बारे में मेरा सरकार को सुझाव है कि कुछ लिमिट मुकर्रर करके टैक्स लेने के लिए स्लैब बना दिए जाए, कि इस व्यापारी से सालाना इतना रुपया लिया जायेगा और इससे इतना लिया जायेगा। यदि सरकार रोसा कर देती है तो व्यापारियों को भी फायदा होया और सरकार को भी फायदा होगा। अब पैसा तो व्यापारी की जेब से निकलता है लेकिन वह सरकारी खजाने में 10 प्रतिशत भी नहीं पहुंच पाता। वह पैसा या तो अधिकारियों की जेब में चला जाता है या फिर वकीलों की फीस आदि में फार्म भी 15–16 बना रखे हैं जिनकों साधारण व्यापारी तो समझ ही नहीं पाता। इसलिये मेरी इस बारे में सरकार से पुनः प्रार्थना है कि ईमानदार अधिकारियों की एक कमेटी, बना दी जाए जो सारी चीजों को छोटे–बड़े व्यापारी के हित को ध्यान में रखते हुए और सरकार के हित को ध्यान में रखते हुए स्लैब 'निश्चित कर दे। यदि सरकार

ऐसा कर देती है तो मैं समझता हूं कि सरकार को ज्यादा पैसा मिलेगा और जो अफसरों की लम्बी चौड़ी फौज खड़ी हुई है, उसकी भी आवश्यकता नही रहेगी। अतः सरकार को इस पर गम्भीरता से विचार करके कोई निर्णय ले लेना चाहिये।

चैयरमैन साहब, दूसरा सूझाव मेरा आक्ट्राय के बारे में है। जिस प्रकार से सरकार ने बैरियर्ज समाप्त किए हैं, उसी प्रकार से आक्ट्राय भी समाप्त कर देना चाहिये। मैं जानना चाहता हूं कि इस आक्ट्राय के बारे में एक सब कमेटी बनायी गई थी, उसकी क्या रिपोर्ट आयी, वह भी हाउस में बताने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री हरि सिंह नलवा (सम्भालखा): चेयरमैन सर, आज हमारी यह सरकार और इस सदन के नेता के नेतृत्व में हरियाणा जनरल सैल्ज टैक्स एक्ट, 1973 की जो अमैन्डमैंट मैंट आई है, मैं उसका समर्थन करता हूं और उसके लिये मुख्य मन्त्री महोदय को बधाई देता हूं कि किस प्रकार यह सरकार निर्धन लोगों की भलाई के लिये कार्य कर रही है और साथ ही छोटे दुकानदारों की तरफ भी सरकार का पूरा ध्यान है। यह सरकार बहुत अच्छी प्रकार से छोटे व्यापारियों और दुकानदारों का ख्याल रख रही है। एक छोटा आदमी जो अपना छोटा मोटा धन्धा करके अपनी रोजी रोटी चला रहा है, इस अमैंडमैंट में 2 लाख से 3 लाख तक की जो छूट की राशि बढ़ाई है इससे उसे राहत मिलेगी। उसके लिये यह सरकार बधाई की पात्र है। इससे छोटे व्यापारियो को और

दुकानदारों कों 'बहुत हो रिलीफ मिलेगा। जिन व्यापारियों की आमदनी 2 लाख से 3 लाख के बीच में है, चाहे वे किसी किस्म के भी व्यापारी क्यों न हों, उनको 30–40 हजार की कमाई का अतिरिक्त लाभ होगा क्योंकि वे. किताबें और मुनीम रखने से बच सकेंगे ओर वे उस पैसे से अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिला सकेंगे और उनकी अच्छी देखभाल कर सकेंगे। अगर यह अमैंडमैंट नही आती, तो वे व्यापारी ऐसा नहीं कर पाते। इसलिये इससे उनको बड़ी भारी राहत मिलेगी और दुकानदारों को इससे बहुत फायदा होगा। मैं इस अमैंडमैंट के लिये प्रैजेंट सरकार को, इनके मन्त्री तथा मुख्य मन्त्री जी को बधाई देना चाहूंगा और उम्मीद करता हू कि इस प्रकार की स्कीमें लोगों की भलाई के लिये यह सरकार पहले भी लाती रही है और भविष्य में भी लाती रहेगी। ऐसा मेरा विश्वास है। मैं एक बार फिर से सरकार को मुबारिकवाद देते हुए, यह अमैंडमैंट लाने के लिये धन्यवाद करता हू। चेयरमैन सर, आपने मुझे बोलने का लिये समय दिया, उसके लिये आपका धन्यवाद।

आबकारी एवं कराधान मंत्री (बहिन करतार देवी): चेयरमैन सर, सबसे पहले तो मैं अपने माननीय सदस्य भाई नलवा जी को हार्दिक धन्यवाद देती हू कि उन्होंने अच्छा काम किये जाने पर इस सरकार को बधाई दी है और सरकार के अच्छे काम की सराहना की है। इसके साथ ही मैं माननीय सदस्य राम भजन अग्रवाल जी ने जो प्रश्न उठाए हैं, कुछ उनका उत्तर भी देना

चाहूंगी। चेयरमैन सर, यह सरकार न केवल व्यापारी वर्ग बल्कि समाज के सभी वर्गो के लिये चिन्तित है और हर वर्ग का कल्याण करने के लिए हर सम्भव कदम जो सरकार के सामर्थ्य में है, उठाने का संकल्प लिये हुए है। मेरे एक्साईज एवं टैक्सेशन विभाग ने जब जब भी यह देखा है कि लोगों को कोई कठिनाई आ रही है, या व्यापारियों को कोई कठिनाई आ रही है, वे परेशान हैं और गरीब जनता को राहत की जरूरत है तो विभाग ने समय समय पर टैक्सों में कटौती भी की है। चेयरमैन सर, थी व्हीलरों, और ट्रैक्टरों के टायर्ज और टयूब्ज पर जो टैक्स 10 या 8 परसैन्ट था उसको घटा कर 4 प्रतिशत किया गया है। चाय और माचिस में भी टैक्स आधा कर दिया गया है। इसी प्रकार से एनीमल ड्रिवन व्हीकल्ज, जो गांवों में चलते हैं और जिनकों जुगाड कहा जाता है, उन के टायर्ज और टयूब्ज को टैक्स की कर दिया गया है। पिछले सैशन में माननीय सदन में हमने यह भी रखा था कि जितने भी एग्रीकल्चरल इम्पलीमैंट्स हैं, उन सब को टैक्स पी कर दिया गया था। पार्टी मीटिंग में विचार विमर्श हुआ था और माननीय मुख्य मन्त्री जी सबमर्सिबल पम्पस पर टैक्स में राहत देने बारे गम्भीरता से विचार कर खे हैं। पशुओं के चारे पर टैक्स माफ कर दिया गया है। चेयरमैन सर, इसी प्रकार से देसी थी पर भी टैक्स आधा कर दिया गया है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत सारी जीवन की जरूरियात की चीजें हैं, जिनसे आम जनता पर बोझ पड़ता है, उन पर टैक्स कम किए गए हैं। चेयरमैन सर, मैं एक बात से सहमत हूं कि टैक्स की चोरी रोकने में कामयाबी

तभी मिलेगी, जब एडज्वायनिंग स्टेट्स में टैक्स में समरुपता हो। मुख्य मन्त्री जी ने पिछले सैशन में सदन में यह विश्वास दिलाया था कि हरियाणा सरकार भी इस बात पर गम्भीरता से विचार करेगी और राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़ी गम्भीरता से विचार चल रहा है कि स्टेट्स में टैक्सों में समरूपता लाई जाए। इस मामले में भी हम अन्य स्टेटों से आगे हैं कि इस मामले को जल्दी से जल्दी अमली जा मा पहनाया जाए। चेयरमैन सर, 5 लाख के टर्नओवर की बात कही गई है कि 5 लाख तक टर्नओवर के जो व्यापारी हैं, उनको लम्प–सम टैक्स देने के लिए प्रावधान किया है, जिसे स्लैब कहते हैं। वे व्या पा री एक हजार रुपये प्रति क्वार्टर दे दें और जो इण्डस्ट्रीज वाले है, वे 2 हजार रुपये प्रति क्वार्टर दे दें, ऐसी सुविधा उनको भी स्टेट ने दी है। चेयरमैन सर, लाईसेंस लेने के लिए 2 लाख तक टर्न ओवर वाले जे व्यापारी थे, अब उस सीमा को बढ़ा कर 3 लाख किया गया है। इस मामले के बारे में एडवाइजरी कमेटी में भी पूरी तरह से विचार विमर्श हुआ था। उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप ही हम यह अमैंडमैंट लाएं हैं ताकि इससे लोगों को राहत मिल सके। चेयरमैन साहब, इसी के साथ मैं आपसे निवेदन करूंगी कि इस बिल को पास कर दिया जाए।

Mr. Chairman : Question is—

That the Haryana General Sales Tax (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Chairman : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Chairman : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Chairman ; Question is-

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr Chairman : Question is—

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Chairman : Question is-

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried

Mr. Chairman : Now, the Excise & Taxation Minister will move

That the Bill be passed.

Excise & Taxation Minister (Bahin Kartar Devi) : Sir, I beg to

move-

That the Bill be passed.

Mr. Chairman : Motion moved—

That the Bill be passed

Mr Chairman : Question is—

The the Bill be passed

The motion was carried.

नियम 84 के अधीन प्रस्ताव

एस० वाई० एल० नहर के निर्माण कार्य की प्रगती सम्बन्धी

Mr Chairman : Hon`ble Members, I have received a notice of motion under Rule 84 from Sarvshri Bansi Lal, Om Parkash Beri, Chhattar Singh Chauhan, Karan Singh Dalal. Om Parkash Jindal, Ram Bhajan, Attar Singh, Smt. Janki Devi, Om Parkash, Sampat Singh, Satbir Singh Kadian, Ramesh Kumar. Krishan Lal, Amar Singh Dhanday, Jai Pal Singh, Mani Ram Rupaws, Suraj Bhan Kajal, Ram Kumar Katwal, Daryao Singh, Bharath Singh, Balwant Singh, Zile Singh, Mohan Lal Pipal and Dhir Pal Singh M. L. As., which is as under :—

"That the progress relating to the construction work

of S.Y.L. Canal, be discussed . "

The notice of motion received from Shri Ram Bilas Sharma, M.L.A., on this subject has also been clubbed with this notice.

Shri Bansi Lal M.L.A., may please move his motion.

Sh. Bansi Lal (Tosham) : Sir I bag to move—

That the progress relating to the construction work of S.Y.L. Canal, be discussed:

Mr. Chairman : Motion moved—.

That the progress rotating to the construction work of S.Y.L. Canal, be discussed.

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल): चेयरमैन साहब, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि इस मुद्दे पर पिछले सैशन में भी और इस बार भी काफी चर्चा हो चुकी है और पिछली बार हमने इन्हें जवाब भी दे दिया था और इस बार भी दे ही दिया है। इसलिये आप आज टाईम निश्चित कर दे ताकि सभी को बोलने कौ मौका मिले। इस पर बी ० जे ० पी ० के भाई भी बोल लेंगे। मेरे हिसाब से एक एक मैम्बर को 5 मिनट दे और मैं भी 10 मिनट में खत्म कर दूंगा क्योंकि कल भी कई मैम्बर रोटी समय पर नही खा सके थे और आज भी अन्दाजा नहीं था कि इतना समय लग जाएगा। अगर मुझे पहले अन्देशा होता कि समय ज्यादा लगेगा तो हम खाने का इन्तजाम यहां पर पहले ही कर देते। मैंने अभी आदमियों को भेजा हुआ है कि कहीं से 200 आदमियों के खाने

का इन्तजाम करें। (विघन) चेयरमैन साहब, इसी बात को ध्यान मे रखते हुए यह समय निश्चित किया जाना चाहिये ताकि सभी खाना खा सके।

प्रो० राम विलास शर्माः चेयरमैन साहब, मुख्य मन्त्री जी ने भी कहा कि बी ० जे ० पी ० के लीडर को भी पांच मिनट का समय ईस मोशन पर बोलने के लिये दे दें। सर, मेरा तो मोशन था इसलिये इस पर बोलने के लिये टाईम तो आपने ही तय करना है। यह 25 लोगों का मोशन है। साथ ही एस० वाई० एल० से अहम कोई और मुद्दा हो ही नही सकता। तीन साल से यह मुद्दा लटकता चला आ रहा है लेकिन मुख्य मन्त्री जी भोजन आदि की बात करके इस विषय की गम्भीरता को कम करना चाहते हैं। जिन लोगों को भूख लग रही है तो वह बीच बीच में जाकर खाकर आ सकते हैं। लेकिन मेरा आपसे कहना यह है कि आप इस मुद्दे पर बोलने के लिये कम से कम तीन घन्टे का समय अवश्य तय करिए।

प्रो० सम्पत सिंहः चेयरमैन सर, आप चाहें इस विषय पर बोलने के लिये टाईम चाहे तीन–चार धन्टे का तय करें या इससे ज्यादा का समय तय करें लेकिन अगर हर पार्टी को भी इस विषय पर बोलने के लिए कम से क्य आधा घन्टा मिल जाता है तो हम संतुष्ट हैं लेकिन जैसा मुख्य मन्त्री जी बैठे बैठे कह रहे थे कि कल तो नोन– ओफिशियल–डे है। इसलिये. कल इस इशू पर डिस्कशन नहीं हो सकती। लेकिन सारा हाउस यहां पर बैठा है। इसलिये अगर सब लोग चाहें तो कल के दिन को नोन–

ओफिशियम–डे से ओफिशियल डे में कंवर्ट किया जा सकता है। अगर आप समझते हैं कि आज खाना खाने को सेट हो जाएंगे और कुछ लोगों को खाने को लेकर ऐतराज है, तो कल के दिन को ओफिशियल–डे में कंवर्ट कर सकते हैं। अगर हाउस यह चाहता है तो हमारी पार्टीं भी इसके लिये तैयार एं।

चौधरी भजन लालः चेयरमैन साहब, अगर सारी अपोजीशन पार्टीज के नेता इस बात से सहमत हैं कि कल के दिन को नोन–ओफिशियल–डे से ओफिशिवल–डे में कंवर्ट कर दिया जाए तो इसके लिए हमारी पार्टी को भी कोई ऐतराज नहीं है। आप कल के दिन को नोन–ओफिशियल–डे से ओफिक्षियल–डे में कंवर्ट कर सकते हैं।

श्री बंसी लालः चेयरमैन साहब, लेकिन कल के दिन केवल एस० वाई० एल० इशू पर ही डिस्कशन होगी और किसी इस पर नहीं।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री सभापतिः अगर हाउस की सहमति हो तो हाउस का समय पांच मिनट के लिए बढ़ा दिया जाए।

आवाजेंः ठीक है जी।

श्री सभापतिः ठीक है, हाउस का समय पांच मिनट के लिए बढ़ाया जाता है। साथ ही हम इस मोशन को अब कल के

लिए रख लेते हैं। नियम 84 के अधीन प्रस्ताव एस० वाई० एल० नहर के निर्माण कार्य की प्रगति सम्बन्धी (पुनरारम्भ)

सिंचाई मंत्री (चौधरी जगदीश नेहरा): चेयरमैन साहब, कल भी थोड़ा सा काम हो सकता है जिसमें करीब आधा घंटा लग सकता है। बाकी के लिए तो सरकार राजी है और हमें कोई ऐतराज नही है।

श्री सभापतिः ऐसा है कि वैसे तो आप लोग चाहे, इस पर चार घन्टे बहस कर लो या इससे ज्यादा कर लो, लेकिन एस० वाई ० एल० के बारे में कोई ऐसी तो बात है नहीं जिससे हरियाणा की जनता परिचित न हो। ऐसी कोई नयी बात भी इसके बारे में नहीं आयी, है, जिसके बारे में आप बोलना चाहें। हरियाणा बनने के बाद 1966 से लेकर अब तक भी कोई नयी बात इसमें नहीं आयी है। फिर भी अगर आप बोलना चाहते हैं तो हम इस मोशन को कल के लिए रख लेते हैं।

चौधरी जगदीश नेहराः जैसा आप सुझाव दे रहे हैं, अगर यह बात है तो आप कल के दिन को नोन–ओफिशियल–डे से ओफिशियल–डे में कंवर्ट कर ले और इस इशू पर दो घंटे के लिए टाईम फिक्स कर दें। We can divide tomorrow's day into official and non-official day.

Mr Chairman : A day cannot be divided into official and nonofficial day.

Chaudhri Jagdish Nehra : Sir, it can be divided, if

House agrees. If House does not agree, then it cannot be divided.

Mr Chairman: Instead of non-official business, official business will be transacted tomorrow.

Now, the House stands adjourned till 9 30 A.M. tomorrow, the 15th September. 1994.

***13.34 hours**

(The Sabha then *adjourned till 9 30 A.M. on Thursday, the 15th September, 1994.)